वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2009-10

Annual Report

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

SPICES BOARD INDIA

Ministry of Commerce & Industry
Government of India
COCHIN - 682 025

कार्यकारी सारांश

स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के मूल्ययोजन केलिए फसलोत्तर सुधार कार्यक्रमों एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के ज़रिए मसालों की गुणवत्ता सुधारने, इलायची (छोटी व बडी) तथा कालीमिर्च के उत्पादन विकास का समर्थन करते, निर्यात को बढ़ावा देते हुए भारतीय मसाला उद्योग की आवश्यकता की आपूर्ति करने में एक और सफल साल पूरा किया है।

विश्व-आर्थिक मंदी के बावजूद भी, मसालों का निर्यात मात्रा एवं मूल्य-दोनों हैसियत से सर्वकालीन उच्चतम रहा। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान परिमाण में सात प्रतिशत, रुपए मूल्य में पाँच प्रतिशत और डोलर-मूल्य में 0.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले साल के ₹ 5300.25 करोड़ (1168.40 दशलक्ष यू.एस. डोलर) मूल्यवाले 470,520 टन के स्थान पर देश से ₹ 5560.50 करोड (1173.75 दशलक्ष यू एस डोलर) मूल्यवाले 502,750 टन मसालों एवं मसाले उत्पादों के कुल परिमाण का निर्यात किया गया।

वर्ष 2009-10 के दौरान, इलायची (छोटी) का उत्पादन 10075 टन और इलायची (बडी) का 4180 टन रहा।

कालीमिर्च, इलायची (छोटी), इलायची (बडी), अदरक, हल्दी, लहसुन, बडी सौंफ, अजोवन बीज, वैनिला, लौंग, जायफल, जावित्री और केसर के औसतन घरेलू मूल्य उल्लेखनीय तौर पर बढ़ गया है और मिर्च, जीरा, सोआ बीज एवं इमली के मूल्य ने गत वर्ष की अपेक्षा तनिक वृद्धि दर्शाई है। वास्तव में, इलायची (छोटी) के औसतन नीलाम मूल्य ने वर्ष 2001-02 के ₹ 622.39 कि.ग्रा. के पिछले उच्चतम मूल्य के खिलाफ ₹ 859.43 प्रति कि.ग्रा. का उच्चतम मूल्य दर्ज किया है। लेकिन वर्ष के दौरान धनिया, सेलरी एवं मेथी जैसे बीज मसालों के मूल्य ने तनिक कमी दर्शाई है।

इलायची बागानों का पुनरोपण एवं पुनर्युवन, मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन और फसलोत्तर सुधार, निर्यात विकास और संवर्धन, निर्यातोन्मुख अनुसंधान, गुणवत्तासुधार एवं मानव संसाधन विकास और कार्य जैसी ग्यारहवीं योजनाओं का कार्यान्वयन वर्ष के दौरान जारी रखा गया। वर्ष के दौरान, ऊपर की योजनाओं का कुल वित्तीय परिव्यय ₹ 62.00 करोड़ है और वित्तीय लब्धि ₹ 62.168 करोड है।

वर्ष 2009-10 के दौरान, ₹ 10.675 करोड खर्च करते हुए इलायची (छोटी) के अधीन 2863 हेक्टेयर क्षेत्र लाए गए और पुनर्युवन कार्यक्रम के अधीन ₹ 2.654 करोड खर्च करते हुए 2160 हेक्टेयर क्षेत्र लाए गए। इलायची (बड़ी) के मामले में, पुनरोपण के अधीन 942 हेक्टेयर और पुनर्युवन के अधीन 617 हेक्टेयर क्षेत्र क्रमशः ₹ 1.995 करोड और ₹ 0.351 करोड खर्च करके लाए गए।

मसालों के निर्यातोन्मुख उत्पादन और फसलोत्तर सुधार योजना के अधीन, ₹ 17.599 करोड खर्च करते हुए वर्ष 2009-10 के दौरान छोटी एवं बडी इलायची केलिए सिंचाई एवं भू-विकास, वर्षा जल संभरण उपायों का उपलब्ध कराना, सुधरे क्यूरिंग उपाय आदि, उत्तर-पूर्व क्षेत्र में मसालों की खेती, फसलोत्तर सुधार, मसालों की जैविक खेती जैसे विविध कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया।

वर्ष 2009-10 के दौरान, ₹ 19.126 करोड खर्च करके मसालों का निर्यात विकास और संवर्द्धन, मसाला प्रसंस्करण में हाई-टेक अपनाना, इन-हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन, गुणवत्ता प्रमाणन, बिज़िनस-नमूने विदेश भेजना,

संवर्द्धनात्मक विवरण-पुस्तिका का मुद्रण, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिङ, वेअरहाउसिंग आदि केलिए सामान्य अवसंरचना-सुविधाएं स्थापित करना, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों आदि में प्रतिभागिता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया।

स्पाइसेस बोर्ड केरल के इडुक्की जिले में, जो भारत का प्रमुख कालीमिर्च उत्पादक क्षेत्र है, कालीमिर्च पुनरोपण एवं पुनर्युवन कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन ₹ 120 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ इस कार्यक्रम का समर्थन करता है। वयनाड एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में एक समान कार्यक्रम केलिए वाणिज्य विभाग ने ₹ 53.08 करोड की रकम आंबटित की है।

वर्ष 2009-10 के दौरान, बोर्ड ने विविध राष्ट्रों के 19 अन्तर्राष्ट्रीय मेलों एवं 16 घरेलू मेलों में भाग लिया है।

राजस्थान के जोधपुर जिले एवं मध्यप्रदेश के गुना जिले में बीजीय मसालों के वैज्ञानिक फसलोत्तर कार्य पर जागरूकता पैदा करने केलिए मल्टी मीडिया अभियान चलाए गए।

द्विवार्षिक विशेष कार्यक्रम 'विश्व मसाला काँग्रेस' का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें 163 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों एवं 291 भारतीय प्रतिनिधियों की भागीदारी अब तक की सबसे भारी संख्या दर्ज करती है।

बोर्ड के भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान ने फसल सुधार, फसल प्रबंधन, फसल संरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी, फसलोत्तर तकनोलजी एवं तकनोलजी अन्तरण पर कार्यकलाप जारी रखे।

बोर्ड के कोचिन की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला विश्व स्तरीय सुविधाओं सहित एक नए मकान में स्थानान्तरित की गई। प्रयोगशाला ने वर्ष के दौरान मिर्च एवं मिर्च उत्पादों तथा हल्दी में सुडान डाई-IV, रोडामीन, पैरा रेड आदि जैसे गैरकानूनी रंजक, नाशकजीव नाशी अवशेष, एफ्लाटोक्सिन सहित विविध पैरामीटरों केलिए 56617 नमूने विश्लेषित किए। प्रयोगशाला ने मसालों एवं मसाले उत्पादों के विश्लेषण पर मसाला उद्योग के तकनीकी कार्मिकों केलिए चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। प्रयोगशाला ने ए एस टी ए एवं आई पी सी के जाँच नमूना/अशांकन कार्यक्रमों में भी भाग लिया।

ए एस आई डी ई योजना के अधीन तूत्तुकुडी में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना केलिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है। ए एस आई डी ई के अधीन गुण्टूर, नई दिल्ली एवं चेन्नई में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का काम प्रगति पर है।

बोर्ड ने सरकार की राजभाषा नीति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। वर्ष के दौरान राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए।

I. संघटन और प्रकार्य

बोर्ड का संघटन

संसद द्वारा अधिनियमित स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 10) में इलायची की खेती एवं उससे जुडे मामलों के नियंत्रण सहित मसालों के निर्यात के विकास तथा इलायची उद्योग के नियंत्रणार्थ बोर्ड के गठन का प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार "स्पाइसेस बोर्ड" का गठन किया जो 26.02.1987 से अस्तित्व में आ गया।

स्पाइसेस बोर्ड की सदस्यता में:

(क) एक अध्यक्ष।

(ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा से और एक राज्य सभा से चुने हुए होते हैं।

(ग) केन्द्र सरकार के निम्न लिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधि तीन सदस्यः

(i) वाणिज्य

(ii) कृषि; एवं

(iii) वित्त

(घ) मसाले कृषकों के प्रतिनिधि सात सदस्य।

(ङ) मसाले निर्यातकों के प्रतिनिधि दस सदस्य।

(च) प्रमुख मसाले उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि तीन सदस्य।

(छ) निम्नलिखित प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करनेवाले चार सदस्यः-

(i) योजना आयोग

(ii) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई;

(iii) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, मैसूर

(iv) भारतीय मसाले फसल अनुसंधान संस्थान, कालिकट;

(ज) मसाले श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधि एक सदस्य।

(स्पाइसेस बोर्ड के इस वर्ष के सदस्यों की सूची अनुबंध - 1में दी गई है)

बोर्ड के काम

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 के मुताबिक स्पाइसेस बोर्ड को निम्नलिखित काम सौंप दिए गए हैं:-

बोर्ड

(i) मसालों का विकास, सुधार एवं निर्यात - नियमन करें;

(ii) मसालों के निर्यात केलिए प्रमाणपत्र प्रदान करें;

(iii) मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने केलिए कार्यक्रम व परियोजना चलाए;

(iv) मसालों के ग्रेडिंग व पैकेजिंग के गुणवत्ता तकनीक तथा संसाधन संवर्धन संबन्धी अनुसंधान व अध्ययन कार्य को सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करें;

(v) निर्यातार्थ मसालों के मूल्य को स्थाई रखने का प्रयास करें;

(vi) उपयुक्त गुणवत्ता प्रतिमानों का विकास तथा निर्यातलायक मसालों का 'गुणवत्ता - चिह्नांकन' द्वारा गुणवत्ता - प्रमाणीकरण करें;

(vii) निर्यातार्थ मसालों की गुणवत्ता का नियंत्रण करें;

(viii) निर्यातार्थ मसालों के विनिर्माताओं को निर्धारित शर्त व निबन्धनों के आधार पर लाइसेंस प्रदान करें;

(ix) निर्यात बढाने केलिए आवश्यकता महसूस होने पर किसी भी मसाले का विपणन करें;

(x) मसालों केलिए विदेशों में भण्डागार सुविधाएँ प्रदान करें;

(xi) संकलन एवं प्रकाशनार्थ मसाले विषयक सांख्यिकी इकट्ठा करें;

(xii) केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से बिक्री केलिए किसी भी मसाले का आयात करें, तथा

(xiii) मसालों के आयात - निर्यात संबंधी बातों पर केन्द्र सरकार को सलाह दे दें।

साथ ही बोर्ड -

(i) इलायची कृषकों के बीच सहकारी प्रयासों को बढ़ावा दें;

(ii) इलायची कृषकों को लाभकारी पारिश्रमिक सुनिश्चित करें;

(iii) इलायची खेती इलाकों के विस्तारण, इलायची पुनरोपण तथा इलायची खेती और प्रसंस्करण के सुधरे तरीकों केलिए वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करें;

(iv) इलायची की बिक्री को नियमित तथा उसके मूल्य को स्थिर रखें;

(v) इलायची की जाँच तथा उसके ग्रेड प्रतिमानों को स्थिर करने का प्रशिक्षण प्रदान करें;

(vi) इलायची के उपभोग को बढावा दें तथा उसके प्रचार-प्रसार को जारी रखें;

(vii) इलायची के (नीलामकर्त्ताओं सहित) दलालों एवं इलायची का धंधा करनेवाले लोगों को पंजीयन और अनुज्ञप्ति दें;

(viii) इलायची विपणि का सुधार करें;

(ix) इलायची उद्योग से जुडे किसी भी विषय पर कृषकों, व्यापारियों या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट लोगों से आंकडा इकट्ठा करें और उनको या उनके अंश को या उनके सारांश को प्रकाशित करें;

(x) श्रमिकों को काम करने का अच्छा माहौल, उनकेलिए सुविधाओं में सुधार तथा प्रोत्साहन का उपबन्ध बनाएँ; और

(xi) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य चलाएँ, उनकेलिए प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करें।

बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले मसाले

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित 52 मसाले आते हैं:-

1. इलायची (छोटी व बडी)
2. कालीमिर्च
3. मिर्च
4. अदरक
5. हल्दी
6. धनिया
7. जीरा
8. बडी सौंफ
9. मेथी
10. सेलरी
11. सौंफ
12. मसाले का पौधा
13. काला जीरा
14. सोआ
15. दालचीनी
16. कैसिया
17. लहसुन
18. करी पत्ता
19. कोकम
20. पुदीना
21. सरसों
22. अजमोद
23. अनारदाना
24. केसर
25. वैनिला
26. तेजपात
27. पीपला
28. स्टार एनीज़
29. स्वीट फ्लैग
30. महा गेलेंजा
31. होर्स-रैडिश
32. केपर
33. लौंग
34. हींग
35. केम्बोज
36. हिस्सप
37. जूनिपर बेरी
38. बे-पत्ता
39. लूवेज
40. मर्जोरम
41. जायफल
42. मेस
43. तुलसी
44. खसखस
45. ऑलस्पाइस
46. रोज़मेरी
47. सेज
48. सेवरी
49. थाइम
50. ओरगेनो
51. टेरागन
52. इमली

(करी पाउडर, मसाले तेल, तैलीराल एवं अन्य मिश्रण सहित किसी भी रूप में हो, जहाँ मसाला घटक प्रमुख है)

बोर्ड की निम्न लिखित तीन सांविधिक समितियाँ हैं:-

(i) कार्यकारी समिति

(ii) इलायची केलिए अनुसंधान एवं विकास समिति

(iii) मसालों केलिए विपणि विकास समिति

2. प्रशासन

बोर्ड के कार्मिक

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान श्री. वी.जे. कुरियन, भा.प्र.से. बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर जारी रहे। श्री. एस. कण्णन, निदेशक (विपणन) ने श्रीमती के लक्ष्मिकुट्टी, उप निदेशक (सतर्कता) एवं प्रभारी सचिव के 31-10-2009 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप सचिव का अतिरिक्त भार भी संभाला। वर्ष के दौरान श्री. एस. कण्णन, निदेशक (विपणन), डॉ. जे. थॉमस, निदेशक (अनुसंधान) एवं डॉ. चार्ल्स जे. कित्तू, निदेशक (वित्त) अपने अपने पदों पर जारी रहे। श्री. आर. चन्द्रशेखर, निदेशक (विकास) की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप, श्री. एच.एस. श्रीनिवासा 1-2-2010 से निदेशक (विकास) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त हुए।

जैसेकि 31 मार्च 2010 को है, स्पाइसेस बोर्ड की स्टाफ संख्या 84 वर्ग 'क', 92 वर्ग 'ख', 269 वर्ग 'ग' और अस्थाई कर्मचारी सहित 38 वर्ग 'घ' कर्मचारियों को मिलाकर 483 है।

नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अ. जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. केलिए आरक्षण

बोर्ड अ. जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. केलिए पद आधारित अनुरक्षण का उचित रूप से कार्यान्वयन करता है। सरकार द्वारा समय समय पर इस संबंध में जारी अनुदेशों का अनुपालन भी किया जाता है। जैसेकि 31 मार्च, 2010 को है, अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ. पि.व. की श्रेणियों में 241 कर्मचारी थे।

बोर्ड अपंगतवाले व्यक्तियों केलिए अनुरक्षण रोस्टर भी बनाए रखता है और रिपोर्ट के अधीन की अवधि के दौरान नियमानुसार दृश्यतः विकलांग उम्मीदवार से कैनर की रिक्ति भर दी गई है।

महिला-कल्याण

रिपोर्ट के अधीन की अवधि के दौरान, वर्ग 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणियों में बोर्ड के महिला-कर्मचारियों की कुल संख्या 105 थी। महिलाओं की शिकायतों की ओर समय पर और उचित तौर पर ध्यान दिया जाता है। बोर्ड के एक महिला अधिकारी को "महिला कल्याण अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि महिलाओं की परेशानियों और समस्याओं को, यदि कोई हो, जानने और संभव समाधान के सुझावों के साथ वरिष्ठ प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जा सकें।

बोर्ड की बैठकें

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की तीन बैठकें 29-06-2009, 15-01-2010 एवं 30-03-2010 को संपन्न हुईं।

बोर्ड के कार्यालय

बोर्ड का मुख्यालय, कोचीन, केरल में स्थित है। वर्ष के दौरान बोर्ड के निम्नलिखित कार्यालय प्रवृत्त रहेः

विपणन

स्पाइसेस बोर्ड के विपणन कार्यालय बोडिनायकन्नूर, चेन्नई, तुत्तुकोरिन, बैंगलूर, मुंबई, अहम्मदाबाद, नई दिल्ली, कोलकत्ता, गान्तोक, गुवाहटी, छिंदवाडा एवं गुण्टूर में स्थित है।

विकास

(1) नेडुंकण्डम, कुमिळी, कलपट्टा, सकलेशपुर, गुण्टूर, वारंगल, जोधपुर, अहम्मदाबाद, लखनऊ, गान्तोक, गुवाहटी में प्रादेशिक कार्यालय।

(2) राजकुमारी, चेरुतोणी, वण्डनमेटु, कट्टप्पना, कुमिळी, नेडुंकण्डम, पूप्पारा, चिकमगलूर, मडिकेरी, शिमोगा, मंगन, जोरथांग, कालिमपोंग, ऐज़ल, इटानगर, अगरत्तला एवं तादोंग में आंचलिक कार्यालय।

(3) केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तरपूर्वी क्षेत्र में स्थित 45 क्षेत्र-कार्यालय।

बोर्ड कर्नाटक में पाँच विभागीय पौधशालाओं का भी अनुरक्षण करता है।

अनुसंधान

मैलाडुंपारा (केरल) का भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आई सी आर आई) एवं तादोंग (सिक्किम), सकलेशपुर (कर्नाटक) एवं तटियनकुडिश्शी (तमिलनाडु) के प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन प्रवृत्त रहे।

बागान श्रम कल्याण

बोर्ड ने इलायची बागानों में कार्यरत श्रमिकों के हित केलिए वर्ष के दौरान बागान श्रम कल्याण के अधीन निम्नलिखित योजनाएं जारी रखीं:-

i) इलायची संपदा के कामगारों के बच्चों के लिए शैक्षिक वजीफा प्रदान करना

यह योजना एस.एस.एल.सी. के बाद पढाई जारी रखनेवाले छात्रों केलिए है। इस योजना के अधीन स्पाइसेस बोर्ड, बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों व निबंधनों की पूर्ति पर इलायची बागान के कामगारों के पात्र बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2009-10 के दौरान केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु क्षेत्र की शैक्षिक वजीफा की योजना के अधीन इलायची संपदा कामगारों के बच्चों को ₹ 2,97,550.00 की राशि वितरित की गई। विवरण नीचे दिए जाते हैं:-

क्रम सं	राज्य	छात्रों की संख्या	खर्च की गई राशि (रुपयों में)
1.	केरल	224	1,20,650
2.	कर्नाटक	328	1,62,750
3.	तमिलनाडु	21	14,150
	कुल	**573**	**2,97,550**

ii) अस्पतालों/शैक्षिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान

ये सहायता-अनुदान, इलायची बढानेवाले क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों, स्कूलों एवं कालेजों में पेयजल सुविधाएं, प्रसाधन व फर्नीचर उपलब्ध कराके और प्रयोगशाला उपकरण, नैदानिक उपकरण, पुस्तकालय की पुस्तकें आदि प्राप्त कराके वहाँ की बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन केलिए ही प्रदान किए जाते हैं। इलायची बागान श्रमिकों के कल्याणकारी उपाय के रूप में मेडिकल कैंप का आयोजन करने केलिए भी सहायता-अनुदान पर विचार किया जा सकता है।

रिपोर्ट के अधीन की अवधि के दौरान नौ संस्थाओं को ₹ 6.05 लाख प्रदान किए गए। विवरण नीचे दिए अनुसार है:-

क्रम सं	राज्य	संस्थाओं की संख्या	खर्च की गई राशि (₹ में)
1.	केरल	6	4,45,000
2.	कर्नाटक	3	1,60,000
3.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य
	कुल	**9**	**6,05,000**

सूचना अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

बोर्ड ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। बोर्ड ने उपनिदेशक (योजना व समन्वय) को केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और सहायक निदेशक (सांख्यिकी) को सहायक केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया है। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने 14 सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को क्षेत्र यूनिटों में और सात सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को मुख्यालय में संबंधित व्यावहारिक क्षेत्र के अधीन सूचना के प्रसारण केलिए पदनामित किया है। सचिव, स्पाइसेस बोर्ड को अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

बोर्ड ने हर एक सूचना, जो प्रकट करना अपेक्षित है, ऐसे रूप एवं प्रकार में प्रकट की है, जो आर टी आई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के तहत है, वेबसाइट के माध्यम से लोगों को प्राप्य है। वर्ष 2009-10 के दौरान, आर टी ई अधिनियम के अधीन 28 आवेदन प्राप्त हुए और निर्धारित समय के अन्तर्गत सभी मामलों में सूचना प्रदान की गई है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2009-10 के दौरान, बोर्ड में सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन केलिए निम्नलिखित कार्यक्रम/कार्यकलाप चलाए गए:-

1) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें 30-06-2009 (अप्रैल-जून केलिए), 29-09-2009 (जुलाई-सितंबर केलिए), 30-12-2009 (अक्तूबर-दिसंबर केलिए) और 31-03-2010 (जनवरी-मार्च केलिए) को आयोजित की गई थी। ये सभी बैठकें अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता एवं बोर्ड के उच्च पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित थी, जिनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विविध कार्यक्रमों को रूपायित किया गया था।

2) मुख्यालय, कोच्ची के स्टाफ केलिए जून 2009, अगस्त 2009, नवंबर 2009 एवं फरवरी 2010 के दौरान चार हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कुल 49 स्टाफ सदस्यों (32 वरिष्ठ लिपिक और 17 आशुलिपिक) को इन कार्यशालाओं के ज़रिए हिन्दी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

3) बोर्ड के पूरे स्टाफ केलिए अंग्रेज़ी-हिन्दी शब्दकोश की खरीद और सप्लाई पूरी की गई।

4) पुस्तकालय केलिए ₹ 7926 की कुल राशि की हिन्दी पुस्तकें/सी डी रोम खरीदी गईं।

5) पिछले साल हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी (प्रबोध) प्रशिक्षण केलिए दो स्टाफ सदस्यों को नामित किया गया था और उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। पात्र प्रोत्साहन भी इन स्टाफ-सदस्यों को प्रदान किया गया।

6) कोच्ची टोलिक तथा उसके संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं तथा विभिन्न कार्यक्रमों में पदाधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की गई। 27 मई, 2009 को संपन्न टोलिक की बैठक में सचिव एवं सहा.

निदेशक (रा.भा.) ने भाग लिया। 17 जुलाई 2009 को कोच्ची टोलिक द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशाला में सहायक निदेशक (रा.भा.), वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक एवं कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने भाग लिया। 24 अगस्त 2009 को एफ ए सी टी द्वारा आयोजित हिन्दी संगोष्ठी में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने भाग लिया।

7) मुख्यालय में 14 सितंबर 2009 को हिन्दी दिवस मनाया गया।

8) 14-27 सितंबर 2009 के दौरान हिन्दी पखवाडा मनाया गया। श्री केशवेन्द्र कुमार, भा.प्र.से., सहायक जिलाधीश एरणाकुलम ने समारोह का उद्घाटन किया। स्टाफ एवं उनके बच्चों केलिए विविध हिन्दी प्रतियोगिताएं चलाई गईं। पखवाडा समारोह का समापन समारोह 16 फरवरी 2010 को आयोजित किया गया और श्री अजित पाटील, भा.प्र.से., डिप्टी जिलाधीश, फोर्ट कोच्ची मुख्य अतिथि थे।

9) हिन्दी पखवाडा समारोह के सिलसिले में कोच्ची और उसके आसपास के हाई स्कूल छात्रों केलिए एक विशेष कार्यक्रम हिन्दी में संवाद प्रतियोगिता 'वार्तालाप' का आयोजन 13 जनवरी 2010 को किया गया। पुरस्कार विजेताओं को 16 फरवरी 2010 को हिन्दी पखवाडा समारोह के समापन समारोह के दौरान नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

10) बोर्ड के कार्यालयों में प्रयुक्त प्रशासनिक और वैज्ञानिक पदों पर एक शब्दावली प्रकाशित की गई। सचिव, स्पाइसेस बोर्ड ने 14 सितंबर 2009 को संपन्न हिन्दी पखवाडा उद्घाटन समारोह के दौरान एक प्रति श्री केशवेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. सहायक जिलाधीश, एऱणाकुलम को देते हुए इसका निर्मोचन किया। शब्दावली की प्रतियां बोर्ड के समस्त स्टाफ, कोच्ची टोलिक एवं उसके सदस्य संगठन, मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग को वितरित की गईं।

11) प्रादेशिक कार्यालय, जोधपुर का राजभाषाई निरीक्षण 4 दिसंबर 2009 को चलाया गया। सहायक निदेशक (रा.भा.) ने निरीक्षण किया और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई कमियों को आशोधित किया।

12) राजस्थान और मध्यप्रदेश में बीजीय मसालों पर आयोजित गुणवत्ता जागरूकता अभियानों में हिन्दी को एक कारगर माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया गया। इस क्षेत्र के कृषकों एवं अन्य पणधारियों को वितरणार्थ बैनर, नोटीस एवं अन्य सामग्रियां हिन्दी में तैयार की गईं। सहायक निदेशक (रा.भा.) ने 8 दिसंबर 2009 को जोधपुर के मारवाड कृषि उत्सव '09 में बीजीय मसालों के गुणवत्ता पहलुओं पर एक पॉवर-पाइन्ट प्रस्तुति की।

13) राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने बोर्ड की हिन्दी वेबसाइट को अद्यतन बनाने का निर्णय लिया और काम शुरू किया गया।

14) बोर्ड के अधिकारक्षेत्र के अधीन आनेवाले मसालों के नामों के मानकीकरण से जुडे कार्य प्रगति पर हैं।

15) संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में बोर्ड ने रिसेप्शन डेस्क और कैन्टीन को पूरा काम हिन्दी में करने के दो क्षेत्र के रूप में चुन लिया। इस संबन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी किए गए।

16) हिन्दी मासिक पत्रिका 'स्पाइस इण्डिया' तथा द्विभाषी साप्ताहित बुलेटिन 'स्पाइसेस मार्केट' का प्रकाशन जारी रखा गया। इन प्रकाशनों के ज़रिए दी गई सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट में शामिल की गई।

3. वित्त और लेखा

प्लान के अधीन बोर्ड की योजनाएं, परियोजनाएं एवं कार्यक्रमों केलिए वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं इमदाद द्वारा की जाती है। प्रशासन के गैर-योजना खर्च मुख्यतः बोर्ड के विविध कार्यकलापों से बननेवाले आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आई ई बी आर) के ज़रिए चुकाए जाते हैं।

2009-10 के दौरान योजना के अधीन ₹ 6,200.00 लाख और गैर-योजना के अधीन ₹ 925.00 लाख का अनुमोदित बजट है। वर्ष 2009-10 के दौरान, प्लान बजट के अधीन अनुदान केलिए ₹ 3,200.00 लाख, इमदाद के लिए ₹ 2,400.00 लाख उत्तर पूर्वी क्षेत्र प्लान बजट के प्रावधान केलिए ₹ 600.00 लाख तथा नॉन-प्लान के अधीन ₹ 200.00 लाख सरकार से बोर्ड को प्राप्त हुए। बोर्ड ने 2009-10 के दौरान प्लान योजनाओं के अधीन गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता-जाँच सेवाओं के विश्लेषण चार्ज, पौधशालाओं से पादपों, अनुसंधान फार्मों के फार्म-उत्पाद की बिक्री, चंदा एवं विज्ञापन चार्ज, निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण शुल्क आदि से ₹ 870.81 लाख और नॉन-प्लान के अधीन कर्मचारियों को अग्रिम आदि से आन्तरिक राजस्व से ₹ 238.90 लाख का आई ई बी आर जमाए। वर्ष 2009-10 के दौरान प्लान एवं नॉन प्लान के अधीन बोर्ड का कुल व्यय ₹ 7,643.02 लाख था जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है:-

लेखा शीर्ष	**बजट अनुदान (₹ लाखों में)**	**वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)**
नॉन-प्लान (आई ई बी आर सहित)	**925.00**	**1,426.20**
प्लान		
निर्यातोन्मुख उत्पादन	2,000.00	1,759.89
निर्यात विकास एवं संवर्धन	1,800.00	1,912.58
निर्यातोन्मुख अनुसंधान	400.00	476.52
गुणवत्ता सुधार	400.00	398.13
एच आर डी व निर्माण कार्य	100.00	102.13
इलायची बागानों के पुनरोपण/नवीकरण केलिए विशेष प्रयोजनार्थ निधि	1,500.00	1,567.57
कुल (प्लान)	**6,200.00**	**6,216.82**
कुल (नॉन-प्लान व प्लान)	**7,125.00**	**7,643.02**

बोर्ड अन्य सरकारी विभागों एवं राष्ट्रीय अभिकरणों जैसेकि एन एच एम, आई सी ए आर, एस एच एम, ए एस आई डी ई (राज्य कोष) आदि से प्राप्त अनुदानों से कुछ अन्य चालू परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करता आ रहा है। 2009-10 के दौरान की ऐसी परियोजनाओं, प्राप्त अनुदानों एवं खर्च किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया जाता है:-

कार्यक्रम	**अनुदान (₹ लाखों में)**	**व्यय (₹ लाखों में)**
पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम	17.04	17.04
ए एस आई डी ई (राज्य कोष)	852.00	1322.16
परिस्थिति-अनुकूल नीम परियोजना	6.13	15.76
मोबाइल अग्रीक्लिनिक, एस एच एम, इडुक्की	4.00	2.81
एन एच एम, कर्नाटक, कालीमिर्च की मूल लगाई कतरनों का उत्पादन	6.00	9.55
जैव-नियंत्रण उत्पादन केन्द्र, एस एच एम, केरल की स्थापना	20.00	49.14
आई सी ए आर, ए आई सी आर पी एस	6.64	1.19
माइक्रोसैटलाइट विपणियां	10.90	6.66
इडुक्की जिले में एन एच एम कालीमिर्च उत्पादन	1,400.00	591.05
आई सी आर आई में 'डी यू एस' परीक्षण केन्द्र	0.85	-
कुल	**2,323.56**	**2,015.36**

4. निर्यातोन्मुख उत्पादन और फसलोत्तर सुधार

इलायची (छोटी व बडी) के समग्र विकास, खासकर उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाने की जिम्मेदारी स्पाइसेस बोर्ड की है। मसालों का फसलोत्तर सुधार भी स्पाइसेस बोर्ड पर निहित है। इन लक्ष्यों की पूर्ति केलिए स्पाइसेस बोर्ड "इलायची (छोटी एवं बडी) बागानों के पुनरोपण एवं नवीकरण के विशेष प्रयोजनार्थ निधि" तथा "मसालों के निर्यातोन्मुख उत्पादन एवं फसलोत्तर सुधार" जैसी दो योजनाओं के अधीन कई विकासपरक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अलावा, बोर्ड राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) के अधीन सहायता प्राप्त केरल के इडुक्की जिले में कालीमिर्च के विकास केलिए एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

योजनाओं के तहत कार्यकलाप बोर्ड के विकास अनुभाग के अधीन प्रवृत्त नौ प्रादेशिक कार्यालयों, 17 आंचलिक कार्यालयों एवं 40 क्षेत्र कार्यालयों के ज़रिए अमल में लाए जाते हैं। बोर्ड कर्नाटक के इलायची बढ़ानेवाले प्रमुख क्षेत्रों में इलायची कृषकों की रोपण सामग्री की अपेक्षा की पूर्ति केलिए पाँच विभागीय पौधशालाओं एवं फार्मों को भी बनाए रखता है।

इलायची (छोटी एवं बडी) बागानों के पुनरोपण एवं पुनर्युवन के विशेष प्रयोजनार्थ निधि

इस योजना का उद्देश्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा सिक्किम राज्यों के तथा पश्चिम बंगाल के दार्जीलिङ जिले के पुराने एवं अलाभकारी इलायची (छोटी और बडी) बागानों के पुनरोपण/पुनर्युवन के मामले को हल करना है। बोर्ड के अधिकारियों की तकनीकी देखरेख के साथ कृषकों के खेत में खुली प्रमाणित पौधशालाओं द्वारा रोगरहित, स्वस्थ एवं गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों का उत्पादन एवं वितरण कार्य भी लिया जाता है। योजनाओं के अधीन आनेवाले लाभग्राहियों को कार्यक्रमों की समाप्ति पर नकदी इमदाद के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

2009-10 के दौरान इस योजना के अधीन कार्यान्वित कार्यक्रम निम्नानुसार है:

इलायची (छोटी)

छोटी इलायची मुख्यतः केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के पश्चिम घाटों में बढाई जाती है। 2009-10 के दौरान इलायची के अधीन का कुल क्षेत्र 10075 टनों के आकलित उत्पादन के साथ 71110 हेक्टेयर था। इलायची केलिए आर्द्र एवं संतुलित शीतल जलवायु, वृक्ष वितानों से निस्यन्दित प्रकाश, ह्यूमसभरी मिट्टी, सही वर्षा, तेज़ हवा से बचाव आदि अपेक्षित है। अधिकांश इलायची बागान छोटे या उपान्तिक कृषकों के हैं। छोटी इलायची के उत्पादन एवं उत्पादकता सुधारने केलिए कार्यान्वित कार्यक्रम नीचे दिए जाते हैं:-

i) गुणवत्ता रोपण सामग्रियों का उत्पादन एवं उनकी आपूर्ति

क) विभागीय पौधशाला

पाँच विभागीय पौधशालाओं में उत्पादित पादपों को 'न हानि न लाभ' आधार पर कृषकों को सप्लाई की जाती है। 2009-10 के दौरान, इलायची कृषकों को वितरणार्थ पौधशालाओं ने 4.60 लाख इलायची पादपों / अन्तर्भूस्तरियों का उत्पादन किया।

ख) प्रमाणित पौधशाला

रोग रहित, स्वस्थ एवं गुणवत्ता रोपण सामग्रियों के उत्पादन हेतु बोर्ड की तकनीकी देखरेख/ संदर्शन के अधीन कृषकों के खेत में प्रमाणित पौधशालाएं खोली गईं। कर्नाटक में, रोपण सामग्रियों का उत्पादन प्रति रोपण सामग्री ₹ 1.25 इमदाद के रूप में देते हुए क्यारी पौधशालाओं, पॉलीबैग पौधशालाओं तथा अंतर्भूस्तरी पौधशालाओं के ज़रिए किया गया जबकि केरल में इसका उत्पादन अन्तर्भूस्तरी ₹ 1.75 प्रति देते हुए अन्तर्भूस्तरी गुणन पौधशालाओं के ज़रिए किया गया। अवधि के दौरान केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में प्रमाणित पौधशालाओं के ज़रिए इलायची की 198.25 लाख रोपण सामग्रियां उत्पादित की गईं।

ii) पुनरोपण

इस योजना का लक्ष्य अपने पुराने, जीर्णशीर्ण एवं अलाभकारी बागानों में पुनरोपण कार्य केलिए छोटे एवं उपान्तिक कृषकों को प्रोत्साहन देना है। केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में चार हेक्टेयर तक के क्षेत्रवाले छोटे कृषकों को ₹ 39,171 प्रति हेक्टेयर तथा चार से अधिक और आठ हेक्टेयर तक के क्षेत्रवाले उपान्तिक कृषकों को ₹ 29,675 प्रति हेक्टेयर की इमदाद प्रदान की गई। यह इमदाद पक्वनावधि के दौरान पुनरोपण और अनुरक्षण लागत के क्रमशः 33 प्रतिशत व 25 प्रतिशत रही। कर्नाटक में पक्वनावधि के दौरान पुनरोपण एवं अनुरक्षण लागत के क्रमशः 33 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के तौर पर चार हेक्टयर तक के जोतक्षेत्र केलिए ₹ 29,919 प्रति हेक्टयर तथा चार से अधिक और आठ हेक्टेयर तक के जोत क्षेत्रवाले को प्रति हेक्टयर ₹ 22,666 की इमदाद प्रदान की गई (रोपण सामग्रियों के उत्पादन के लिए दी गई इमदाद की कटौती पुनरोपण के लिए इमदाद से की जाएगी)। 2009-10 के दौरान कुल ₹ 10.675 करोड खर्च करके 2863 हेक्टेयर क्षेत्र में पुनरोपण किया गया।

iii) पुनर्युवन

नवीकरण कार्यक्रम के अधीन वर्तमान बागानों के कम उपजवाले पौधों को ढूंढ निकालकर हटा दिया जाता है, और इससे बनने वाले अन्तराल की भराई गुणवत्ता रोपण सामग्रियों से की गई। इसके अलावा संस्तुत कृषि प्रणालियों के अनुसार अन्तराल भरण वैज्ञानिक पौध संरक्षण कार्य, उर्वरकों का अनुप्रयोग, अन्तःकृषि कार्य, सिंचाई और अन्य अच्छे कृषि कार्य चलाए गए। यह कार्यक्रम केरल और तमिलनाडु राज्यों में चार हेक्टेयर तक जमीनवाले, पंजीकृत लघु एवं उपान्तिक इलायची कृषकों के लिए अमल किया गया। पुनर्युवन के लिए प्रति हेक्टेयर ₹ 14025 की इमदाद दी जाती है (रोपण सामग्री के लिए इमदाद की कटौती की जाएगी)। 2009-10 के दौरान, ₹ 2.654 करोड के परिव्यय के साथ 2160 हेक्टेयर में पुनर्युवन चलाया गया।

इलायची (बडी)

बडी इलायची मुख्यतः पश्चिम बंगाल के दार्जीलिङ जिले एवं सिक्किम के उप हिमालयी इलाकों में बढाई जाती है। 2009-10 के दौरान बडी इलायची के अधीन का कुल क्षेत्र 4,180 टनों के आकलित उत्पादन के साथ 27,034 हेक्टयर था। तकनीकी जानकारी का अभाव, गुणवत्ता रोपण सामग्रियों की अनुपलब्धता, जीर्णशीर्ण, पुराने एवं अलाभकारी पौधे आदि बडी इलायची के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले प्रमुख तत्व हैं।

इलायची (बडी) के उत्पादन एवं उत्पादकता सुधारने केलिए 2009-10 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए:-

i) प्रमाणित पौधशालाओं के ज़रिए रोपण सामग्रियों का उत्पादन

कृषकों को गुणवत्ता रोपण सामग्रियाँ उपलब्ध कराने केलिए बोर्ड प्रति अन्तर्भूस्तरी ₹ 1.15 की इमदाद प्रदान करते हुए कृषकों

के खेत में अन्तर्भूस्तरी पौधशालाएं लगाने केलिए सहायता प्रदान करता है। सीज़न के दौरान कृषकों के खेतों में पिछले सीज़न के दौरान खोली प्रमाणित पौधशालाओं से 121.30 लाख इलायची अन्तर्भूस्तरियाँ उत्पादित की गईं।

ii) पुनरोपण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुराने, जीर्ण एवं अलाभकारी बागानों में पुनरोपण कार्य चलाने केलिए कृषकों को प्रोत्साहित करना है। पक्वनावधि के दौरान पुनरोपण एवं अनुरक्षण की लागत के क्रमशः 33 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत के हिसाब से चार हेक्टेयर तक के एवं चार से अधिक तथा आठ हेक्टेयर तक के इलायची क्षेत्रवाले छोटे एवं उपान्तिक कृषकों को क्रमशः ₹ 16,500 एवं ₹ 12,500 प्रति हेक्टेयर की इमदाद दी जाती है। (रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए दी जाने वाली इमदाद की कटौती पुनःरोपण इमदाद से की जाएगी)। 2009-10 के दौरान, ₹ 1.995 करोड के कुल व्यय के साथ 942 हेक्टेयर क्षेत्र में पुनरोपण चलाया गया।

iii) पुनर्युवन

यह कार्यक्रम छोटी इलायची के लिए जो था, ज्यों का त्यों रहा और चार हेक्टयर तक की जमीन के लिए प्रति हेक्टेयर ₹ 6600 की इमदाद दी गई (रोपण सामग्री के लिए इमदाद की कटौती की जाती है।)। 2009-10 के दौरान, ₹ 0.351 करोड के वित्तीय परिव्यय के साथ 617 हेक्टेयर क्षेत्र में पुनर्युवन चलाया गया।

मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन एवं फसलोत्तर सुधार

योजना के अधीन के कार्यकलाप फार्म स्तर पर मसालों की गुणवत्ता सुधारने, मसालों के जैव उत्पादन को बढावा देने, एकीकृत नाशकजीव प्रबंधन के आधार पर प्रतिकृति परक मॉडलों के सृजन, उत्तरपूर्वी क्षेत्र में निर्यात की गुंजाइश के साथ मसालों के विकास, मसाले कृषकों को विस्तार सेवा आदि केलिए हैं।

इलायची (छोटी)

i) सिंचाई एवं भू विकास

इस कार्यक्रम का लक्ष्य फार्म तालाब एवं कुएं जैसे जल भण्डारण उपायों के निर्माण के ज़रिए इलायची बागानों में जल संसाधन उपलब्ध कराना था। सिंचाई उपकरणों की स्थापना, मृदा व जल संरक्षण कार्य आदि केलिए भी सहायता दी जाती है।

बोर्ड केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। कर्नाटक में यह कार्यक्रम राज्य एवं स्पाइसेस बोर्ड द्वारा 60:40 के आधार पर लागत को बाँटते हुए स्पाइसेस बोर्ड और कर्नाटक राज्य सरकार अपने पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम से संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है। केरल एवं तमिलनाडु में, इमदाद की पूरी रकम बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी चूँकि संबंधित राज्य सरकारों से निधि अनुपलब्ध हैं। यह कार्यक्रम **नबार्ड** द्वारा अनुमोदित यूनिट लागत के 25-50 प्रतिशत तक की इमदाद के रूप में कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2009-10 के दौरान, केरल में कुल 532 जल भण्डारण उपकरणों / सिंचाई उपकरणों की स्थापना की गई और 150.39 हेक्टेयर में मृदा संरक्षण कार्य किया गया। तमिलनाडु में, इस कार्यक्रम के अधीन आठ जल भण्डारण उपस्करों/सिंचाई उपकरणों

की स्थापना की गई। कर्नाटक में सीज़न के दौरान 90 उपस्कर निर्मित किए गए और 110 सिंचाई उपकरण स्थापित किए गए। इस कार्यक्रम के अधीन 1,100 हेक्टेयर क्षेत्र लाते हुए इमदाद के भुगतान बतौर कुल खर्च ₹ 1.036 करोड था।

ii) वर्षाजल संभरण उपकरण

उच्च उपज केलिए गर्मी के महीनों में इलायची बागानों में सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है। इलायची बागानों में सिंचाई केलिए वर्षाजल संभरण का सबसे सस्ता तरीका यू वी प्रतिरोधी पॉलिथीन तिरपाल, जो सिलपोलीन नाम से भी जानी जाती है, की अस्तर लगाई खोदी संभरण टंकियों का इस्तेमाल करना है। सिंचाई केलिए वर्षाजल संभरण का यह तरीका अपनी कम लागत और सुविधा की वजह से इलायची कृषकों द्वारा अपनाया जा रहा है। स्पाइसेस बोर्ड केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के इलायची बागानों की सिंचाई केलिए इस तरीके का प्रचार प्रसार कर रहा है।

यह आकलित किया गया है कि 200 घन मी. क्षमतावाली (उदाः सिलपोळीन अस्तरवाली 16 मी. x 5 मी. x 2.5 मी.) संभरण टंकी में करीब दो लाख लीटर वर्षाजल संभरित किया जा सकता है, जो 0.8 हेक्टेयर इलायची बागान की 10-12 बार सिंचाई केलिए पर्याप्त है। ऐसी एक जुगत की लागत लगभग ₹ 24000 (खुदाई कार्य केलिए ₹ 16,000 और पॉलिथीन शीटों केलिए ₹ 8000 आकलित है। इलायची के छोटे एवं उपान्तिक कृषकों को 200 घन मी. क्षमतावाली एक टंकी के निर्माण केलिए वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत जो ₹ 8000 तक सीमित है, की दर पर इमदाद दी जाती है। 2009-10 के दौरान ₹ 0.041 करोड की कुल इमदाद से 75 उपस्करों का निर्माण किया गया।

iii) सुधरी इलायची क्यूरिंग जुगत

इलायची का शुष्कन लकडी को ईंधन बतौर प्रयुक्त करके परंपरागत क्यूरिंग हाउसों में किया जाता है। सौर शुष्कन उतना लोकप्रिय नहीं है चूँकि इसके दौरान हरा रंग नष्ट हो जाता है। चूंकि उत्पादकता/उत्पादन वर्षों-वर्ष बढता रुख दर्ज कर रहा है, लकडी की आवश्यकता भी साथ साथ बढ रही है। जैसेकि तूफान में गिरनेवाले वृक्ष लकडी की आवश्यकता की पूर्ति केलिए पर्याप्त नहीं है, विपणि से लेने अन्यथा वृक्षों को काटने, जिससे वन का नाश होता है, केलिए कृषक मजबूर बन जाते हैं। इससे बढकर नए क्यूरिंग हाउसों के निर्माण में, खासकर इलायची बिछाने हेतु रैक केलिए और क्यूरिंग हाउस में ताप बचाकर रखने केलिए जाली छत बिछाने हेतु लकडी की आवश्यकता होती है।

एकाध प्रगतिशील कृषक डीज़ल, एल पी गैस आदि एवजी ईंधनों का इस्तेमाल करनेवाली इलायची क्यूरिंग प्रणाली स्थापित करने लगे हैं जो उनके उत्पाद को बेहतर रंग और सस्ता शुष्कन प्रदान करती है। ये शुष्कक परिस्थिति-अनुकूल, श्रमशक्ति की बचत करनेवाले और चलाने में सुकर हैं। तोडी गई हरी इलायची को ट्रे में बिछाने, जैसेकि परंपरागत शुष्कन प्रणाली में किया जाता है, के बजाय इन नई क्यूरिंग प्रणालियों के शुष्कन चेम्बर में धोकर डाला जा सकता है। शुष्कन का समय भी इन शुष्ककों से 28-36 घण्टों से 20 घण्टे करके कम किया जा सकता है।

इस योजना का उद्देश्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के लघु कृषकों को शुष्कक की वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत इमदाद के रूप में, प्रति जुगत अधिकतम ₹ 60,000 देते हुए वैकल्पिक ईंधन के रूप में एल पी जी/डीज़ल / बायोमास और लकडी का इस्तेमाल करनेवाली शुष्कन प्रणाली उनके बीच प्रचलित करना है। गैर-इमदादी हिस्सा कृषक स्वयं अपनी निधि से या संस्थागत वित्त के ज़रिए चुकाएंगे।

स्पाइसेस बोर्ड ने अनुमोदित वितरणकर्त्ताओं तथा विभिन्न क्षमताओंवाले शुष्ककों की अधिकतम लागत की सूची तैयार की है। शुष्ककों की खरीद अनुमोदित वितरणकर्त्ताओं से की जानी चाहिए। 2009-10 के दौरान, ₹ 0.455 करोड़ के वित्तीय परिव्यय पर 90 सुधरी इलायची क्यूरिंग जुगतों की स्थापना में बोर्ड ने मदद की।

इलायची (बडी) - सिक्किम क्षेत्र

i) क्यूरिंग हाउसों की स्थापना-संशोधित भट्टी

बडी इलायची के कृषक अपनी इलायची का संसाधन परंपरागत तरीके से स्थानीय रूप में निर्मित भट्टियों में करते हैं। इससे उचित रूप में शुष्कन तथा संसाधित इलायची में सही रंग सुनिश्चित नहीं होता। बोर्ड ने विभिन्न ईंधनों का प्रयोग करनेवाली कई संसाधन प्रणालियों को पेश करके उनका मूल्यांकन किया था और श्रेष्ठ गुणवत्ता प्रदान करनेवाली एक प्रणाली का चयन किया है। इस प्रणाली के प्रचार केलिए बोर्ड 200 कि. ग्रा. क्षमतावाला प्रति शुष्कक ₹ 5000 और 400 कि. ग्रा. क्षमतावाला प्रति शुष्कक ₹ 9,000 की दर पर इमदाद प्रदान कर रहा है। 2009-10 के दौरान, कुल ₹ 0.0266 करोड की कुल इमदाद पर 42 संशोधित भट्टियां स्थापित की गईं।

ii) वर्षाजल संभरण

मिट्टी खोदकर बनाए गए, यू.वी. स्थायीकृत सिलपोळिन शीट पटलित गड्ढों में वर्षाजल संभरण का जो कार्यक्रम केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में इलायची के लिए अमल किया जा रहा है, इसका अनुकरण विभिन्न मसालों के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में भी किया जाता है। शर्तें व निबन्धन और इमदाद आदि इलायची (छोटी) के लिए जो है, वही है। 2009-10 के दौरान, ₹ 0.01351 करोड की इमदाद देते हुए 46 वर्षाजल संभरण उपकरणों का निर्माण किया गया।

अन्य उत्तरपूर्वी राज्यों में मसालों का विकास

उत्तरपूर्वी राज्यों में मिर्च, अदरक और हल्दी व्यापक पैमाने पर बढाई जाती है। अदरक की 'चैना' 'नादिया' और 'थिंगपुई', हल्दी की लकादोंग और मिर्च की 'बेड्स आई' जैसी एकाध देशी प्रजातियाँ क्रमशः तेल, करक्यूमिन तत्व और कैपसाइसीन तत्व से भरपूर मानी जाती है। उत्तरपूर्वी राज्यों की जलवायवी स्थितियां कालीमिर्च और बडी इलायची की खेती केलिए उचित हैं और इन क्षेत्रों में निर्यातलायक अधिशेष तैयार करने हेतु इन फसलों की लाभकारी खेती की जा सकती है। कृषकों के बीच जैव खेती-प्रणालियों के प्रचार-प्रसार द्वारा इन राज्यों में जैव मसालों के उत्पादन को बढावा देने की बडी संभावना होती है, ताकि निर्यात हेतु पर्याप्त मात्रा में जैव मसाले उपलब्ध कराया जा सके।

एक सुगठित विपणन प्रणाली और कृषि एवं फसलोत्तर कार्रवाइयाँ संबंधी जानकारी का अभाव उत्तरपूर्वी क्षेत्र में मसालों के विकास के मुख्य व्यवधान सिद्ध हुए हैं। स्पाइसेस बोर्ड इसीलिए उत्तरपूर्वी राज्यों में निर्यातोन्मुख मसालों के विकास केलिए निम्नलिखित घटकों सहित एक एकीकृत योजना अमल करता है:-

i) बडी इलायची - नया रोपण

बडी इलायची की खेती अब सिक्किम और उत्तर-पश्चिम बंगाल में केन्द्रित है। अन्य उत्तरपूर्वी राज्यों की कृषि जलवायवी परिस्थितियां बडी इलायची की खेती के अनुकूल हैं।

यह योजना पक्वनावधि के दौरान के अनुरक्षण और रोपण सामग्री की लागत के रूप में प्रति हेक्टेयर ₹ 17,500 की इमदाद देते हुए इन क्षेत्रों तक बडी इलायची की खेती फैलाने केलिए बनाई गई है। 2009-10 के दौरान, ₹ 0.594 करोड की इमदाद पर, पिछली समयावधि में खोली गई प्रमाणित पौधशालाओं में तैयार किए गए बडी इलायची पादपों का 336 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण किया गया।

ii) वर्षाजल संभरण

मिट्टी खोदकर बनाए गए, यू.वी. रोधी सिलपोलिन शीट पटलित गड्ढों का प्रयोग करके वर्षाजल संभरण का जो कार्यक्रम केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में इलायची छोटी के लिए अमल किया गया है, उसका अनुकरण विभिन्न मसालों के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में भी किया जाता है। इसकी शर्तें व निबन्धन और इमदाद इलायची (छोटी) के ज्यों का त्यों ही है। 2009-10 के दौरान ₹ 0.003 करोड की इमदाद देते हुए पाँच वर्षाजल संभरण उपस्करों का निर्माण किया गया।

iii) क्यूरिंग हाउस (संशोधित भट्टी)

उत्तरपूर्वी राज्यों में बडी इलायची के क्यूरिंग केलिए कम लागत वाले शुष्ककों की स्थापना के प्रचार-प्रसार केलिए सिक्किम में संशोधित भट्टियों की स्थापना का कार्यक्रम, बडी इलायची के कृषकों केलिए उपलब्ध इमदाद की शर्तों व निबंधन और दर पर ग्यारहवीं योजना के दौरान शुरू किया गया। 2009-10 के दौरान, ₹ 0.028 करोड की इमदाद उपलब्ध कराते हुए 56 संशोधित भट्टियों की स्थापना की गई।

iv) जैव कालीमिर्च का उत्पादन

यह योजना असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं मेघालय राज्यों में 33 प्रतिशत की इमदाद बशर्तेकि अधिकतम ₹ 15,000 प्रति हेक्टेयर हो, ₹ 13,000 एवं ₹ 2000 की दो किस्तों में उपलब्ध कराते हुए कार्यान्वित है। जैव निवेशों का गुणन गैर-सरकारी अभिकरणों की सहायता से किया जाएगा और कृषकों को सप्लाई की जाएगी। स्पाइसेस बोर्ड के पूर्ण तकनीकी संदर्शन के साथ सरकारी/गैर सरकारी अभिकरणों की सहायता से तीव्र गुणन यूनिटों द्वारा अपेक्षित रोपण सामग्रियां तैयार की जाएंगी। 2009-10 के दौरान, इमदाद के रूप में ₹ 0.292 करोड़ देते हुए 113 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती चलाई गई।

v) लकादोंग हल्दी की जैव खेती

लकादोंग हल्दी में उच्च करक्यूमिन तत्व (5.5 प्रतिशत) है और इसलिए रंग के निष्कर्षण केलिए उपयुक्त है। यह किस्म अत्यधिक स्थान विशेष है और रंग के निष्कर्षण केलिए निर्यातकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। इसलिए XI वीं योजना अवधि के दौरान मेघालय एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में लकादोंग हल्दी के जैव उत्पादन को सहायता दी गई। श्रेष्ठ रोपण सामग्रियों की उपलब्धता इसके उत्पादन का प्रमुख नियामक तत्व है। इसलिए रोपण सामग्रियों की लागत की 50 प्रतिशत इमदाद के रूप में ₹ 12,500 प्रति हेक्टेयर प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम सरकारी/गैर सरकारी अभिकरणों की सहायता से कार्यान्वित किया गया। 2009-10 के दौरान, ₹ 1.081 करोड़ की इमदाद प्रदान करके 916 हेक्टेयर क्षेत्र इसके अधीन लाया गया।

vi) अदरक की जैव खेती

नादिया और चैना अदरक प्रजातियों में उच्च तेल तत्व विद्यमान है और इसीलिए ये निर्यात के लिए उपयुक्त हैं। ग्यारहवीं योजना के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों में इन प्रजातियों के जैविक तौर पर उत्पादन को बढावा देने केलिए रोपण सामग्रियों की लागत के 50

प्रतिशत के रूप में प्रति हेक्टेयर ₹ 12,500 इमदाद के रूप में दिए जा रहे हैं। यह योजना सरकारी / गैर सरकारी अभिकरणों की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। 2009-10 के दौरान, ₹ 1.062 करोड इमदाद के रूप में प्रदान करते हुए 827 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती चलाई गई।

vii) उत्तर पूर्वी राज्यों के अधिकारियों और कृषकों केलिए प्रशिक्षण

बोर्ड, उत्तर पूर्वी राज्यों के राज्य कृषि / बागवानी विभागों के अधिकारियों तथा कृषकों केलिए मसालों की खेती, लुनाई एवं फसलोत्तर तकनीकियों की अद्यतन प्रगति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह प्रशिक्षण अधिकारियों केलिए एकान्तर वर्षों में और कृषकों केलिए हर साल में आयोजित किया जाता है।

2009-10 के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों के 85 कृषकों और पाँच अधिकारियों को भारतीय मसाले फसल अनुसंधान संस्थान, कोषि़क्कोड, केरल कृषि विश्वविद्यालय, तृश्शूर, भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, मैलाडुंपारा, स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला एवं मसाले प्रसंस्करण यूनिटों में प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के अधीन ₹ 0.118 करोड खर्च किए गए।

मसालों केलिए अन्य कार्यक्रम

i) बीजीय मसाले थ्रेशर (विद्युत चालित और हस्त चालित)

एकाध बीजीय मसाले कृषकों द्वारा अपनाई जाने वाली लुनाई और फसलोत्तर कार्रवाइयाँ अस्वास्थ्यकर होती है, नतीजन भूसा, कीचड, रेत, तने के टुकडे आदि जैसी बाहरी चीज़ों से उत्पाद का संदूषण हो जाता है। लुनाई की गई और सुखाए पौधों को बाँस के डंडों से पीटकर या पौधों को हाथों से रगडकर बीजों को अलग किया जाता है। कृषकों को अवगत कराने और अन्तिम उत्पाद को संदूषित होने से बचाने के लिए सूखे पौधों से बीज अलग करने हेतु विद्युत तथा हस्तचालित थ्रेशरों का प्रयोग बोर्ड द्वारा प्रस्तावित है।

ऐसे एक विद्युत तथा हस्त चालित थ्रेशर की लागत क्रमशः ₹ 1.00 लाख और ₹ 30000 आकलित की जाती है। बोर्ड इमदाद के रूप में लागत के 50 प्रतिशत बशर्तेकि विद्युत थ्रेशर के लिए अधिकतम ₹ 50,000 और हस्त चालित थ्रेशर के लिए ₹ 15,000 प्रदान कर रहा है। 2009-10 के दौरान, कुल ₹ 0.080 करोड की इमदाद पर 16 विद्युत चालित थ्रेशरों की आपूर्ति की गई।

ii) कालीमिर्च थ्रेशरों की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य कृषकों को स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में स्पाइक से कालीमिर्च की फलियां अलग करने हेतु थ्रेयर अपनाने में मदद देना है। कम से कम 500 बेलवाले कालीमिर्च कृषक इस योजना से लाभ उठाने के पात्र हैं। उपकरण की क्षमता का लिहाज रखे बिना प्रति थ्रेशर ₹ 7000 की इमदाद प्रदान की गई। 2009-10 के दौरान ₹ 0.145 करोड़ खर्च करके 201 कालीमिर्च थ्रेशरों की आपूर्ति की गई।

iii) कालीमिर्च के लिए बाँस चटाइयों का वितरण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य, कागज़-मेथी गारा लेपित स्वास्थ्यकर बांस-चटाइयों पर कालिमिर्च सुखाने केलिए लघु एवं उपान्तिक कालीमिर्च कृषकों को प्रोत्साहन देना है। 2009-10 के दौरान, बोर्ड ने जनजातीय कृषकों को 90 प्रतिशत और अन्य कृषक वर्गों को 50 प्रतिशत की इमदाद पर 12' x 6' आकार की 5000 बाँस चटाइयां वितरित की थी। 2009-10 के दौरान वित्तीय लब्धि ₹ 0.10 करोड है।

iv) मिर्च में एकीकृत नाशकजीव प्रबंधन को बढावा (आई पी एम)

नाशकजीवनाशियों की मौजूदगी की रिपोर्ट के कारण भारतीय मिर्च परेषण पर फिलहाल रोक लगाए गए थे। नाशकजीवनाशियों की मौजूदगी गंभीर व्यापारिक उलझनों का कारण बनी है। इसलिए मिर्च में एकीकृत नाशकजीव प्रबंधन का प्रचार-प्रसार अनिवार्य है।

नौवीं योजनावधि के दौरान, बोर्ड ने यू एन डी पी परियोजना के अधीन एन जी ओ की मदद से आन्ध्रप्रदेश के दो गाँवों में मिर्च कृषकों को आई पी एम किटों की आपूर्ति, कृषकों का खेत-स्कूल, प्रदर्शन-खण्ड के ज़रिए मिर्च में एकीकृत नाशकजीव प्रबन्धन (आई पी एम) को बढावा देने के लिए एक पाइलट परियोजना कार्यान्वित की है। कृषकों के सामने आई पी एम के लाभ प्रदर्शित करने में यह परियोजना सफल हुई।

दसवीं योजनावधि के दौरान, बोर्ड ने प्रति हेक्टेयर ₹ 1500 की अनुमानित लागत पर फेरोमोण ट्राप्स, ट्राइकोडेर्मा, ट्राइकोग्रामा, नीम नाशकजीवनाशी जैसे जैव एजेंट और वर्मीकंपोस्ट यूनिटों के बीज वर्म्स निहित आई पी एम किटों की सप्लाई करते हुए आन्ध्रप्रदेश के गुण्टूर, वारंगल, करीम नगर, प्रकाशम और कर्णूल जिलों के अन्य गांवों में इसे दोहराया है। यह आई पी एम पैकेज़ की लागत का 50 प्रतिशत समाहित करता है। गैर सरकारी संगठनों की सहायता से इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाता है। तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने केलिए फार्मर्स फील्ड स्कूल चलाने व खेत के दौरे केलिए विस्तार स्टाफ को बनाए रखने में एन.जी.ओ. को सहायता दी गई।

ग्यारहवीं योजना के दौरान, बोर्ड ने कार्यक्रम का कार्यान्वयन अपने अधिकारियों की देखरेख में, बाहर से लिए गए तकनीकी सहायकों के जरिए जारी रखा। 2009-10 के दौरान, आन्ध्रप्रदेश के वारंगल, गुंटूर, प्रकाशम, करीम नगर और कर्णूल जिलों के 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में ₹ 0.947 करोड खर्च करके इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया।

मसालों का फसलोत्तर संवर्धन

i) मसाले सुखाने केलिए सिलपॉळिन शीटों का वितरण

कालीमिर्च, मिर्च, बीजीय मसाले और हल्दी जैसे मसालों को स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में सुखाने के लिए बोर्ड लघु एवं उपान्तिक कृषकों को सिलपॉळिन शीटों के वितरण केलिए इमदाद देता है। वर्ष 2009-10 के दौरान कालीमिर्च, मिर्च, अदरक एवं हल्दी के लघु एवं उपान्तिक कृषकों को ₹ 0.63 करोड के कुल खर्च में 5,385 सिलपॉळिन (साइज: 12 x 9 मी. - 120 जी एस एम) शीटों का वितरण किया गया।

ii) मसालों के गुणवत्ता संवर्धन केलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रमुख मसालों की अद्यतन गुणवत्ता-अपेक्षाओं तथा वैज्ञानिक फसलपूर्व/फसलोत्तर कार्रवाइयों तथा भण्डारण कार्यों से कृषकों, राज्य कृषि बागवानी विभागों के अधिकारियों, व्यापारियों, गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों को अवगत कराने केलिए बोर्ड नियमित रूप से गुणवत्ता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है।

वर्ष 2009-10 के दौरान 30,225 मसाले कृषकों को लाभान्वित करते हुए 465 केन्द्रों में तथा राज्य कृषि/बागवानी विभागों के 1820 अधिकारियों को लाभान्वित करके 28 केन्द्रों में तथा 148 व्यापारियों को लाभान्वित करके पाँच केन्द्रों में और एन जी ओ के 716 प्रतिनिधियों को लाभान्वित करते हुए 15 केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2,091 प्रतिभागियों को लाभान्वित करते हुए इक्कीस प्रादेशिक संगोष्ठियां भी आयोजित की गईं। उपरोक्त कार्यक्रम के अधीन 534 केन्द्रों में प्रशिक्षित कार्मिकों की कुल संख्या 35000 है। इसका बजट एच आर डी के अधीन आता है।

जैव खेती को बढ़ावा

अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर जैविक रूप से उत्पादित मसालों की आला विपणि तेज़ बढ़ रही है। इस क्षेत्र में जल्दी प्रवेश भारतीय मसालों की निर्यात-योग्यता और माँग बढ़ा देगा। साथ ही, जैविक तौर पर उत्पादित मसालों की उपलब्धता दक्षिण-पूर्व एशिया के कम लागत वाले देशों के साथ होड करने में हमारे देश केलिए सहायक होगी। जैव-फार्म निवेशों की अनुपलब्धता और फार्मों एवं प्रसंस्करण यूनिटों के जैव प्रमाणन की उच्च लागत जैव कृषि को बढ़ावा देने की दिशा के मुख्य व्यवधान हैं।

ग्यारहवीं योजना के दौरान मसालों के जैव उत्पादन के लिए कृषकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जैव खेत प्रमाणन सहायता, वर्मी कंपोस्ट यूनिटों की स्थापना केलिए सहायता, मसालों की जैव खेती को बढावा जैसे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

i) जैव खेत प्रमाणन

मसाले कृषकों/प्रसंस्करणकर्त्ताओं को जैव प्रमाणन प्राप्त करने में, जो जैव मसालों के विपणन हेतु एक पूर्वापेक्षा है, सहायता प्रदान करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है।

ग्यारहवीं योजना के दौरान, बोर्ड प्रमाणन लागत का 50 प्रतिशत बशर्तेकि अधिकतम ₹ 75,000 हो, प्रदान करते हुए कृषक दलों, गैर सरकारी संगठनों तथा कृषक सहकारी समितियों/संघों को अपने फार्मों/प्रसंस्करण यूनिटों के लिए प्रमाणन पाने में मदद कर रहा है। कृषक और प्रसंस्करणकर्त्ता व्यक्तिगत रूप से प्रमाणन की लागत के 50 प्रतिशत बशर्तेकि प्रति प्रमाणन अधिकतम ₹ 25,000 हो, का पात्र है। 2009-10 के दौरान 2,132 कृषकों को लाभान्वित करते हुए 2,287.81 हे. क्षेत्र को इसके अधीन लाया गया और 14 गैर सरकारी संगठनों /दलों तथा 13 व्यक्तिगत कृषकों को ₹ 0.101 करोड़ वितरित करते हुए सहायता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के अधीन पांच प्रसंस्करण यूनिटों को भी सहायता प्रदान की गई।

ii) केंचुआ कंपोस्ट यूनिटों केलिए सहायता

मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने तथा जैव उत्पादन का समर्थन करने केलिए जैव निवेशों का फार्म में ही उत्पादन करना आवश्यक है। कृषकों को जैव फार्म निवेश, खासकर केंचुआ कंपोस्ट तैयार करने में सक्षम बनाने हेतु एक टन केंचुआ कंपोस्ट आउट पुट सहित एक यूनिट स्थापित करने केलिए सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 2,000 दिए जाते हैं। 2009-10 के दौरान ₹ 0.206 करोड़ खर्च करके कुल 1,030 केंचुआ कंपोस्ट यूनिट स्थापित किए गए।

iii) मसालों की जैव-खेती

चूँकि जैव उत्पादों की विपणि में एक क्रमिक ऊर्ध्वगामी रुझान दिखाई दे रही है, उचित स्थानों पर मसालों की जैव खेती को बढावा देने की पर्याप्त गुंजाइश है। ग्यारहवीं योजना के दौरान, बोर्ड उत्पादन लागत के 12.5 प्रतिशत बशर्तेकि अधिकतम ₹ 5000 प्रति हेक्टेयर हो, की इमदाद देते हुए मसालों की जैव-खेती चलाने में कृषकों को सहायता दे रहा है। यह कार्यक्रम चुने हुए एन.जी.ओ. को ₹ 500 प्रति हेक्टेयर की दर पर प्रतिधारण-शुल्क देकर उनकी सहायता से कार्यान्वित किया गया। जैव प्रमाणन की लागत चुकाने केलिए ₹ 250 प्रति हेक्टेयर देने का प्रस्ताव है। इन खर्चों को इमदाद की कुल राशि से घटाया जाएगा और लाभग्राहियों को बाकी का ही भुगतान किया जाएगा।

वर्ष 2009-10 के दौरान, ₹ 0.31 करोड़ की इमदाद प्रदान करते हुए 600 हेक्टेयर क्षेत्र में, जैसेकि अरुणाचल प्रदेश में नागा मिर्च, धारवार, कर्नाटक में ब्याडगी मिर्च और गुजरात में बीजीय मसाले जैसे मसालों की जैव खेती चलाई गई।

विस्तार सलाहकार सेवा

कृषकों को मसालों के उत्पादन संबन्धी तकनीकी जानकारी प्रदान करना उत्पादकता बढाने का महत्वपूर्ण तत्व है। यह कार्यक्रम, उत्पादकता बढाने केलिए वैयक्तिक संपर्क, क्षेत्र दौरे, सामूहिक बैठकों और देशी-भाषाओं के साहित्य के ज़रिए खेती के वैज्ञानिक पहलुओं पर उत्पादकों को तकनीकी/विस्तार सहायता देने और केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों में इलायची की गुणवत्ता सुधारने, सिक्किम व पश्चिम बंगाल राज्यों में बडी इलायची और उत्तरपूर्व तथा देशभर के छोटे-छोटे इलाकों के चुने हुए मसालों के विकास पर ज़ोर देता है।

विस्तार सलाहकार सेवा के अलावा, इस विस्तारण नेटवर्क के ज़रिए बोर्ड की उत्पादन व फसलोत्तर संबन्धी योजनाओं, नामतः इलायची बागानों के पुनरोपण और पुनर्युवन केलिए विशेष प्रयोजन निधि और मसालों के निर्यातोन्मुख उत्पादन व फसलोत्तर संवर्धन योजना, का कार्यान्वनय किया जाता है।

विकास विभाग के स्टाफ के वेतन व भत्ते, उनकी यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, गाडी का खर्च, कार्यालय स्थापना और अन्य आकस्मिक व्यय, ये सब इस कार्यक्रम के अधीन चुकाए जाते हैं।

वर्ष 2009-10 के दौरान, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में छोटी इलायची केलिए कुल 24,756 दौरे और 1,964 बैठकें, बडी इलायची केलिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंङ में 9,181 दौरे व 312 बैठकें तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में 5,133 दौरे और 285 बैठकें आयोजित किए गए। 2009-10 के दौरान इस योजना के अधीन ₹ 9.928 करोड खर्च किए गए।

5. निर्यात विकास एवं संवर्धन

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य भारत से मसालों व मसाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। बोर्ड के विपणन विभाग द्वारा निर्यात विकास एवं संवर्धन कार्यक्रमों को रूपायित व कार्यान्वित किया जाता है। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य, भारतीय मसालों केलिए निर्यात विपणि बढ़ाने और बनाए रखने में आवश्यक प्रतिस्पर्धात्मक-अग्रता से सज्जित रहने केलिए निर्यातकों को सक्षम बनाना है। बोर्ड के विपणि विकास कार्यों का लक्ष्य गुणवत्ता, मूल्य योजन एवं प्रौद्योगिकी अंतरण/उन्नयन है। बोर्ड के गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रमों से मसाला निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप क्षमताएँ अर्जित करने में मदद मिली है। विपणि क्रियाकलापों में नीलाम प्रणाली के ज़रिए इलायची के घरेलू विपणन का नियमन भी शामिल है।

अनुज्ञप्तीकरण एवं रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के नियामक कार्यों का भाग है। मसालों का निर्यात स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण) विनियम 1989 के ज़रिए नियमित हैं जबकि इलायची का घरेलू विपणन इलायची (अनुज्ञप्तीकरण व विपणन) नियम 1987 के ज़रिए नियमित है। इन नियमों के अनुसार इलायची का व्यापार करने में इच्छुक किसी भी व्यक्ति को बोर्ड से नीलामकर्त्ता या ब्यौहारी के रूप में लाइसेंस प्राप्त करना है। मसालों के निर्यातकों को बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना है। ये प्रमाणपत्र/लाइसेंस सितंबर से शुरू होनेवाले तीन सालों की एक खण्ड अवधि केलिए जारी किए जाते हैं।

क्रेता देशों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देश निर्यातकों को लगातार प्रदान किए जाते हैं। विपणि अध्ययन चलाकर विभिन्न विपणियों में उभरनेवाले अवसरों, खाद्य व खाद्येतर क्षेत्र के नए प्रयोगों व उपयोगों पर अद्यतन सूचना भी निर्यातकों को प्रदान की जाती है।

हाई-टेक एवं तकनोलजी उन्नयन अपनाना

अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मांग के अनुरूप उच्च मूल्य प्राप्ति तथा खाद्य सुरक्षा एवं उत्पाद के गुणवत्ता मानकों का उन्नयन सुनिश्चित करने केलिए नूतन प्रौद्योगिकी के ज़रिए मसाला प्रसंस्करण में उच्चतर मूल्य योजन को बढ़ावा देने केलिए यह कार्यक्रम निर्यातकों को मसाला प्रसंस्करण और अपनी मौजूदा तकनीकी/सुविधाओं के उन्नयन में हाई-टेक अपनाने केलिए सहायता-अनुदान प्रदान करता है। सहायता की सीमा सामान्य क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण व पैकिंग के मशीनरी/उपस्कर, विद्युत संस्थापन की लागत के 33 प्रतिशत की दर तक, अधिकतम ₹ 1.00 करोड प्रति लाभग्राही और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित विशेष क्षेत्रों केलिए लागत के 50 प्रतिशत या ₹ 2.00 करोड, जो भी कम हो, है। तकनीकी उन्नयन की योजना भी विदेशी क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप उच्चतम मूल्य योजन और गुणवत्ता मानकों के उत्पादों के निर्माण केलिए निर्यातकों को अपनी मौजूदा प्रसंस्करण/पैकिंग सुविधाओं के उन्नयन केलिए समान स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, 15 निर्यातकों को मसाला प्रसंस्करण में हाई-टेक अपनाने और प्रसंस्करण यूनिटों के उन्नयन केलिए ₹ 396.90 लाख की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन

यह कार्यक्रम उन निर्यातकों के सहायतार्थ है जो नाशकजीवनाशी अवशेषों, एफ्लाटोक्सिन, भौतिक, रासायनिक एवं सूक्ष्म जैविक संदूषणों की पहचान सहित उत्पादों की गुणवत्ता पर विभिन्न पैरामीटरों के विश्लेषण की सुविधाएँ स्थापित करने केलिए इन-हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालों की स्थापना/उन्नयन करना चाहते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन केलिए

सहायता प्रयोगशाला उपस्कर/उपकरण, काँच के बरतन, प्रयोगशाला फर्नीचर तथा विद्युत संस्थापनों सहित अन्य उपसाधनों व परामर्श चार्जों की लगत के 33 प्रतिशत तक सीमित है। 2009-10 के दौरान सात निर्यातकों ने यह सुविधा प्राप्त की, कुल सहायता-अनुदान ₹ 31.30 लाख का रहा।

गुणवत्ता प्रमाणन, जाँच नमूनों के विधिमान्यकरण और प्रयोगशाला कार्मिकों का प्रशिक्षण

स्पाइसेस बोर्ड मसाला निर्यातकों को अपने यूनिटों में आई एस ओ, एच ए सी सी पी सरीखे तथा समान गुणवत्ता प्रमाणन गुणवत्ता प्रणालियाँ अपनाने में मदद करता है। बोर्ड विदेशी प्रयोगशालाओं में विधिमान्यकरण/मानकीकरण केलिए विश्लेषण शुल्क और अधिमान्यतः यू एस एफ डी ए, ई यू आदि द्वारा अनुमोदित विख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में निर्यातकों के प्रयोगशाला-कार्मिकों की तकनीकी जानकारी के उन्नयन के शुल्क/खर्च की लागत केलिए भी सहायता देगा। यह सहायता खर्च के 33 प्रतिशत तक सीमित है। 2009-10 के दौरान गुणवत्ता प्रमाणन के अधीन तीन निर्यातकों को कुल ₹ 1.18 लाख की सहायता प्रदान की गई।

व्यापार नमूनों को विदेश भेजना

नमूनों के आधार पर लेनदेन को अंतिम रूप देने और व्यवहार में अधिक स्पष्टता लाने और गुणवत्ता पहलुओं पर व्यापार मुठभेड की संभावना को हटाने केलिए भी, नमूनों का प्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और बोर्ड मसालों व मसाले उत्पादों के व्यापार नमूनों को विदेश भेजने केलिए सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के अधीन, मसाला भवन प्रमाणपत्र/स्पाइसेस बोर्ड लॉगो धारक मसालों के रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता निर्यातकों या जैव मसालों के प्रमाणित कृषक निर्यातकों तथा रजिस्ट्रीकृत ब्रैण्ड निर्यातकों को बोर्ड प्रतिवर्ष अधिकतम ₹ 50,000 की प्रतिपूर्ति करेगा। 2009-10 के दौरान, बोर्ड ने 25 मसाला निर्यातकों को कुल ₹ 7.72 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की।

उन्नयन साहित्य/विवरण पुस्तिकाओं का मुद्रण

बोर्ड द्वारा अपने प्रत्याशित विदेशी खरीददारों को प्रदान किए जानेवाले उत्पादों व सेवाओं को तथा निर्यातकों की सक्षमता व क्षमताओं से उनसे परिचित करानेवाले उन्नयन साहित्य/विवरण पुस्तिकाओं के मुद्रण, वीडियो फिल्म/सी.डी., अन्य इलेक्ट्रॉणिक रूपों का समर्थन किया जाता है। बोर्ड/जैव प्रमाणन के साथ रजिस्ट्रीकृत एस एच सी / लॉगो /ब्रैण्ड वाले मसाले / मसाले उत्पादों के योग्य निर्यातक यह सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। वित्तीय सहायता खर्च के 50 प्रतिशत की दर से, अधिक से अधिक ₹ 2.00 लाख प्रति विवरण पुस्तिका तक प्रदान की जाती है। निर्यात को बढावा देने के लिए यह सहायता पाने हेतु निर्यातकों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें इस योजना के विवरण प्रदान किए गए हैं। 2009-10 के दौरान बोर्ड ने दो मसाला निर्यातकों के लिए ₹ 3.97 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की।

पैकेजिङ विकास और बार कोडिंग रजिस्ट्रीकरण

इस कार्यक्रम के अधीन विदेशी विपणियों में भारतीय मसालों के शेल्फ लाइफ बढ़ाने, भण्डारण जगह कम करने, अपनी अलग पहचान स्थापित करने और बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए वर्तमान पैकेजिङ का संवर्धन करने तथा आधुनिक पैकेजिङ विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। सभी रजिस्ट्रीकृत निर्यातक यह सहायता पाने के पात्र हैं। यह सहायता पैकेजिङ विकास और बार कोडिंग रजिस्ट्रीकरण की लागत के पचास प्रतिशत, बशर्तेकि प्रतिवर्ष प्रति निर्यातक ₹ 1.00 लाख तक, की रहेगी।

विपणि विकास सहायता (एम डी ए)

पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 15.00 करोड़ तक के एफ.ओ.बी मूल्य के निर्यातवाली निर्यात-कंपनियाँ प्रारंभिक दौर पर भारत से अपने विनिर्दिष्ट उत्पादों/पण्यों के निर्यात केलिए विपणियां ढूँढ निकालने हेतु व्यापार प्रयोजनों/बी.एस.एम./मेलों/विदेशी प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता लेने केलिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एम डी ए मार्गनिर्देशों के अधीन सहायता के पात्र हैं। यह सहायता, पात्र

मसाला निर्यातकों को उच्चतम सीमा के अधीन प्रति दौरा इकोनमी/एक्सकर्शन क्लास का हवाई भाडा और, या तैयारशुदा स्टॉल के चार्ज के लिए है। 2009-10 के दौरान इस योजना के अधीन बोर्ड ने 13 निर्यातकों को ₹ 8.64 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की।

ब्रैण्ड संवर्धन ऋण योजना

इस कार्यक्रम के अधीन चुने गए आउटलेटों तथा विदेश के चयनित स्थानों में विनिर्दिष्ट ब्रैण्डों को स्थान दिलाने और ब्रैण्ड निर्माण केलिए मीडिया उन्नयन, विदेश को संवर्धनात्मक यात्राएं और अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभागिता जैसे ज़रूरी संवर्धनात्मक कार्य चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

वर्ष 2009-10 के दौरान इस योजना के अधीन एक निर्यातक को ₹ 80.00 लाख वितरित किए गए।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-मेलों/प्रदर्शनियों में निर्यातकों की प्रतिभागिता केलिए सहायता-अनुदान

इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तिगत निर्यातकों को, जिन्हें बोर्ड द्वारा जारी भारतीय मसाला लॉगो/मसाला भवन प्रमाणपत्र प्राप्त है/ जैव मसालों के प्रमाणित कृषकों, जैव मसाले निर्यातकों और उन निर्यातकों को जिनका ब्रैंड नाम बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत है, वित्तीय सहायता देना है।

यह सहायता व्यापार मेले के दौरे केलिए हवाई भाडे (इकोनमी एक्सकर्शन क्लास) की प्रतिपूर्ति के रूप में लॉगो/एस एच सी धारकों केलिए प्रतिवर्ष प्रति निर्यातक अधिक से अधिक ₹ 60,000 और रजिस्ट्रीकृत ब्रैण्ड और जैव प्रमाण पत्र धारकों केलिए ₹ 40,000 तक है। स्वतन्त्र स्टॉल किराए पर लेने के मामले में सहायता की सीमा लागत का 50 प्रतिशत, अधिक से अधिक ₹ 1.00 लाख प्रति निर्यातक होगी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, योजना के अधीन ग्यारह निर्यातकों को ₹ 3.61 लाख की राशि वितरित की गई।

अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/सेमिनारों और शिष्टमण्डलों में निर्यातकों की प्रतिभागिता

निर्यातक संघों/फोरम के योग्य प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/सेमिनारों/शिष्टमण्लों में भाग लेने केलिए अपने हवाई भाडे (इकोनमी/एक्सकर्शन क्लास) के 50 प्रतिशत तक की, अधिक से अधिक ₹ 1.50 लाख प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष, सहायता दी जाती है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विपणन विकास कार्यक्रम

बोर्ड ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के चुने हुए राज्यों में संबन्धित राज्य सरकारों व मेसर्स आई टी सी लिमिटेड, गुण्टूर के सहयोग से विकास कार्यक्रम शुरू किया है। तदनुसार, नागालैण्ड राज्य सरकार, आई टी सी लि. और बोर्ड के बीच नागा मिर्च और राज्य में बढने वाले अन्य मसालों के विकास के लिए 20-10-2007 को एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किया गया है। मेघालय और सिक्किम के विषय में यह समझौता-ज्ञापन विचाराधीन है।

भारतीय मसाला लॉगो

मसालों की गुणवत्ता का बयान देने वाला भारतीय मसाला लॉगो मसालों के विनिर्माता निर्यातकों को प्रदान किया जाता है और यह लॉगो प्रमुख विदेशी राष्ट्रों में रजिस्ट्रीकृत है। सरकार द्वारा अनुमोदित नए संशोधनों के मुताबिक, विनिर्माताओं को अपने पैकों के लिए लॉगो प्राप्त करने के सक्षम बनाने के लिए, किसी भी यूनिट वजन वाले पैकों केलिए लॉगो प्रदान किया जा सकता है। लॉगो धारक अपने उपभोक्ता पैकों पर 'भारतीयता और गुणवत्ता' के संकेत के रूप में गुणवत्ता का यह प्रतीक लगा सकता है।

मसाला भवन प्रमाणपत्र

मसाला भवन प्रमाणपत्र उन निर्यातकों को दिया जाता है जिन्होंने सफाई, प्रसंस्करण, ग्रेडिंङ, पैकेजिङ, वेअरहाउसिंग एवं गुणवत्ता आश्वासन केलिए अपेक्षित सुविधाएं स्थापित की हैं। केवल वे ही निर्यातक, जिन्होंने आई एस ओ एवं एच ए सी सी पी/जी एम पी प्रमाणपत्र अर्जित किये है, मसाला भवन प्रमाणपत्र के पात्र हैं। बोर्ड ने मसाला भवन प्रमाणपत्र के नवीकरण और पात्र निर्यातकों को नया प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य जारी रखा। 36 यूनिटों को अब मसाला भवन प्रमाणपत्र प्राप्त हैं।

ब्रैंड नाम का रजिस्ट्रीकरण

इस कार्यक्रम, नामतः, ब्रैंडनाम का रजिस्ट्रीकरण का लक्ष्य भारतीय ब्रैंड नामों के अधीन उपभोक्ता पैकों में मसाले/मसाले उत्पादों के निर्यात का समर्थन करना और ब्रैण्डेड उपभोक्ता पैकों की तीव्र गति से बढ़ती विपणि में स्थान प्राप्त करना है। बोर्ड ने भारतीय पैकेजिङ संस्थान से परामर्श करके विभिन्न यूनिट वज़नोंवाले विविध मसालों केलिए पैकेजिङ स्तर विनिर्दिष्ट किए हैं। वर्तमान तौर पर 48 निर्यातकों ने बोर्ड के साथ अपने ब्रैंड का रजिस्ट्रीकरण किया है।

उत्पाद विकास और अनुसंधान

इस कार्यक्रम के अधीन निर्यातकों/अनुसंधान संस्थाओं को मसालों पर आधारित उत्पाद अनुसंधान और विकास चलाने केलिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें नए उत्पादों का विकास, नैदानिक जाँच और नए उत्पादों के लिए निर्यातार्थ पेटेन्ट पाना शामिल होंगे। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दो निर्यातकों को ₹ 4.75 लाख प्रदान किए गए।

इलायची की इलेक्ट्रॉणिक नीलाम प्रणाली

बोर्ड ने केरल व तमिलनाडु में जो देश में छोटी इलायची का 80 प्रतिशत उत्पादन करते हैं, छोटी इलायची केलिए हस्तचालित प्रणाली के स्थान पर 2007-08 में इलेक्ट्रॉणिक नीलाम (इ-नीलाम) प्रणाली शुरू की। इ-नीलाम ने लेन-देन में अधिक पारदर्शिता लाई है तथा कृषकों केलिए प्रतियोगी मूल्य सुनिश्चित किया है। सभी पणधारियों को संतुष्ट करके यह प्रणाली सफल ढंग से चालू रही।

प्रमुख मसाला उत्पाद/विपणन केन्द्रों में मसाला पार्क

स्पाइसेस बोर्ड ने प्रमुख मसाला उत्पादक/विपणन केन्द्रों में मसाला पार्कों की संकल्पना पेश की है। ये मसाला पार्क मसालों के शुष्कन, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण (ग्राइंडिग, क्रषिंग आदि), निर्जलीकरण, छंटाई, पैकिंङ और भण्डारण की सुविधाएँ प्रदान करेंगे। ये पार्क कृषि इलाकों के पास शुष्कन और पैकिङ सुविधाओं सहित न्यूनतम प्रसंस्करण सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। कृषकों से प्रसंस्करणकर्त्ता/निर्यातकों तक मसालों की अनुरेखणीयता का पूरा दस्तावेजन इन पार्कों से प्रत्याशित अन्य लाभ है। वितरण श्रृंखला की एक-दो कडियाँ दूर करने से कृषकों को उच्च मूल्य सुनिश्चित हो जाएगा, और उनका शक्तिकरण होगा। बोर्ड ने सात जगहों पर स्पाइसेस पार्क स्थापित करने की पहल की है। मसाला पार्क स्थापित करने हेतु प्रस्तावित केन्द्र और उनसे संबन्धित स्थिति निम्नानुसार हैः-

छिन्दवाडा, मध्यप्रदेश

बोर्ड ने लहसुन निर्जलीकरण व हरी मिर्च निष्कर्षण प्लाँट की स्थापना केलिए छिन्दवाडा में 9.34 एकड ज़मीन खरीद ली है। पार्क का निर्माणकार्य मेसर्स. किट्को लि., कोचीन द्वारा 15-6-2007 को शुरू किया गया। लहसुन निर्जलीकरण यूनिट का उद्घाटन

माह फरवरी 2009 को किया गया। मकानों का निर्माण किया गया और प्याज, स्पिनैश, गाजर जैसी सब्जियों के निर्जलीकरण के लिए मशीनें स्थापित करके चालू की गईं। हरी मिर्च निष्कर्षण प्लॉट का निर्माण कार्य जारी है।

इडुक्की जिला, केरल: मसाला पार्क की स्थापना के लिए बोर्ड और केरल सरकार के प्रतिनिधि किन्फ्रा के साथ 13-2-2007 को समझौता ज्ञापन बनाया गया। मसाला पार्क की स्थापना के लिए केरल सरकार द्वारा जमीन के आबंटन में देरी होने की वजह से स्पाइसेस बोर्ड ने आवश्यक सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए एक कार्डमम् कॉम्पलेक्स (मसाला पार्क) स्थापित करने के लिए सी डी एफ ट्रस्ट से 30 वर्ष के लिए पुट्टडी, इडुक्की जिला में 12.5 एकड ज़मीन पट्टे पर ली। ₹ 12.47 करोड की कुल लागत पर परियोजना का परामर्श कार्य मेसर्स किट्को लि. को सौंपा गया। इस कॉप्लेक्स में इलायची और कालीमिर्च केलिए प्री क्लीनर, डी स्टोनर, स्टीम वैशिंग, स्टीम स्टेरीलाइसेशन, ग्राइण्डिंग, क्रषिंग और पैकिंग सुविधाएँ हैं। गोदाम, वेयब्रिज जैसी सुविधाएँ भी प्रदान की जाती है। एक सामान्य इलायची इ-नीलाम केन्द्र भी स्थापित है।

गुण्टूर, आन्ध्रप्रदेश: आन्ध्रप्रदेश सरकार ने ₹ 62.39 लाख की लागत पर मसाला पार्क की स्थापना के लिए गुण्टूर जिले के बेंकायलप्पाडु और मैदावोलु गाँव में स्पाइसेस बोर्ड केलिए 124.78 एकड ज़मीन का आंबटन किया है। इसका शिलान्यास स्वर्गीय डॉ. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी, माननीय मुख्यमन्त्री, आन्ध्रप्रदेश ने 21-8-2008 को किया था। बोर्ड ने पार्क तथा पार्क में प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना केलिए उद्यमियों तथा परामर्शदाताओं से 'एक्स्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट' आमन्त्रित किया था। मेसर्स फीयट टेकनिकल सर्वीसस, कोचीन को ₹ 38.97 लाख की लागत पर मास्टर प्लान अभिकल्पना और विस्तृत इंजिनीयरी, प्रबन्धन और निर्माण कार्य का अधिवीक्षण सहित पेशेवर परामर्श सेवा का कार्य सौंपा गया। भीतरी सडक, ड्रेइन, दीवार और मसाला पार्क की ज़मीन का फेन्सिग आदि का प्रारंभिक सिविल निर्माण कार्य ₹ 8.56 करोड की लागत पर 26 अक्तूबर, 2009 को मेसर्स राघव कन्स्ट्रक्शन्स, हैदराबाद को दिया गया और कार्य पूरा करने की समयावधि 18 महीनों की है। विनिर्माण/ प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने केलिए निर्यातकों को ज़मीन के आबंटन पर निर्णय बोर्ड को प्राप्त ई ओ यू के आधार पर जल्दी ही लिया जाएगा।

शिवगंगा, तमिलनाडु: बोर्ड ने शिवगंगा में मसाला पार्क स्थापित करने केलिए ₹ 48,85,440 की लागत पर तमिलनाडु सरकार से 72.73 एकड ज़मीन प्राप्त किया है। श्री. पी. चिदंबरं, माननीय वित्त मंत्री ने 23-8-2008 को इसका शिलान्यास किया है। कृषक, व्यापारीगण, निर्यातक, सरकारी एजन्सियाँ, वित्तीय संगठन जैसे मसाले उद्योग के पणधारियों की बैठक मार्च 2009 को शिवगंगा और विरुदुनगर में आयोजित की गई। मेसर्स किट्को लि., कोचीन को मसाला पार्क की स्थापना का परामर्शदाता नियुक्त किया गया और इसका मास्टर प्लान तैयार है। मेसर्स किट्को ने निविदाएं आमन्त्रित की और निर्माण कार्य प्रदान किया जा रहा है।

जोधपुर, राजस्थान: स्पाइसेस बोर्ड ने मसाला पार्क की स्थापना केलिए राजस्थान के जोधपुर जिले के रामपुरा भाटिया गाँव में 60 एकड ज़मीन प्राप्त किया है। मेसर्स किट्को को इस कार्य के परामर्शदाता बतौर नियुक्त किया गया है। निविदा के आधार पर ₹ 11,94,97,730 का आरंभिक अवसंरचनात्मक निर्माण कार्य मेसर्स साउथ इण्डियन कन्स्ट्रक्शन्स को दिया गया। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

झालावाड, राजस्थान: राजस्थान सरकार ने बोर्ड के लिए झालार-पाटन गाँव में 68.28 एकड ज़मीन निशुल्क रखा है। इसके दौरान क्षेत्र की उपयुक्तता पर विचार करते हुए राजस्थान सरकार ने ओसियान तालुका के रामपुरा भाटिया में लगभग 100 एकड की दूसरी ज़मीन आबंटित की और बोर्ड ने जून 2009 को इसका उपार्जन किया। उच्च उपजाऊ रोपण सामग्रियों के उत्पादन, प्रदर्शन खण्डों का आरंभिक कार्य जारी है।

मेहसाना, गुजरात: गुजरात सरकार ने वीसनगर तालुका के मोजे तारबाई में 166 एकड ज़मीन बोर्ड को दिया है। बोर्ड ने ₹ 4,78,22,405 का भुगतान किया है और बोर्ड ज़मीन के औपचारिक आबंटन के पुष्टिकरण की प्रतीक्षा में है।

क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्याँकन प्रयोगशालाएं

बोर्ड, निर्यातक समुदाय को अपने निर्यात-उत्पादों का विश्लेषण करने तथा अपने विदेशी क्रेताओं द्वारा निर्धारित गुणवत्ता प्रतिमानों को सुनिश्चित करने में, जिससे गुणवत्ता पहलुओं पर क्रेता देशों के उपभोक्ताओं का विश्वास बढेगा, सहायता प्रदान करने केलिए विभिन्न केन्द्रों में क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्याँकन तथा प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का प्रस्ताव किया है। गुण्टूर की प्रयोगशाला चालू हो गई है। चेन्नई, दिल्ली, कोलकत्ता, तुत्तुकुडी और कण्ड्ला ऐसे अन्य केन्द्र हैं, जहाँ गुणवत्ता मूल्याँकन प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य जारी हैं। बोर्ड ने चेन्नई और दिल्ली में अपनी प्रयोगशालाओं के लिए सिपकोट (SIPCOT), चेन्नई से गुम्मिडिपूण्डी में दो एकड और दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली से नरेला में 936 वर्ग मीटर जमीन, क्रमशः ₹ 40.00 लाख और ₹ 70.73 लाख की लागत पर प्राप्त की है। दिल्ली, चेन्नई और तूत्तिकोरिन में प्रयोगशालाएँ 2010 के अंत तक कार्यरत हो जाएगी। कोलकत्ता और काण्डला की प्रयोगशालाएँ 2011 के मध्य तक पूरी हो जाने की प्रतीक्षा है।

अनुज्ञप्तीकरण और रजिस्ट्रीकरण

अनुज्ञप्तीकरण और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के नियामक कार्यों के अंग हैं। मसालों के निर्यात का नियमन स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का रजिस्ट्रीकरण) विनियम 1989 और इलायची के घरेलू विपणन का नियमन इलायची (अनुज्ञप्तीकरण और विपणन) नियम 1987 द्वारा किया जाता है। उपरोक्त विनियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तीन सालों की एक खण्ड अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। नई खण्ड अवधि 2008-2011, 1-9-2008 को शुरू हुई। जैसेकि 31-3-2010 को है, बोर्ड ने निम्नानुसार प्रमाणपत्रों /अनुज्ञप्तियों का वितरण किया:-

1.	मसालों के निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र	2568
2.	ब्यौहारी अनुज्ञप्ति-छोटी इलायची और बडी इलायची	743
3.	नीलामकर्त्ता लाइसेंस	12

'सुडान डाई' और एफ्लाटोक्सिन नमूनन और परीक्षण

सुडान डाई (I-IV) और एफ्लाटोक्सिन की जाँच के लिए मिर्च/मिर्च उत्पादों/मिर्च वाले खाद्य उत्पादों के निर्यात परेषणों का अनिवार्य नमूनन और परीक्षण रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भी जारी रहा। चुने गए गन्तव्य स्थानों के लिए हल्दी पाउडर में सुडान डाई (I-IV) का अनिवार्य परीक्षण भी जारी रखा गया। कोचीन तथा मुम्बई स्थित बोर्ड की गुणवत्ता मूल्याँकन प्रयोगशालाओं में नमूनों की प्राप्ति के 24 घण्टों के भीतर उनका विश्लेषण पूरा किया जाता है और परिणाम तत्काल फैक्स कर दिए जाते हैं। निर्यातकों की नौवहन अनुसूची के अनुसार जाँच किए गए लाटों का भरण-अधीक्षण भी किया जाता है। 2009-10 के दौरान, कुल 19,900 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय बैठकें और संगोष्ठियाँ

आई पी सी बैठकें

अन्तर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय का 37 वां वार्षिक सत्र बेलेम, पारा, ब्रेज़ील में 30 नवंबर 2009 - 4 दिसंबर 2009 के दौरान आयोजित किया गया। अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने, जो भारत सरकार का पूर्णाधिकार प्राप्त प्रतिनिधि था सत्र में प्रतिनिधित्व किया। निदेशक (विपणन) ने ब्रेज़ील गए भारतीय कालीमिर्च निर्यातक शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। सत्र के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष को एक साल की अवधि केलिए अन्तर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। आई पी सी बैठक के 38 वाँ वार्षिक सत्र का आयोजन नवंबर 2010 में कोचीन में करने का निर्णय भी लिया गया।

आस्टा 2009 वार्षिक बैठक

आस्टा 2009 वार्षिक बैठक और व्यापार प्रदर्शन अप्रैल 26-29, 2009 के दौरान अरिज़ोना, यू एस ए में आयोजित किए गए। वार्षिक बैठक में प्रमुख कारोबार सूचनाओं तथा नेटवर्किंग अवसरों, तमाम उद्योग संबन्धी मामलों जैसेकि खाद्य सुरक्षा, प्रतिमान, मसालों के स्वास्थ्य लाभ, स्वाद एवं सुवास के रुख और ग्लोबलीकरण के प्रभाव पर चर्चा हुई। अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने आस्टा बैठक, अरिज़ोना, यू एस ए में भाग लिया।

विश्व मसाला काँग्रेस

10 वीं विश्व मसाला काँग्रेस, फरवरी 3-5, 2010 के दौरान होटल हयात रीजेन्सी, नई दिल्ली में सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित की गई। काँग्रेस की विषय वस्तु "वैश्विक आकांक्षाएँ - भारत का समाधान" थी। श्री ज्योतिरादित्य एम. सिन्धिया, माननीय संघ वाणिज्य राज्य मन्त्री ने काँग्रेस का उद्घाटन किया। श्री टी. नन्दकुमार, सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

काँग्रेस में 38 देशों से आए 163 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और 291 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों की यह भागीदारी एक रेकार्ड था। भौगोलिक कृषि मामले और भारत (सत्र 1), फसल रिपोर्ट (सत्र 2) और खाद्य सुरक्षा और मसाले - पणधारियों का मुक्त सत्र (सत्र 3) पर कारोबार सत्र काँग्रेस के मुख्य मुद्दे थे। यूरोपियन फूड्स स्टैन्डर्ड्स एथोरिटी, यू एस एफ डी ए, फूड कण्ट्रोल एथोरिटी दक्षिण अफ्रीका, आस्टा, आई ओ एस टी ए, यूरोपियन फूड सेफ्टी, यूरोपियन स्पाइस ट्रेड, मक्कोर्मिक यू एस ए और भारत से आए व्यापार प्रतिनिधियों ने उपरोक्त विषयों पर पर्चे प्रस्तुत किए। ग्वाटिमाला व्यापार से एक विशेष अतिथि ने भी इस समारोह में भाग लिया।

इन्टरनैशनल ओरगनाइज़ेशन ऑफ स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन्स (आई ओ एस टी ए)

द इन्टरनैशनल ओरगनाइज़ेशन ऑफ स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन्स का गठन दुनिया भर के मसाला संघों से किया गया है, जिसके सदस्य नियमित रूप से मिलकर मसाला उद्योग से जुडी बातों पर चर्चा करते हैं।

सामान्य समस्याओं पर विचार करने तथा मसाला उद्योग का टिकाऊपन सुनिश्चित करने हेतु युक्तियुक्त समाधान ढूँढ लेने तथा दुनिया भर के मसाला संघों को एकसूत्र में बाँधने केलिए आई ओ एस टी ए ने 2009-10 के दौरान दो बार, (1) अप्रैल 2009 में यू एस ए के अरिज़ोना में आयोजित आस्टा सम्मेलन में और (2) फरवरी 2010 में दिल्ली में आयोजित विश्व मसाला काँग्रेस में मिला। आई ओ एस टी ए द्वारा एक अच्छी कृषि प्रणाली मार्ग-दर्शिका तैयार की गई है, जिसका मसालों की खेती और कटाई में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना है।

इसका मुख्यालय कोचीन में, जो स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय से संबद्ध है, चालू करने का निर्णय भी लिया गया।

अन्य निर्यात संवर्धन कार्यकलाप

2009-10 के दौरान, मसालों तथा मसाले उत्पादों केलिए 157 विदेशी व्यापार पूछताछें तथा 307 देशी व्यापार पूछताछें प्राप्त हुई और इन पूछताछों के जवाब निर्यातकों के संपर्क विवरण सहित दिए गए। इन पूछताछों का समाकलन करके फोरिन ट्रेड एनक्वयरीज़ बुलेटिन में प्रकाशन किया गया।

मसालों से संबन्धित मुख्य अधिसूचनाओं का संग्रहण किया गया और 'स्पाइसेस मार्केट' प्रकाशन के ज़रिए व्यापार केलिए वितरित की गई।

संयुक्त कार्य दल बैठकों/शिष्टमण्डलों आदि के लिए रूस, कनाडा, कसाखस्थान, यू एस ए, ई यू, उक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, मेक्सिको, जापान, चिली, चीन, एल ए सी, तानसानिया और अफ्रीकी प्रान्तों के मसालों के देश विनिर्दिष्ट निर्यात विश्लेषण भी तैयार किए गए।

मसाला व्यापार की ओर से वर्ष 2010-11 के बजट-पूर्व प्रस्तावों पर सुझावों का समाकलन और संग्रहण करके मंत्रालय और अन्य सरकारी संगठनों को प्रदान किया गया।

मशीनरी विनिर्माताओं से संबन्धित विवरण संगृहीत करके बोर्ड की वेबसाइट की सूचना अद्यतन बनाई गई।

बोर्ड ने मसाले निर्यातकों तथा आयातकों के बीच के विवादों/शिकायतों के समाधान की अपनी कोशिशें जारी रखी। प्राप्त शिकायतों की जाँच की गई और संबन्धित व्यक्तियों, आयातकों तथा राजदूतावासों के पास मैत्रीपूर्ण निपटान हेतु प्रस्तुत की गई।

एफ आई ई ओ, सी आई आई, एफ आई सी सी आई, आस्टा, असोचेम, के एम ए, ए आई एम ए, आई टी पी ओ, इण्डो-अमेरिकन चेम्बर ऑफ कॉमर्स, इण्डो-चाइना चेम्बर ऑफ कॉमर्स, इण्डो-जर्मन चेम्बर ऑफ कॉमर्स, इण्डियन काउनसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, इण्डियन हैबिटैट सेन्टर, केरल प्रोडक्टिविटि काउनसिल आदि की सदस्यता जारी रखी गई।

मसालों का भौगोलिक संसूचना रजिस्ट्रीकरण

सामग्रियों का भौगोलिक संसूचना (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 का उद्देश्य भारत की सामग्रियों से जुडी भौगोलिक संसूचनाओं के रजिस्ट्रीकरण और बेहतर संरक्षण का उपबन्ध बनाना है। यह एक सुनिश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होनेवाली सामग्रियों की संसूचना है। कार्षिक, प्राकृतिक या निर्मित सामग्रियों को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है; सामग्री उस क्षेत्र में विनिर्मित, उत्पादित या प्रसंस्कृत या तैयार की गई और खास गुणवत्ता या मान्यताप्राप्त होनी चाहिए। इस रजिस्ट्रीकरण का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय भौगोलिक संसूचनाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है, जिसके परिणामस्वरूप इससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। भौगोलिक संसूचनाओं का रजिस्ट्रीकरण भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित सामग्रियों के उत्पादकों की आर्थिक स्थिति का उन्नयन करता है।

बोर्ड ने मलबार कालीमिर्च, आलप्पी ग्रीन कार्डमम् और कूर्ग ग्रीन कार्डमम् केलिए जी आई रजिस्ट्रीकरण पाया है। ब्यादगी मिर्च और गुण्टूर सन्नम मिर्च केलिए जी आई रजिस्ट्रीकरण अन्तिम दौर पर है। बोर्ड ने ईरोडु हल्दी को रजिस्टर करने की भी पहल की है।

6. गुणवत्ता सुधार

बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला 1989 में स्थापित है। 1997 में आई एस ओ 9001 : 2000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और 1999 में आई एस ओ 14001 : 2004 पर्यावरण - प्रबंधन प्रणाली के अधीन ब्रिटीश स्टैंडर्ड्स इन्स्टिट्यूशन, यू.के. द्वारा प्रमाणित है और यह प्रयोगशाला आई एस ओ/आई ई सी 17025 के तहत सितंबर 2004 से राष्ट्रीय जाँच अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल), विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा भी प्रत्यायित है।

प्रयोगशाला, भारतीय मसाले उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करती हैं और देश में उत्पादित एवं प्रसंस्करित मसालों की गुणवत्ता का मानीटरिंग करती है। इस प्रयोगशाला द्वारा स्पाइसेस बोर्ड के अनिवार्य निरीक्षण के अधीन परेषण - नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रयोगशाला में मसालों एवं मसाले उत्पादों के नाशकजीवनाशी अवशिष्टों, एफ्लाटोक्सिन, भारी धातुओं एवं संदूषकों / अपमिश्रक कृत्रिम रंजकों सहित विविध भौतिक, रासायनिक एवं सूक्ष्म जैविक पैरामीटरों के विश्लेषण की सुविधाएं हैं। विविध विश्लेषणों केलिए प्रयोगशाला द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत जाँच-विधियों का अनुसरण किया जाता है। यह प्रयोगशाला आयातक राष्ट्रों की अपेक्षा के अनुसार विश्लेषण कार्य चलाने केलिए प्रौद्योगिकी के स्तर पर पूर्णतः सुसज्जित है। आई एस ओ 9001 : 2000 प्रणाली के तहत प्रयोगशाला में स्थापित सभी कार्यकलाप पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हैं।

अपनाए गए विश्लेषणात्मक तरीकों के विधीयन केलिए प्रयोगशाला नियमित रूप से केंद्रीय विज्ञान प्रयोगशाला (सी एस एल) यू.के. द्वारा आयोजित खाद्य विश्लेषण प्रवीणता निर्धारण योजना (एफ ए पी ए एस) एवं खाद्य परीक्षण प्रवीणता निर्धारण योजना (एफ ई पी ए एस), अमरीकी मसाला व्यापार संघ (ए एस टी ए), अन्तर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय (आई पी सी), जक्कार्त्ता/भारत की एन ए बी एल द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं द्वारा आयोजित प्रवीणता निर्धारण कार्यक्रम जैसे देशीय/अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा आयोजित चेक नमूना विधिमान्यकरण कार्यक्रमों में भाग लेती है। यह प्रयोगशाला प्रमुख आयातक राष्ट्रों एवं भारत की प्रयोगशालाओं में प्रमुख पैरामीटरों (जैसे कि एफ्लाटोक्सिन, सुडान डाई I-IV एवं नाशकजीवनाशी अवशेष) केलिए चेक-नमूना कार्यक्रम आयोजित करती है। विभिन्न पैरामीटरों केलिए स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रत्यायित सभी प्रयोगशालाओं में अंतर प्रयोगशाला चेक नमूना कार्यक्रम भी चलाया। प्रयोगशाला के सभी तकनीकी स्टाफ को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमानों के बराबर अपनी विश्लेषण कुशलता को अद्यतन बनाने केलिए सेन्ट्रल साइन्स लबोरट्टरी, यू.के., जापान फूड रिसेर्च लबोरट्टरी, जापान, सेर्टिफाइड अनालिटिकल लबोरटरीस इनकोरपरेट्स, यू.एस.ए. आदि मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में समय-समय पर प्रशिक्षण दिया गया।

विश्लेषणात्मक सेवाएं

प्रयोगशाला ने मिर्चवाले मिर्च उत्पादों / खाद्य उत्पादों के परेषणों के अनिवार्य नमूनन के अधीन सुडान डाई I-IV एवं एफ्लाटोक्सिन की मौजूदगी केलिए मिर्च एवं मिर्च उत्पादों का विश्लेषण जारी रखा। प्रयोगशाला द्वारा पैरा रेड, रोडामिन बी एवं बटर येल्लो, सुडान रेड 7 बी, सुडान आरेंज जी, सन सेट येलो आदि अन्य गैर कानूनी रंजकों के विश्लेषण केलिए विश्लेषणात्मक सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

अवधि के दौरान, प्रयोगशाला ने मिर्च/मिर्च उत्पादों में गैर कानूनी रंजकों, जैसेकि सुडान डाई I-IV, रोडामिन, पैरा रेड आदि नाशकजीवनाशी अवशेषों, एफ्लाटोक्सिन सहित विभिन्न पैरामीटरों केलिए 56,617 नमूनों का विश्लेषण किया और ₹ 6,27,91,335 का विश्लेषणात्मक राजस्व अर्जित किया। पिछले साल की तुलना में 13452 नमूनों तथा विश्लेषणात्मक चार्ज में ₹ 1,47,98,393 की वृद्धि हुई है।

निर्यातकों को शीघ्र विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करने के भाग के रूप में स्पाइसेस बोर्ड मुम्बई, गुण्टूर, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकत्ता, तुत्तुकोरिन और कण्डला जैसे मुख्य उत्पाद/निर्यात केन्द्रों में प्रादेशिक गुणवत्ता मूल्याँकन प्रयोगशालाएं स्थापित कर रहा है। मुम्बई की प्रयोगशाला का उद्घाटन जून 2008 में किया गया और गुण्टूर की प्रयोगशाला का उद्घाटन अप्रैल 2010 में किया जाएगा।

मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

तकनीकी कार्मिकों की तकनीकी क्षमताएँ बढाने के भाग के रूप में अवधि के दौरान प्रयोगशाला कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं में भाग लिया गया:-

(1) एक तकनीकी स्टाफ ने मेसर्स एजिलेन्ट टेकनॉलजीस प्रा.लि. कोच्ची द्वारा 28 अप्रैल 2009 को आयोजित एम एस तकनॉलजी और खाद्य सुरक्षा संबन्धी सेमिनार में भाग लिया।

(2) दो तकनीकी कर्मचारियों ने आई एस ए एस, कोच्ची चाप्टर द्वारा अप्रैल 2009 के दौरान आयोजित 'द यूज़ ऑफ हाइफनेटेड टेकनिक्स इन् मास स्पेक्ट्रोमेट्री' विषयक कार्यशाला में भाग लिया।

(3) एक तकनीकी स्टाफ ने 12-15 मई 2009 के दौरान सेन्टर ऑफ इलेक्ट्राणिक्स टेस्ट इंजीनियरिंग, बैंगलूर में आई एस ओ/आई ई सी 17025-2005 के अनुसार प्रयोगशाला प्रबन्धन और आन्तरिक लेखा परीक्षा विषयक चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

(4) एक तकनीकी स्टाफ ने 4-8 मई 2009 के दौरान मेसर्स मूडी इन्टरनेशनल लि. द्वारा आयोजित आई एस ओ 9001:2008 प्रणाली विषयक लीड ऑडिटर पाठ्यक्रम में भाग लिया।

(5) एक तकनीकी स्टाफ ने जुलाई 2009 में मेसर्स षिमाद्सु द्वारा यूवी-वी आई एस/एफ टी आई आर विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

(6) वरिष्ठ वैज्ञानिक (गु.नि.) ने मेसर्स मूडी आई सी एल सर्टिफिकेशन लि. द्वारा 03-07 अगस्त 2009 के दौरान अबाद प्लाज़ा, कोचीन में चलाए गए आई एस ओ 9001: 2008 विषयक लीड ऑडिटर पाठ्यक्रम संबन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

(7) वरिष्ठ वैज्ञानिक (गु.नि.) ने 13 अगस्त 2009 को मेसर्स सप्लाईको के मुख्यालय में आयोजित सी एफ आर डी की 30 वीं तकनीकी उप समिति बैठक में भाग लिया।

(8) मुम्बई प्रयोगशाला के कनिष्ठ वैज्ञानिक ने 24-27 नवंबर 2009 के दौरान मेसर्स एम एस एम ई (आई डी ई एम आई), मुम्बई द्वारा अशाँकन और जाँच प्रयोगशालाओं की क्षमता हेतु सामान्य अपेक्षाएँ और आई एस ओ/आई ई सी 17025 के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

(9) दो तकनीकी कर्मचारियों ने 20-22 फरवरी 2010 के दौरान चलाए गए आई एस ओ/आई ई सी 17025 गुणवत्ता प्रणाली और आन्तरिक लेखा परीक्षा विषयक तीन दिवसीय बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

मसाले एवं मसाले उत्पादों के विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

"पढाई के दौरान कमाई" कार्यक्रम के अधीन कोचीन, मुंबई और गुण्टूर की प्रयोगशालाओं में संविदा पर विश्लेषज्ञों के रूप में काम करने हेतु विभिन्न पैरामीटरों केलिए मसाले व मसाले उत्पादों के विश्लेषण केलिए 72 छात्रों को आसपास के विविध कॉलेजों से "कैंपस इन्टरव्यू" के ज़रिए चुनकर एक महीने तक प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित व अनुभवी अभ्यर्थियों को

प्रयोगशाला में एक वर्ष के अपने सेवाकाल के उपरांत मसाला उद्योग से जुडी प्रयोगशालाओं में तकनीकी स्टाफ के रूप में मसाला उद्योग में काम केलिए उपलब्ध कराया जाता है।

मसाले उद्योग के तकनीकी कार्मिक केलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, प्रयोगशाला द्वारा "मसालों एवं मसाले उत्पादों" के भौतिक, रासायनिक, अवशेषात्मक तथा सूक्ष्मजैविक पैरामीटरों के विश्लेषण केलिए चार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। विविध मसाले उद्योगों / अन्य संस्थाओं से चौबीस तकनीकी कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया और प्रशिक्षण शुल्क के रूप में ₹ 1,32,360 की रकम अर्जित की गई।

प्रयोगशाला-प्रत्यायन केलिए स्पाइसेस बोर्ड की योजना

निजी सेक्टर की प्रयोगशालाएं, जो मसालों / मसाले उत्पादों के निर्यातकों को गुणवत्ता विश्लेषण सेवा प्रदान कर सकती है, को मान्यता प्रदान करने केलिए प्रयोगशाला के प्रत्यायनार्थ स्पाइसेस बोर्ड ने यह योजना कार्यान्वित की है। चालू वर्ष के दौरान मेसर्स आरब्रो फार्मस्यूटिकल्स, दिल्ली प्रयोगशाला की निगरानी लेखा परीक्षा चलाई गई। मंत्रालय के निदेशानुसार 2009 के दौरान इस योजना को अस्थाई ढंग से बन्द कर दिया गया है।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी

मसाले/मसाले उत्पाद आदि केलिए विनिर्देशन के गुणवत्ता विषयक सूत्रीकरण से संबन्धित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में प्रयोगशाला सक्रिय रूप से भाग लेती है। चालू वर्ष के दौरान, निम्न कार्यक्रमों में प्रयोगशाला के अधिकारियों ने भाग लियाः-

(1) मई 2009 में उपभोक्ता सहायता केन्द्र, षिमाद्सु एनलटिकल लबोरटरी, अन्धेरी, मुम्बई में, जी सी और जी सी एम एस द्वारा नाशकजीवनाशी अवशेष विश्लेषण पर कार्यशाला।

(2) 16 जून 2009 को वाष़क्कुलम, आलुवा में नारियल विकास बोर्ड की गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला की चतुर्थ तकनीकी सलाहकार समिति बैठक।

(3) 20-21 जून 2009 के दौरान जकार्ता, इन्दोनेशिया में आयोजित गुणवत्ता विषयक अन्तर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय की बैठक।

(4) 15-19 जून 2009 के दौरान जकार्ता, इन्दोनेशिया में आयोजित सूक्ष्मजीवविज्ञान पर आई पी सी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(5) 26-27 अक्तूबर 2009 के दौरान एन आई टी एस, नोएडा, नई दिल्ली में बी आई एस द्वारा आयोजित आई एस ओ विनिर्देशों के मानकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(6) जनवरी 2010 में मेसर्स वाटर्स द्वारा कोच्ची में आयोजित एच पी एल सी क्रोमटोग्राफी विषयक कार्यशाला।

(7) 3-5 फरवरी 2010 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित विश्व मसाला काँग्रेस।

(8) 25 फरवरी 2010 को कोच्ची में आयोजित स्पाइस एण्ड कोण्डिमेन्ट्स सेक्शन कमिटी बैठक।

आई एस ओ 9001 से आई एस ओ 14001 से जुडे कार्यकलाप

बी एस आई लेखा परीक्षकों द्वारा 2 दिसंबर 2009 को आई एस ओ 9001: 2008 विषयक पुनः प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा चलाई गई और बिना किसी प्रमुख अननुरूपता के आई एस ओ 9001:2008 पाठ के अधीन प्रयोगशाला के पुनः प्रमाणन केलिए

सिफारिश की। आई एस ओ 14001 पुनः मूल्याँकन लेखापरीक्षा 11 दिसंबर 2009 को चलाई गई। लेखा परीक्षा के दौरान कोई मुख्य अननुरूपता नहीं रिपोर्ट की गई।

प्रयोगशालाओं में कार्यान्वित प्रणाली के उन्नयन केलिए 23 जुलाई 2009 को आई एस ओ 14001 प्रणाली के अधीन 'तत्पर पार्टियों' की बैठक आयोजित की गई।

एन ए बी एल प्रत्यायन संबन्धी कार्यकलाप (आई एस ओ/आई ई सी 17025)

प्रयोगशाला में एन ए बी एल प्रणाली के कार्यान्वयन के निष्पादन के मूल्याँकन केलिए एन ए बी एल द्वारा बिना किसी खास अननुरूपता के, लेखापरीक्षा पूरी हो गई। आई एस ओ/17025 (एन ए बी एल) के अधीन निगरानी बैठक 20-21 मई 2009 को चलाई गई।

ए एस टी ए जाँच नमूना कार्यक्रम

प्रयोगशाला 'अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन' (आस्टा) द्वारा चला रहे जाँच नमूना कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग ले रही है। वर्ष के दौरान, प्रयोगशाला ने पीसे कैप्सेइसिन व पिपेरिन में रंगमूल्य, कैप्सेइसिन व जल क्षमता तथा पीसी (काली) कालीमिर्च में आर्द्रता, बाष्पशील तेल एवं जल क्षमता केलिए चार सेट के जाँच नमूना कार्यक्रमों में भाग लिया। विश्लेषण केलिए प्राप्त सभी चार सेट नमूने और प्रयोगशाला द्वारा निकाले गए सभी परिणाम इसके अधीन मंजूर की गई सीमा के अन्तर्गत पाए गए।

आई पी सी जाँच नमूना कार्यक्रम

वर्ष के दौरान प्रयोगशाला ने भौतिक, रासायनिक एवं सूक्ष्मजैविक पैरामीटरों पर आई पी सी अन्तःप्रयोगशाला प्रवीणता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया। कार्यक्रम के अधीन मलेशिया द्वारा बारहवीं दौर नमूने तैयार किए गए और भारत सहित सदस्य राष्ट्रों के सभी प्रतिभागी प्रयोगशालाओं को भेज दिए गए। मलेशिया द्वारा भेजे गए नमूने सभी भारतीय प्रतिभागी प्रयोगशालाओं में भी बाँट दिए जाते हैं। प्रयोगशाला द्वारा निकाले गए परिणाम मंजूरी की सीमा के अंतर्गत पाए गए।

स्पाइसेस बोर्ड जाँच नमूना/प्रवीणता जाँच कार्यक्रम

प्रवीणता जाँच कार्यक्रम के अधीन एफ्लाटोक्सिन, कुल राख, अम्ल अविलेय राख, स्टार्च, वैनिलिन और कुरकुमिन के पैरामीटरों के विश्लेषण केलिए 14 सेट नमूने तैयार करके बोर्ड की सभी प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में भेज दिए गए। प्रतिभागी प्रयोगशालाओं द्वारा तैयार किए परिणाम को संकलित किया गया। ज़ेड-स्कोर तैयार किया गया और उसे कार्यक्रम के सभी प्रतिभागी प्रयोगशालाओं को वितरित किए गए।

आई एस ओ मानकों के साथ भारतीय स्तरों का सामंजस्य

भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस), पी एफ ए एवं आई एस ओ सचिवालय के सहयोग से चलाए गए आई एस ओ मानकों तथा पी एफ ए के साथ भारतीय स्तरों का सामंजस्य में भाग लिया। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/एजेंसियों द्वारा जैसे और जहाँ पर माँगे गए विनिर्देशनों/गुणवत्ता मामलों से संबन्धित विभिन्न कागज़ातों पर बी आई एस, पी एफ ए, आई एस ओ, आई पी सी एवं कोडेक्स को टिप्पणी/सुझाव प्रदान किए गए।

अन्य कार्यकलाप

- प्रयोगशाला द्वारा स्थापित 'दि क्वालिटी डाटा मैनेजमेन्ट एड्मिनिस्ट्रेशन सिस्टम (क्यू यू ए डी एम ए एस)' का संशोधन प्रयोगशाला की कई अतिरिक्त अपेक्षाओं को शामिल करने के लिए किया गया।
- प्रयोगशाला ने मसाला/मसाले उत्पाद विश्लेषण के विविध गुणवत्ता पहलुओं पर अपने शोध-निबंध कार्य केलिए विविध विश्वविद्यालयों के पाँच एम एस सी छात्रों को सहायता एवं संदर्शन प्रदान किया।
- जून 2008 में उद्घाटन की गई मुम्बई की प्रयोगशाला पूरी तरह चालू है। गुण्टूर में क्षेत्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला प्रवृत्त करने के बन्दोबस्त किए गए और अप्रैल 2010 में इसके उद्घाटन की प्रतीक्षा है। गुण्टूर में प्रयोगशाला की स्थापना केलिए अपेक्षित उपकरण, रसायन एवं शीशे के सामानों की व्यवस्था पूरी हो गई। प्रयोगशाला केलिए अपेक्षित विश्लेषज्ञों की ठेका आधार पर भर्ती करके प्रशिक्षित किया गया और परीक्षण विश्लेषण शुरू किया गया।
- कोचीन की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला केलिए नया मकान स्थापित करने केलिए, अवसंरचना एवं अन्य अपेक्षाओं सहित विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया। निर्माण कार्य और उपकरणों तथा सामग्रियों का विस्थापन पूरा हो गया और अध्यक्ष ने 16 मार्च 2010 को इस मकान में प्रयोगशाला के प्रवर्तन का उद्घाटन किया।
- दिल्ली, चेन्नई और तूत्तुकुडी में क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित करने केलिए विस्तृत प्लान व रूप रेखा तैयार किए गए और मकान का निर्माण कार्य जारी है। गुण्टूर प्रयोगशाला केलिए सभी उपकरणों, रसायनों, ग्लासवेयरों आदि के समेकन की व्यवस्था की गई।

7. निर्यातोन्मुख अनुसन्धान

इलायची (छोटी और बडी दोनों) की उत्पादकता बढ़ाना और उसके द्वारा एक ओर मसाले कृषकों की कुल आय में वृद्धि लाना तथा निर्यात-माँग की पूर्ति हेतु पर्याप्त अधिशेष के उत्पादन पर वर्ष 2009-10 के दौरान भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान द्वारा ज़ोर दिया गया था। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के इलायची बढ़ने वाले तथा उत्तर सिक्किम के बडी इलायची बढ़ने वाले इलाकों के उपान्तिक एवं कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर अनुसंधान केन्द्रित रहा। कृषक साझेदारी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मूल्याँकन चालू वर्ष केलिए अनुसंधान विभाग द्वारा चलाए गए मुख्य कार्यकलाप थे।

मुख्य कृषक साझेदारी अनुसंधान कार्यक्रम

(क) संकर क्लोन आई सी आर आई-5 का मूल्याँकन

मानव निर्मित इलायची की पहली संकर प्रजाति आई सी आर आई -5 का बडे पैमाने पर प्रदर्शन और मूल्याँकन 2008 रोपण अवधि के लिए इडुक्की जिले के इलायची खेतों के 200 खण्डों में शुरू किया गया और वृद्धि निष्पादन हेतु मानीटरिंग भी किया गया। अधिकाँश क्षेत्रों में, आई सी आर आई-5 की वृद्धि स्थानीय किस्म, अधिकतर ञळ्ळानी से बेहतर या उसके बराबर की रही। एलप्पारा और कट्टप्पना जैसे स्थानों में आई सी आर आई-5 ने साल में प्रति गुच्छन सौ से अधिक तलशाखाओं का उत्पादन किया। उपज निष्पादन की तुलना केलिए और कुछ फसल अवधियों केलिए प्रदर्शन खण्डों का मानीटरिंग किया जाएगा।

(ख) वयनाडु में आई सी आर आई - 7 का प्रदर्शन

वयनाडु क्षेत्र केलिए विकसित इलायची प्रजाति आई सी आर आई-7 के निष्पादन का प्रदर्शन 2009-10 फसल अवधि केलिए वयनाडु के दस स्थानों में किया गया। सभी स्थानों में वृद्धि पैरामीटरों की दृष्टि से आई सी आर आई-7 का निष्पादन स्थानीय किस्मों से बढ़िया रहा। इस प्रजाति का निर्मोचन कृषि एवं बागवानी फसलों के फसल प्रतिमान, अधिसूचना और किस्मों के निर्मोचन की राज्य बीज उपसमिति, केरल सरकार ने वयनाडु में खेती करने केलिए 15 जनवरी 2010 को आयोजित अपनी 24 वीं बैठक में किया।

(ग) जी ए पी का प्रदर्शन

संस्थान द्वारा इलायची केलिए विकसित अच्छे कृषि कार्य (जी ए पी) का प्रदर्शन अंशाँकन और कृषकों द्वारा अपनाए जाने के लिए पाँच कृषकों के खेतों में किया गया।

(घ) ई पी एन का प्रदर्शन

रोगाणुरोधी नेमटोड (ई पी एन) को इलायची के मूल भृंगक का कारगर जैव नियंत्रण एजेन्ट पाया गया। मूल भृंगक को कम करने में ई पी एन की प्रभाविष्णुता का प्रदर्शन पचास कृषक-खण्डों में किया गया। आई सी आर आई, ई पी एन तैयार करके ज़रूरतमंद कृषकों को नाममात्र सेवा शुल्क पर वितरित करता है। 2009-10 में जैव नियंत्रण कार्यक्रम से करीब 100 कृषक लाभान्वित हो गए। इलायची मृदा कीटों के नियंत्रण के लिए कृषकों द्वारा भारत में यह पहली बार ई पी एन का प्रयोग किया जाता है।

(ङ) नीम खली जलीय निकष (एन के ए ई)

एन के ए ई पाँच प्रतिशत के पाँच छिड़काव और नौ कीटनाशी छिड़काव सहित एकीकृत नाशकजीवनाशी प्रबन्धन मिर्च के थ्रिप्स,

माइट, मिड्जस और फल-छेदक के नियंत्रण के लिए कृषकों द्वारा किए जाने वाले 16-20 बार कीटनाशी छिड़काव के बराबर प्रभावशाली और तद्वारा कीटनाशी की मात्रा को 30 प्रतिशत तक कम करने वाला पाया गया।

(च) राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना

राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना (एन ए आई पी) "लाइवलीहुड इंप्रूवमेन्ट एण्ड एमपावरमेन्ट ऑफ रूरल पुअर थ्रू सस्टेनबल फार्मिंग सिस्टम् इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजियन" का कार्यान्वयन उत्तर सिक्किम में किया गया है। इसका लक्ष्य बडी इलायची के सभी वैज्ञानिक कृषि कार्यों का प्रदर्शन और सम्मिलित प्रयास के ज़रिए इसकी उत्पादकता बढाना और कृषकों की आमदनी बढाना है।

जैव व्यवस्था संरक्षण और सुरक्षा

(क) जर्मप्लासम्

जर्मप्लासम् का कैटलॉग तैयार करने तथा जर्मप्लास प्राप्तियों का डी एन ए फिंगर प्रिन्ट लेने का कार्य शुरू किया गया। छोटी इलायची की 120 प्राप्तियों का पुनर्युवन चलाया गया और जीवीय और जीवीय प्रतिबलों केलिए प्राप्तियों का स्क्रीनिंग किया गया। आई सी आर आई जर्मप्लासम् के चुनी गई आनुवंशिक तौर पर भिन्न इलायची प्राप्तियों के डी एन ए फिंगर प्रिन्ट तैयार करने केलिए तेरह प्राइमरों का प्रयोग करते हुए छोटी और बडी इलायची की पचास प्राप्तियों का स्क्रीनिंग किया गया।

(ख) कीटनाशी निगरानी

गर्मी के महीनों के दौरान, स्केल इन्सेक्ट और रेड स्पाइडर माइट (दोनों चूसक कीट हैं) जैसे लघु कीट तमाम कृषकों के खेतों में, जहाँ कीटनाशियों की उच्च खुराक का छिड़काव बिना किसी परवाह के किया गया था, मुख्य कीटों के रूप में उभर आए। निगरानी अध्ययन के दौरान आई सी आर आई ने ऐसे क्षेत्रों का दौरा किया, कीटों के ऐसे पुनः आगमन के कारणों को स्पष्ट किया और उचित आई पी एम कार्यों की शंसा की।

(ग) मौसम मानीटरिंग और फसल प्रभाव अध्ययन

स्वचालित मौसम स्टेशन के जरिए इडुक्की जिले की इलायची परिस्थिति तंत्र के मौसम का मानीटरिंग किया गया। वर्ष के दौरान जलवायविक परिस्थितियों में उल्लेखनीय फेर-बदल है। जून महीने में मनसून शुरू होने में हुई 20 दिनों की देरी ने पुष्पगुच्छों की वृद्धि और पुष्पण पर भारी प्रभाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप फसल में 15-20 प्रतिशत कमी और कटाई में देरी हुई। फरवरी और मार्च के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान साधारण स्थिति से 2^0-4^0 से. ग्रेड ज्यादा रहा, जिसका विपरीत प्रभाव अनुवर्ती साल की फसल पर पड सकता है। साप्ताहिक मौसम पूर्व सूचना और सलाह इडुक्की और अन्य इलायची बढ़ाने वाले इलाकों के कृषकों को इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा दिए गए।

(घ) कीटनाशी अवशेष का मानीटरिंग

इलायची और कालीमिर्च परिस्थिति तंत्र के विषैले कीटनाशी अवशेष प्रदूषण का लगातार मानीटरिंग किया गया। पाया गया कि इलायची के उल्लेखनीय अनुपात में विभिन्न कीटनाशियों में, खासकर क्विनालफोस और ट्राइऐज़ोफोस के उच्च अवशेष स्तर होते हैं। यहाँ तक कि इलायची में एण्डोसल्फान, जिसपर केरल में प्रतिबन्ध लगाया गया है, तक पाया गया है।

(ङ) मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण

विभिन्न रासायनिक पैरामीटरों केलिए कृषकों के खेतों के करीब 2500 मृदा नमूनों का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि मृदा पी एच में भारी गिरावट अर्थात् मृदा अम्लता में वृद्धि, जैव कार्बन में कमी, कैल्सियम और मग्नीशियम का निःशोषण और ज़िंक और बोरोन की भारी कमी रहती है।

ये अध्ययन घरेलू उपयोग और निर्यात हेतु गुणवत्ता मसालों के टिकाऊ उत्पादन केलिए फार्म गेट स्तर पर पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य के निरन्तर मानीटरिंग को आवश्यक बनाते हैं।

टिकाऊ उत्पादन प्रौद्योगिकी

क) प्रजातीय विकास

इलायची बढ़नेवाले इलाकों के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता बढाने के उद्देश्य से स्थानीय विनिर्दिष्ट उच्च उपजाऊ प्रजातियों/संकरों को विकसित करने की कोशिश की गई। नेल्लियाँपति क्षेत्र के लिए एम सी सी- 346 और कर्नाटक केलिए एस के पी-170 उद्दिष्ट है।

ख) एकीकृत कीट और रोग प्रबन्धन

गैर रासायनिक उपायों पर अधिक ज़ोर देते हुए संस्थान में विकसित एकीकृत कीट और रोग प्रबन्धन पर कृषकों को सलाह दी गई। रोग-प्रबन्धन के लिए स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा जैसे सूक्ष्म जीवों तथा कीट-प्रबन्धन केलिए वेर्टिसीलियम, ब्यूवेरिया और कीट भक्षक नेमटोडों (ई पी एन) का प्रयोग कृषकों के खेतों में व्यापक तौर पर प्रदर्शित किया गया।

ग) एकीकृत पोषकत्व प्रबन्धन

नर्सरी में वी ए एम के अनुप्रयोग ने मूल लगाने, टिलरों के उत्पादन और कुल मिलाकर पौधशाला में उत्पादित रोपण सामग्रियों की गुणवत्ता में सकारात्मक नतीजे दर्शाए। उर्वरकों की संस्तुत खुराक के साथ जैव उर्वरकों के प्रयोग ने इलायची की वृद्धि और उपज पैरामीटरों में बेहतरीन प्रतिक्रिया दशाई।

कृषकोन्मुख कार्यक्रम

क) जैव एजेन्ट उत्पादन

इलायची परिस्थिति तंत्र में कीट और रोग प्रबन्धन केलिए जैव एजेन्टों के प्रयोग का प्रचार-प्रसार संस्थान द्वारा किया गया। गुणवत्ता जैव एजेन्टों की उपलब्धता कृषकों की एक चिरन्तन समस्या है। आई सी आर आई जरूरतमन्द कृषकों को एकदम उचित दाम में गुणवत्ता जैव-एजेन्टों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय बागवान मिशन के आँशिक समर्थन से ₹ 1.90 करोड़ के वित्तीय व्यय पर प्रयोगशाला सहित एक जैव-एजेन्ट उत्पादन यूनिट का निर्माण किया जा रहा है।

ख) मृदा जाँच पर आधारित सलाहकार सेवा

कृषकों के खेतों से प्राप्त मृदा नमूनों का विश्लेषण किया गया और खाद देने की शंसा दी गई। उचित पोषकत्व सिफारिश पर सूचना देते हुए खेतों में उर्वरकों का अपव्यय 30 प्रतिशत से अधिक तक कम किया जा सकता है, परिणाम स्वरूप कृषकों की पर्याप्त बचत होती है।

ग) वैज्ञानिक फसल उत्पादन सेवाएं

इलायची कृषकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने केलिए संस्थान में एक नॉडल पॉयन्ट के रूप में कार्य करने के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक के नेतृत्व में एक कृषक सलाहकार सेल स्थापित किया गया। उचित सेवाएं तथा अनुवर्ती कार्रवाइयाँ इस सेल से निपटायी जाती हैं।

घ) अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

मसाले उत्पादन के विभिन्न पहलुओं, जैसेकि नर्सरी उत्पादन, जैव इनपुट उत्पादन, जैव-एजेन्ट उत्पादन, फसलोत्तर प्रौद्योगिकी आदि पर दो से पाँच दिन तक के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

विदेशी शिष्टमण्डल

डॉ. जे. थॉमस, निदेशक (अनुसंधान) ने 14-17 सितंबर 2009 के दौरान पोलण्ड के पोज़नान में आयोजित इन्टरनेशनल फूड फेयर में स्पाइसेस बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया।

प्रकाशन

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कुल 22 शोध पत्रों तथा 19 लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखों का प्रकाशन किया गया।

संकाय संवर्धन

डॉ. एस. श्रीकृष्ण भट्ट, कनिष्ठ वैज्ञानिक (वनस्पति विज्ञान) को अपने वैनिला प्रजनन संबन्धी डाक्टरी शोध ग्रन्थ केलिए आन्ध्रप्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आनुवंशिकी और पादप प्रजनन में पी एच डी प्रदान की गई।

मानव संसाधन विकास

आई सी आर आई के सभी वैज्ञानिकों ने 6-10 जुलाई, 2009 के दौरान भारतीय बागान प्रबन्धन संस्थान बैंगलूर में "कोम्पेटिटीव एड्वान्टेज़ फोर आर एण्ड डी मैनेजमेन्ट" विषयक अल्पकालीन कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

मोबाइल स्पाइस क्लिनिक

वैज्ञानिकों के एक दल ने पूर्वनिर्धारित कुछ बागानों का दौरा किया, क्षेत्र और फसल स्थितियों का मूल्याँकन किया और कृषकों के साथ उनकी समस्याएँ समझने केलिए अनौपचारिक बातचीत की और उनके समाधान उधर उसी वक्त सुझाया। अवधि के दौरान क्षेत्र अधिकारियों के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर ऐसे छत्तीस स्पाइस क्लिनिकों का आयोजन किया गया। मोबाइल स्पाइस क्लिनिक चलाने केलिए अपेक्षित अवसंरचनाएं राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा प्रदान की गईं।

अनुसंधान मानीटरिंग और मूल्याँकन

वार्षिक अनुसंधान परिषद (ए आर सी), जो अनुसंधान विभाग की तकनीकी लेखा परीक्षण है, 19-20 अगस्त 2009 के दौरान आयोजित किया गया। डॉ. ए.के. सदानन्दन, भूतपूर्व प्रोजेक्ट समायोजक (स्पाइसेस), आई सी ए आर, डॉ. एम.एन. वेणुगोपाल, प्रधान वैज्ञानिक व अध्यक्ष, आई आई एस आर इलायची अनुसन्धान केन्द्र, अप्पंगला; डॉ. बी.वी. द्रविड, अध्यक्ष, सन एग्रो बयो-

सिस्टम लि., चेन्नई; डॉ. ज़ेड. एब्राहम, प्रधान वैज्ञानिक व अध्यक्ष, एन बी पी जी आर प्रादेशिक केन्द्र, तृश्शूर और डॉ. के. निर्मल बाबु, प्रधान वैज्ञानिक, अध्यक्ष, जैव प्रौद्योगिकी संभाग, आई आई एस आर, कोषिकोडु सहित, डॉ. एस.एन. पोट्टी, भूतपूर्व निदेशक (अनुसंधान) स्पाइसेस बोर्ड की अध्यक्षता की समिति ने अनुसंधान कार्यक्रमों की बारीक पुनरीक्षा की और चालू वर्ष के लिए वस्तुगत लक्ष्य निर्धारित किए।

अनुसंधान : मुख्य मुद्दे

- 1400 कि.ग्रा./हे. की उपज वाली एक उच्च उपजता वाली इलायची प्रजाति, आई सी आर आई-7 विकसित की गई और वयनाडु में व्यापक पैमाने पर बढाने केलिए निर्मोचित की गई।
- जेर्मप्लासम् चरित्रांकन और दस्तावेजन के भाग के रूप में छोटी और बडी इलायची प्राप्तियों का डी एन ए फिंगर प्रिन्टिंग शुरू किया गया।
- पाया गया कि 0.2 प्रतिशत गाढता का सियाप्टन 10 एल (एक वृद्धि उत्प्रेरक) इलायची उपज का 20 प्रतिशत तक बढाता है।
- कालीमिर्च के शीघ्र गुणन के लिए ऊतक संवर्धन प्रोटोकोल का मानकीकरण किया गया और पादप मूल्याँकन की विभिन्न स्थितियों में हैं।
- इलायची के मूल भृंगक के प्रबन्धन केलिए ई पी एन के प्रयोग का प्रचार-प्रसार किया गया।
- विभिन्न मसालों की रोपण सामग्रियों के उत्पादन केलिए कयर चटाई (50 प्रतिशत छाया) पटलित पॉली हाउस बेहतरीन पाए गए।
- इडुक्की जिले की इलायची में क्विनालफॉस और ट्राइऐज़ोफोस अवशेष पाया गया और स्पाइस क्लिनिकों के ज़रिए विषैले प्रदूषणों को कम करने की उचित अनुशंसा की गई।
- 0.25 प्रतिशत ज़िंक और 0.2 प्रतिशत बोरोन का अनुप्रयोग इलायची की उपज और संपुटों के आकार को बढा दिया।

8. प्रचार और संवर्धन

पुनरीक्षा के अधीन के वर्ष के दौरान प्रमुख कार्यकलाप के रूप में भारतीय मसालों एवं मसाले उत्पादों को बढ़ावा देने केलिए प्रचार और संवर्धन कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य हमेशा गुणवत्ता आश्वासन के साथ बेहतरीन गुणवत्तावाले विविध मसालों के संगत स्रोत के रूप में भारत के संदेश को दुनिया के आरपार पहुँचाना है। देश के मसाला उद्योग के कुल सुधार की देखभाल करनेवाले संगठन के रूप में जागरूकता पैदा करना और विश्वसनीयता की धारणा बनवाना इन कार्यक्रमों का एक और फोकस रहा। इन कार्यकलापों में कृषकों, व्यापारियों एवं निर्यातकों सहित उद्योग से जुडे समस्त लोगों को समेटा गया। प्रचार-प्रसार के मौके से लाभ उठाना, सूचना का प्रसारण, सूचना एवं प्रकाशनों का संकलन बोर्ड की पहलों की विशिष्टता रही।

मसालों एवं उसके मूल्य योजित उत्पादों की विविधता को लोकप्रिय एवं बढावा देते हुए, विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करते हुए और उसका प्रचार-प्रसार करते हुए, मसाला उद्योग के पणधारियों केलिए सबसे आधारभूत सूचना का प्रसारण करते हुए, सांस्थानिक अवधारणा बनवाते हुए सभी कार्यकलापों का माकूल ताना-बाना बुना गया। नानाविध प्रचार एवं संवर्धनात्मक कार्यक्रमों ने अनुसंधान प्रशिक्षण खेती, फसलोत्तर कार्य, मूल्ययोजन, निर्यात विपणि संवर्धन एवं प्रकाशन के प्रत्येक पहलू को देश के भीतर और बाहर - दोनों तरह फैलाया।

अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी

बोर्ड ने विविध राष्ट्रों के 19 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी का सफलतापूर्वक आयोजन किया। विपणि गुंजाइश और निर्यातों की दृष्टि से महत्व के आधार पर मसाला व्यापार से परामर्श के साथ मेले चुने गए। अपनी क्षमताओं और शक्यताओं को प्रदर्शित करने केलिए समर्थन और निर्यातकों की व्यक्तिगत तौर पर भागीदारी को महत्व प्रदान किया गया। बोर्ड के पवलियन और स्टैंड ने निर्यातकों को अपनी क्षमताएं और शक्यताएं प्रदर्शित करने केलिए मदद की। प्रदर्शनियों के पवलियन और स्टैण्डों ने उत्पादों के नमूने एवं ग्रैफिक तथा चित्रीय प्रस्तुतियों के प्रदर्शन के ज़रिए भारतीय मसालों की सर्वांगीय क्षमता और प्रामाणिकता चित्रित की। मेलों में अति गंभीर पूछताछें प्राप्त हुईं जिनको आगे की कार्रवाई केलिए व्यापार - जगत को भेज दी गईं।

बोर्ड ने निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में अपनी प्रतिभागिता की:

1) 19-21 मई 2009 के दौरान सियाल, चैना 2009

2) 24-29 मई 2009 के दौरान ईरान फूड एण्ड हॉस्पिटालिटी, टेहरान, ईरान

3) 6-10 जून, 2009 के दौरान आई एफ टी ऐनुअल मीटिंग एण्ड फूड एक्स्पो, यू एस ए

4) 18-20 जून 2009 के दौरान स्वीट यूरेशिया, इस्तांबुल, तुर्की

5) 19-21 जुलाई 2009 के दौरान अफ्रीकास बिग सेवन, जोहन्नासबर्ग, साउथ अफ्रीका

6) 16-26 जुलाई 2009 के दौरान एग्रो इण्डस्ट्रियल एक्स्पोसिशन, बोगोटा, कोलंबिया

7) 26-28 अगस्त 2009 के दौरान सियाल मेरकोसर, ब्यूनस अयर्स, अर्जेन्टीना

8) 7-10 सितंबर 2009 फाइन फूड आस्ट्रेलिया, सिडनी एण्ड इण्डियन स्पाइस फूड फेस्टिवल, आस्ट्रेलिया।

9) 14-17 सितंबर 2009 के दौरान पोलाग्रा फूड 2009, पोज़नान, पोलैंड

10) 30 सितंबर से 3 अक्तूबर 2009 के दौरान इण्डिया शो 2009, सेंट पीटर्स बर्ग, रूस

11) 10-14 अक्तूबर 2009 के दौरान अनूगा 2009, कॅळोन, जर्मनी

12) 27-30 अक्तूबर 2009 के दौरान वर्ल्ड फूड 2009, कीव, उक्रेन

13) 1-4 नवंबर 2009 के दौरान साउदी फूड 2009, रियाद, साउदी अरेबिया

14) 3-6 नवंबर 2009 के दौरान सिक्स्थ एक्सिबिशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, सेर्वीसस एण्ड टेकनोलजीस, चिली

15) 24-27 नवंबर 2009 के दौरान इन्ग्रेडियन्स रश्शिया 2009, मोस्को, रूस

16) 17-20 फरवरी 2010 के दौरान बायोफाक 2010, न्यूरनबर्ग, जर्मनी

17) 21-24 फरवरी 2010 के दौरान गल्फूड 2010, दुबाई, यू ए ई

18) 3-6 मार्च 2010 के दौरान फूडेक्स 2009, टोक्यो, जापान

19) 11-22 मार्च 2010 के दौरान केइरो इन्टरनेशनल फूड ऐयर, केइरो, ईजिप्त

देशी मेलों में प्रतिभागिता

भारत के बाहर संपन्न विविध मेलों में प्रतिभागिता के समान निर्यातक, प्रगतिशील कृषक और कृषक संघों को विविध घरेलू मेलों में, जहाँ स्पाइसेस बोर्ड भाग लेता है भाग लेने और अपने उत्पाद संबंधी शक्यताओं को प्रदर्शित करने केलिए प्रोत्साहित किया गया। ऐसी प्रतिभागिता ने विविध स्थानों से देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय पूछताछों को ग्रहण करने के अलावा उत्पादों और शक्यताओं को प्रदर्शित करने में मदद की है।

बोर्ड ने निम्नलिखित भारतीय प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता की:-

1) 17-20 अप्रैल 2009 के दौरान ओरगानिक केरला 2009 कोचीन

2) 28 अगस्त से 1 सितंबर 2009 तक के दौरान हरितोत्सवम, मरडु, कोचीन, केरल

3) 2-6 सितंबर 2009 के दौरान ट्वल्थ एक्स्पो, कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल

4) 14-15 सितंबर 2009 के दौरान **उपासी**, कुन्नूर, तमिलनाडु

5) 2-5 अक्तूबर 2009 को दौरान एग्री इनटेक्स 2009, कोयंबत्तूर, तमिलनाडु

6) 23-24 अक्तूबर 2009 के दौरान फूड इनग्रेडियन्स इण्डिया 2009, मुम्बई

7) 13-14 नवंबर 2009 के दौरान के पी ए बैंगळूर, कर्नाटक

8) 14-27 नवंबर 2009 के दौरान आई आई टी एफ, नई दिल्ली

9) 18-20 नवंबर 2009 के दौरान बायोफाक 2009, मुम्बई

10) 19-21 नवंबर 2009 के दौरान इण्डिया इन्टरनेशनल फूड एण्ड एग्रो एक्स्पो 2009, कोचीन

11) 25-27 नवंबर 2009 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इण्डिया 2009, मुम्बई

12) 10 दिसंबर 2009 से 3 जनवरी 2010 तक के दौरान पाला फ्लवर शो, पाला, केरल

13) 23 दिसंबर 2009 से 3 जनवरी 2010 तक के दौरान इण्डस्ट्रियल एक्सिबिशन, कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल

14) 18-26 जनवरी 2010 के दौरान कृषि मेला 2010, तोडुपुष़ा, केरल

15) 3-5 फरवरी 2010 के दौरान वर्ल्ड स्पाइस काँग्रेस एक्सिबिशन, नई दिल्ली

16) 9-15 फरवरी 2010 के दौरान कर्षकश्री मेला, मुवाट्टुपुष़ा, केरल

बीजीय मसालों पर मल्टीमिडिया अभियान

बीजीय मसालों में वैज्ञानिक फसलोत्तर कार्यों पर जागरूकता पैदा करने में स्पाइसेस बोर्ड की पहल के भाग के रूप में 5-7 दिसंबर और 10-13 दिसंबर 2009 के दौरान क्रमशः राजस्थान के जोधपुर और पालि तथा मध्यप्रदेश के गुना जिले में क्षेत्र प्रचार अभियान आयोजित किए गए। राजस्थान के पालि जिले के मणिहारी, गुरलाई एवं गिरीदरा गाँवों, मध्यप्रदेश के गुना जिले के मृगवास, गुलवाड़ा, गोलियाखेडा, बारखेडी, देदला एवं कुदारा गाँवों में अभियान चलाए गए। बीजीय मसालों के गुणवत्ता उत्पादन केलिए जो कदम उठाए जाने हैं, उनकी उद्घोषणा करनेवाली अभियान-गाडियों ने गाँवों का दौरा किया। गाँवों में बैठकें आयोजित की गईं जिनमें अभियान के सार-संक्षेप विशेषज्ञों द्वारा कृषकों तक पहुँचाया गया। गाँवों में अभियान संबंधी साहित्य एवं विवरण-पुस्तिकाएं वितरित की गईं। अभियान में गाँवों के कृषकों की दिलचस्पी बढ़ाने हेतु बच्चों केलिए प्रतियोगिताएं आयोजित करके पुरस्कारों का वितरण किया गया। अभियान के ज़रिए इन सुदूर गाँवों में बोर्ड के हिन्दी प्रकाशनों को पहुँचाने में भी मदद मिली।

अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया संपर्क

विदेशी टेलिविशन टीम मेसर्स मेटाफोर प्रोडक्शनस, पारीस, फ्रांस ने "इण्डिया गार्डेन्स" पर फिल्म बनाने के अपने कार्यक्रम के भाग के रूप में इडुक्की जिले के मसाले बढाने वाले क्षेत्रों का दौरा किया। बोर्ड ने इडुक्की में इ-नीलाम प्रणाली को महत्व देने के अतिरिक्त उनकी परिपाटियों का मार्गदर्शन किया।

छात्रों केलिए अवसर

मसालों पर अध्ययन चलाने के अलावा, केरल एवं तमिलनाडु के कृषि विश्व विद्यालयों के छात्रों को बैचों में होकर बोर्ड के अधिकारियों से मिलने जुलने का मौका प्रदान किया गया। विभिन्न फसलों का संक्षिप्त विवरण दिया गया और मसाले विषयक पुस्तकों से परिचित कराया गया।

कृषकों का आगमन और दौरा

तमिलनाडु बागवानी विभाग द्वारा स्पॉन्सर किए गए मसाले कृषकों की बैचों ने बोर्ड के कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों को जानने और समझने केलिए बोर्ड का दौरा किया। बोर्ड ने अवधि के दौरान विविध अवसरों पर कृषकों का स्वागत किया और उनकेलिए आपस में मिलने केलिए कई सत्रों का आयोजन किया।

इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया

देश के विभिन्न भागों में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन नेटवर्क के ज़रिए मसालों के विपणन और खेती से जुडे विविध विषयों पर भेंटवार्ताएँ और चर्चाएं आयोजित की गईं।

अवधि के दौरान विभिन्न भाषाओं में मसालों पर फीचर और लेखों की रचना केलिए विविध समाचारपत्रों एवं प्रकाशनों को प्रक्रियात्मक सामग्री और सार-संक्षेप में वर्णन प्रदान किया गया।

प्रेस संपर्क

निर्यात निष्पादन, बोर्ड के उपाध्यक्ष का चुनाव और बोर्ड के निर्णय, हिन्दी वेबसाइट का लॉंचिंग आदि पर प्रेस विज्ञाप्तियां निकाली गईं। नई दिल्ली में विश्व मसाला कॉंग्रेस एवं निर्यात निष्पादन पर पत्रकार सम्मेलन आयोजित किए गए। इलायची बढ़ानेवाले क्षेत्रों की शैक्षिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान का वितरण, इलायची कामगारों के बच्चों को शैक्षिक वजीफा, मासिक निर्यात निष्पादन, निर्यात एवं उत्पादकता पुरस्कार आदि पर सावधि प्रेस विज्ञाप्तियाँ निकाली गईं।

पत्रिकाएं

बोर्ड ने पत्रिकाएं सहित से विविध प्रकाशन नियमित रूप निकाले।

- स्पाइस इण्डिया-पत्रिकाएँ (मासिक) अंग्रेज़ी, हिन्दी, मलयालम, कन्नड एवं तमिल सरीखे पाँच भाषाओं में समय पर निकाली गईं। यह पत्रिका तेलुगु एवं नेपाली भाषाओं में तिमाही पत्रिका के तौर पर समय पर निकाली गई। इन मासिक पत्रिकाओं की विषयवस्तु निम्न लिखित रही:-

  अप्रैल - कृषकों से गुणवत्ता का अपील

  मई - केसर

  जून - इडुक्की जिले में कालीमिर्च विकास कार्यक्रम

  जुलाई - मसाले निर्यातों में रिकार्ड निष्पादन

  अगस्त - मेहनती हो तो मिट्टी भी होती नत

  सितंबर - हरी कालीमिर्च

  अक्तूबर - संसाधनों का प्रदर्शन करते हुए

  नवंबर - दसवीं विश्व मसाला कॉंग्रेस

  दिसंबर - जायफल

  जनवरी - राजस्थान एवं मध्यप्रदेश में क्षेत्र प्रचार कार्यक्रम

  फरवरी - विश्व मसाला कॉंग्रेस पर फीचर

  मार्च - बीजीय मसालों के बारे में कृषक अनजान

- फोरिन ट्रेड एन्क्वयरीज़ बुलेटिन (पाक्षिक) के 54 अंक निकाले गए।
- स्पाइसेस मार्केट (साप्ताहिक) 108 अंक निकाले गए

माइक्रोवेव ऑवन व्यंजन

ऐसे राष्ट्रों में जहाँ माइक्रो ओवन आधारित पाक् प्रणाली प्रचार में है, भारतीय पाक् प्रणाली को बढावा देने केलिए मसाले आधारित माइक्रो ओवन व्यंजनों की नई सेट का संकलन किया गया। इस संकलन में 50 से ज्यादा व्यंजन और पाक्विधि के नुस्खे शामिल हैं।

पुस्तकें/पुस्तिकाएं और पोस्टर

निम्नलिखित शीर्षकों की नई पुस्तकें निकाली गईः-

- वार्षिक रिपोर्ट 2008-09
- बुकलेट ऑन मार्केट डेवेलपमेन्ट & क्रॉप डेवेलपमेन्ट स्कीम्स
- कार्डमम पैकेज ऑफ प्रैक्टीसस
- पैकेज ऑफ प्रैक्टीसस ऑन जिंजर एण्ड टरमरिक
- प्रचार अभियानों में उपयोगार्थ बीजीय मसालों में फसलोत्तर कार्य पर हिन्दी साहित्य

विवरण पुस्तिका/संवर्धनात्मक सामग्री

- विविध अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में उपयोगार्थ रूसी, अरबी, जापानी एवं जर्मन जैसी अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में संवर्धनात्मक विवरण पुस्तिकाएं तैयार की गईं।

वीडियो फिल्म/सीडियों का निर्माण

बीजीय मसालों की गुणवत्ता पर अभियान के दौरान प्रदर्शन केलिए हिन्दी में एक अनुदेशात्मक वीडियो फिल्म का निर्माण किया गया। गुणवत्ता अभियानों में प्रयोगार्थ बीजीय मसालों की गुणवत्ता में 'क्या करें, क्या न करें' पर हिन्दी भाषा में सीडियाँ निकाली गईं।

विज्ञापनों का निर्मोचन

बोर्ड ने पॉलिथीन शीटों की प्राप्ति, इलायची कामगारों के बच्चों केलिए शैक्षिक वजीफे का वितरण, मसाला पार्कों केलिए दिलचस्पी अभिव्यक्त करने हेतु और मसाले पार्कों केलिए परामर्शदाताओं केलिए निविदा अधिसूचना संवर्धनात्मक सामग्रियों की तैयारी, क्षेत्र-कार्यालयों में तकनीकी सहायकों की भर्ती केलिए वॉक इन इन्टरव्यूस, अन्य अनुभागों केलिए स्रोत सामग्रियों और मानवशक्ति का समाकलन और रिक्ति अधिसूचना केलिए प्रमुख समाचार पत्रों के ज़रिए विज्ञापन निकाले।

वर्ष के दौरान देश के आरपार विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के प्रकाशनों में प्रमुख अवसरों पर, बोर्ड की विविध योजनाओं और कार्यक्रमों पर विज्ञापन भी निकाले गए।

विदेश में प्रदर्शनार्थ नमूनेः

लेडीस फेयर इन् स्लोवेनियाः नवंबर 2009 के दौरान स्लोवेनिया के भारतीय राजदूतावास द्वारा व्यापारिक प्रदर्शनार्थ आयोजित स्टॉल में प्रदर्शन हेतु रखने केलिए मसाले व मसाले उत्पादों को स्लोवेनिया भेज दिया गया।

थेस्सालोनिकी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलाः अगस्त 2009 के दौरान ग्रीस के थेस्सलोनिकी में थेस्सलोनिकी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मिशन द्वारा स्थापित प्रदर्शन-स्टॉल में प्रदर्शनार्थ ग्रीस, एथेन्स के भारतीय राजदूतावास को मसालों के गिफ्ट हैंपर्स, मसाले उत्पादों एवं साबुत मसालों के नमूने उपलब्ध कराए गए।

9. व्यापार सूचना सेवा

व्यापार सूचना सेवा प्रभाग मसालों के निर्यात, आयात, क्षेत्र, उत्पादन और घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य संबंधी आंकडों के समाकलन, समेकन, विश्लेषण और वितरण का उत्तरदायी है। कोचीन, मुंबई, चेन्नई, तूत्तुकुडी के प्रमुख सीमाशुल्क कार्यालयों से निर्मोचित निर्यातों की दैनिक सूची (डी एल ई) और बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं से माहवार निर्यात आकलन तैयार किए जाते हैं। कोचीन, मुंबई एवं चेन्नई जैसे प्रमुख सीमाशुल्क से एवं अन्य थल-पत्तनों से प्राप्त आयातकों की दैनिक सूची (डी एल आई) का इस्तेमाल करके भारत में मसालों के माहवार आयात का आकलन किया जाता है। इण्डिया पेप्पर एण्ड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, कृषि उत्पाद विपणन समितियाँ, व्यापारी संघ, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जनेवा जैसे विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त घेरलू और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का समेकन करके 'स्पाइसेस मार्केट' बुलेटिन और बोर्ड की वेबसाइट द्वारा वितरित किया गया।

बोडिनायकन्नूर और वण्डनमेट्टु में इलायची (छोटी) केलिए इलैक्ट्रॉनिक नीलाम (इ-नीलाम) चलाया गया जिसने पारदर्शिता और इलायची कृषकों को बेहतर मूल्य वसूली सुनिश्चित की।

चूँकि बोर्ड इलायची (छोटी) एवं इलायची (बडी) के उत्पादन विकास केलिए उत्तरदायी है; क्षेत्र की अवस्थिति के ज़रिए चलाए गए क्षेत्र नमूना अध्ययन के आधार पर व्यापार सूचना सेवा (टी आई एस) प्रभाग द्वारा इन मसालों के क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता का आकलन किया जाता है। अन्य मसालों के क्षेत्र और उत्पादन का आकलन राज्य आर्थिकी व सांख्यिकी/कृषि/उद्यानकृषि विभागों से संग्रहण करके उनका संकलन किया जाता है। उद्योग के विविध प्रयोक्ताओं को उनके अनुरोध पर क्षेत्र, उत्पादन, मूल्य और निर्यात संबन्धी जानकारी प्रदान की गई।

यह प्रभाग विविध मसालों केलिए कृत्यक बलों का गठन, कृत्यक बलों की बैठकों का आयोजन एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई केलिए जिम्मेवार है। वर्ष के दौरान कालीमिर्च और बीजीय मसालों केलिए गठित कृत्यक बल की बैठक आयोजित की गई और इन मसालों के उत्पादन और निर्यात संभावनाओं पर चर्चा की गई।

मसालों का क्षेत्र व उत्पादन

वर्ष 2008-09 की तुलना में 2009-10 के लिए इलायची (छोटी) और इलायची (बडी) के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता क्रमशः तालिका-I एवं II में दिए जाते हैं। अन्य मसालों के क्षेत्र व उत्पादन तालिका-III में दिए जाते हैं।

तालिका-I

इलायची (छोटी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टेयर में, उत्पादन मे.ट. में., उत्पादकता कि.ग्रा/हे.में)

राज्य	2009-10				2008-09			
	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
केरल	41,593	29,014	7,800	269	41,588	29,100	8,550	294
कर्नाटक	24,956	17,992	1,550	86	25,021	18,132	1,700	93
तमिलनाडु	4,561	3,231	725	224	4,561	3,223	750	233
कुल	**71,110**	**50,237**	**10,075**	**201**	**71,170**	**50,455**	**11,000**	**219**

स्रोतः स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आकलन

तालिका-II

इलायची (बडी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्रः हे. में, उत्पादनः मे.ट. में, उत्पादकता कि.ग्रा/हे.में)

राज्य	2009-10				2008-09			
	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादकता
सिक्किम	23,729	17,411	3,540	203	23,729	17,371	3,675	212
पश्चिम बंगाल	3,305	2,715	640	236	3,305	2,715	625	230
कुल	**27,034**	**20,126**	**4,180**	**208**	**27,034**	**20,086**	**4,300**	**214**

स्रोतः स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आकलन

अन्य प्रमुख मसालों के क्षेत्र और उत्पादन तालिका में दिए जाते हैं।

तालिका-III

प्रमुख मसालों के क्षेत्र व उत्पादन (क्षेत्र हेक्टेयरों में, उत्पादन मे.ट.में)

मसाला	2008-09		2007-08	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
कालीमिर्च	23,6180	55,000	1,79,980	50,000
मिर्च	8,10,800	13,00,940	8,35,570	1372530
अदरक	1,41,410	8,06,900	1,20,910	7,51,970
हल्दी	1,92,170	8,67,170	1,78,600	8,85,710
लहसुन	2,08,610	11,05,650	2,20,170	1094410
धनिया	4,95,960	3,28,500	4,58,200	2,86,320
जीरा	5,71,973	3,05,158	4,77,936	2,64,860
बडी सौंफ	74,769	1,11,352	84,473	1,31,652
मेथी	89,335	62,004	87,065	67,645

स्रोतः राज्य आर्थिकी व सांख्यिकी निदेशालय/कृषि/बागवानी विभाग

इलायची (छोटी) की नीलाम बिक्री और मूल्य

2009-10 और 2008-09 के लिए इलायची (छोटी) की राज्यवार नीलाम बिक्री और भारित औसत मूल्य तालिका IV में दिए जाते हैं:

तालिका-IV

भारत में इलायची (छोटी) की नीलाम बिक्री और मूल्य

(मात्राः मे.ट, मूल्यः ₹/कि.ग्रा.में)

राज्य	2009-10 (अगस्त-जुलाई)		2008-09 (अगस्त-जुलाई)	
	नीलामित मात्रा	भारित औसत नीलाम मूल्य	नीलामित मात्रा	भारित औसत नीलाम मूल्य
केरल & तमिलनाडु (इ-नीलाम)	9,697	879.00	9,771	539.59
कर्नाटक	84	592.19	130	414.62
मुंबई	24	864.65	56	574.94
कुल	**9,806**	**877.41**	**9,957**	**538.16**

इलायची (बडी) के मूल्य

2008-09 और 2009-10 के दौरान गान्तोक और सिलिगुडी में इलायची (बडी) के औसत थोक मूल्य तालिका V में दिए जाते हैं:

तालिका-V

इलायची (बडी) के औसत थोक मूल्य

(मूल्य ₹/कि.ग्रा.में)

विपणि केन्द्र	ग्रेड	2009-10 (अप्रैल-मार्च)	2008-09 (अप्रैल-मार्च)
गान्तोक	बडा दाना	245.03	127.76
सिलिगुडी	बडा दाना	267.42	147.35

अन्य मसालों के मूल्य

प्रमुख मसालों के औसतन मूल्य नीचे दिए जाते हैं। ये मूल्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स, इण्डियन पेप्पर एण्ड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, व्यापारी संघों द्वारा तैयार की गई विपणी समीक्षाएं आदि गौण स्रोतों से समाकलित हैं। प्रमुख विपणि केन्द्रों में प्रमुख मसालों के मूल्य तालिका VI में दिए जाते हैं:-

तालिका-VI

मुख्य विपणि केन्द्रों में प्रमुख मसालों के मूल्य

(मूल्यः ₹/कि.ग्रा.में)

प्रमुख मसाला	विपणि	ग्रेड	2009-10	2008-09
कालीमिर्च	कोचीन	एम जी-1	136.42	129.30
मिर्च	गुण्टूर		50.75	48.11
अदरक	कोचीन	उत्कृष्ट	127.47	92.12
हल्दी	कोचीन	ए एफ टी	71.76	43.39
लहसुन	मुंबई		41.24	12.96
धनिया	मुंबई	इन्दौरी आस्टा	42.00	66.98
जीरा	मुंबई		107.06	101.05
सेलरी	मुंबई		45.37	54.88
बडी सौंफ	मुंबई		99.40	59.18
मेथी	मुंबई		30.57	32.28
अजोवन बीज	मुंबई		94.35	65.00
सोआ बीज	मुंबई		58.00	50.50
सरसों बीज	दिल्ली		32.26	33.89
इमली	मुंबई		27.08	26.81
लौंग	कोचीन		310.00	279.85
जायफल	कोचीन	छिलका रहित	287.43	241.15
मेस	कोचीन		500.66	424.63
केसर	दिल्ली		2,70,162.00	1,92,945.00
वैनिला	एफ.ओ.बी. निर्यात मूल्य	संसाधित सेम	1,234.50	800.05

भारत से मसालों का निर्यात निष्पादन

वर्ष 2008-09 की तुलना में 2009-10 के दौरान भारत से मसालों का प्रमुख मदवार निर्यात और लक्ष्य से अधिक प्राप्ति तालिका VII व VIII में दी जाती है।

तालिका-VII

2008-09 की तुलना में 2009-10 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

(मात्राः मे.ट. में, मूल्यः ₹ लाख में)

मद	2009-10		2008-09		2009-10 में % परिवर्तन	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कालीमिर्च	19,750	31,392.50	25,250	41,373.50	-22	-24
इलायची (छोटी)	1,975	16,570.25	750	4,726.50	163	251
इलायची (बडी)	1,000	1,788.60	1,875	2,280.75	-47	-22
मिर्च	2,04,000	1,29,172.80	1,88,000	1,08,095	9	19
अदरक	5,500	4675.00	5,000	3,482.50	10	34
हल्दी	50,750	38,123.00	52,500	24,857.75	-3	53
धनिया	47,250	22,585.50	30,200	20,378.75	56	11
जीरा	49,750	54,824.50	52,550	54,400.00	-5	1
सेलरी	5,000	2,662.50	3,650	2,333.00	37	14
बडी सौंफ	6,800	5,623.60	8,675	4,315.00	-22	30
मेथी	21,000	6,972.00	20,750	7,175.25	1	-3
अन्य बीज (1)	15,500	5,890.00	17,500	6,498.50	-11	-9
लहसुन	10,750	3,042.25	760	350.25	1314	769
जायफल व मेस	3,275	9,186.50	2,155	6,074.75	52	51
वैनिला	200	2,251.50	305	2,670.00	-34	-16
अन्य मसाले (2)	20,200	12,524.00	20,000	10,564.00	1	19
करी पाउडर / पेस्ट	14,300	18,918.50	13250	16,375.00	8	16
पुदीना उत्पाद (3)	19,000	1,18,972.00	20500	1,42,025.00	-7	-16
मसाला तेल व तैलीराल	6,750	70,875.00	6850	72,050.00	-1	-2
कुल	**5,02,750**	**5,56,050.00**	**470,520**	**5,30,025.50**	**7**	**5**
मूल्य दशलक्ष यू एस डोलरों में		**1,173.75**		**1,168.40**		**5**

1) में सरसों, सौंफ, अजोवन बीज, सोआ बीज, खसखस बीज आदि शामिल हैं।

2) में इमली, हींग, कैसिया, केसर आदि शामिल हैं।

3) में पुदीना तेल, मेंथॉल और मेंथॉल क्रिस्टल शामिल हैं।

स्रोतः सीमा शुल्क, डी जी सी आई व एस, कोलकत्ता के डी एल ई, निर्यातकों की विवरणी, प्रादेशिक कार्यालयों की रिपोर्ट पर आधारित अनुमान।

तालिका-VIII

लक्ष्य की तुलना में 2009-10 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

(मात्राः टनों में, मूल्यः ₹ लाख में)

मद	2009-10 के लिए लक्ष्य		2009-10 के दौरान निर्यात		लक्ष्य की % प्राप्ति	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कालीमिर्च	25,000	28,750	19,750	31,392.50	79	109
इलायची (छोटी)	650	2,765	1,975	16,570.25	304	599
इलायची (बडी)	1,500	1,800	1,000	1,788.60	67	99
मिर्च	2,00,000	96,000	2,04,000	1,29,172.80	102	135
अदरक	8,000	4,560	5,500	4,675.00	69	103
हल्दी	51,000	22,950	50,750	38,123.00	100	166
धनिया	27,000	16,200	47,250	22,585.50	175	139
जीरा	29,000	20,880	49,750	54,824.50	172	263
सेलरी	3,500	1,925	5,000	2,662.50	143	138
बडी सौंफ	5,000	2,500	6,800	5,623.60	136	225
मेथी	10,500	3,675	21,000	6,972.00	200	190
अन्य बीज (1)	8,000	2,800	15,500	5,890.00	194	210
लहसुन	1,600	540	10,750	3,042.25	672	563
जायफल व मेस	1,500	3,750	3,275	9,186.50	218	245
वैनिला	250	1,875	200	2,251.50	80	120
अन्य मसाले (2)	21,000	9,345	20,200	12,524.00	96	134
करी पाउडर / पेस्ट	12,500	14,935	14,300	18,918.50	114	127
पुदीना उत्पाद (3)	22,000	1,43,000	19,000	118,972.00	86	83
मसाले तेल व तैलीराल	7,000	71,750	6,750	70,875.00	96	99
कुल	**4,35,000**	**4,50,000**	**5,02,750**	**5,56,050.00**	**116**	**124**
मूल्य दशलक्ष यू एस डोलरों में		**1,000.00**		**1,173.75**		**117**

1. में सरसों, सौंफ, अजोवन बीज, सोआ बीज, खसखस बीज आदि शामिल हैं।
2. में इमली, हींग, कैसिया, केसर आदि शामिल हैं।
3. में पुदीना तेल, मेंथाल व मेंथाल क्रिस्टल शामिल हैं।

स्रोतः सीमा शुल्क, डी जी सी आई व एस, कोलकत्ता से प्राप्त डी एल ई, निर्यातकों की विवरणी, प्रादेशिक कार्यालयों की रिपोर्ट पर आधारित अनुमान।

वर्ष 2009-10 के दौरान भारत से मसालों एवं मसाले उत्पादों के निर्यात ने सबसे पहली बार पाँच लाख टन पार किया। प्रमुख उपभोक्ता विपणियों की आर्थिक मंदी के बावजूद भी वर्ष 2009-10 के दौरान मसालों के निर्यात ने परिमाण एवं मूल्य-दोनों दृष्टियों से सार्वकालिक उच्चतम रिकार्ड दर्ज किया। गत वित्तीय वर्ष के ₹ 5300.25 करोड (1,168.40 दशलक्ष यू एस डोलर) मूल्यवाले 4,70,520 टन के स्थान पर वर्ष के दौरान ₹ 5560.50 करोड (1173.75 दशलक्ष यू एस डोलर) मूल्यवाले 5,02,750 टन का निर्यात किया गया। पिछले साल की तुलना में, निर्यात ने परिमाण में सात प्रतिशत और रुपए मूल्य में पाँच प्रतिशत वृद्धि दर्शाई। डोलर की हैसियत से वृद्धि 0.5 प्रतिशत है।

वर्ष 2009-10 के दौरान मसालों के निर्यात ने परिमाण, रुपए मूल्य एवं डोलर के तौर पर मूल्य की हैसियत से भी लक्ष्य पार किया। वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 4,500.00 करोड (1,000.00 दशलक्ष यू एस डोलर) मूल्यवाले 4,35,000 टन के निर्यात लक्ष्य के खिलाफ ₹ 5,560.50 करोड (1,173.75 दशलक्ष यू एस डोलर) मूल्यवाले 5,02,750 टन की लब्धि मात्रा में 116 प्रतिशत, रुपए मूल्य में 124 प्रतिशत और डोलर के तौर पर मूल्य में 117 प्रतिशत है।

मसालों एवं मसाले उत्पादों के निर्यात में पुदीना तेल, मेंथॉल क्रिस्टल एवं मेथॉल पाउडर जैसे पुदीना उत्पादों सहित मसाले तेलों व तैलीरालों का योगदान कुल निर्यातार्जन का 34 प्रतिशत रहा। मिर्च के 23 प्रतिशत योगदान के बाद जीरा 10 प्रतिशत, हल्दी सात प्रतिशत और कालीमिर्च छः प्रतिशत का योगदान रहा। वर्ष 2009-10 के दौरान, भारतीय मसाले और मसाले उत्पाद दुनिया के 140 से भी ज्यादा देशों में पहुँच गए। उनमें से यू एस ए (16 प्रतिशत), मलेशिया (आठ प्रतिशत), चीन (सात प्रतिशत), यू ए ई (छः प्रतिशत) और यू के (पाँच प्रतिशत) प्रमुख रहे। वर्ष 2009-10 के दौरान भारत से प्रमुख मसालों के निर्यात पर एक विस्तृत समीक्षा नीचे दी जाती है।

कालीमिर्च

फिलहाल, पुराने एवं रोगबाधित कालीमिर्च बागानों की कम उत्पादकता के कारण भारतीय कालीमिर्च का उत्पादन करीब 50,000 मे.ट. स्थिर रहा। भारत के लगभग दुगुने वार्षिक उत्पादन के साथ वियत्तनाम जैसे हमारे प्रतियोगी आज अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कालीमिर्च के मुख्य सप्लाईकर्त्ताओं में से एक बने। फिर भी अपनी पसंदगी और निहित गुणवत्ताओं के फलस्वरूप भारतीय कालीमिर्च को प्रमुख विपणियों में प्रीमियम मूल्य मिलता है। वर्ष 2009-10 के दौरान, परिमाण में 22 प्रतिशत और मूल्य में 24 प्रतिशत गिरावट दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के ₹ 413.74 करोड़ मूल्यवाले 25,250 टन की अपेक्षा भारत ने ₹ 313.93 करोड मूल्यवाली 19,750 टन कालीमिर्च की कुल मात्रा का निर्यात किया। वर्ष के दौरान यू एस ए, ई यू आदि प्रमुख गन्तव्य स्थानों को कालीमिर्च के निर्यात में गिराव आ गया। उच्चतर उत्पादकता और उत्पादन की अपेक्षाकृत कम लागत के साथ अन्तर्राष्ट्रीय विपणि को कालीमिर्च के मुख्य आपूर्तिकर्त्ता वियत्तनाम की अपेक्षा भारतीय मूल्य अप्रतियोगी रहा। यह रिपोर्ट किया जाता है कि आर्थिक मंदी के कारण प्रमुख यू एस कंपनियां कम माल-सूची दिखाते हैं जिसके फलस्वरूप आयात परिमाण कम हो जाता है। हमारे कुल कालीमिर्च निर्यात के 43 प्रतिशत अपनाते हुए, 8525 मे.ट. कालीमिर्च का आयात करते हुए यू.एस.ए. कालीमिर्च केलिए हमारे प्रमुख बाज़ार के रूप में जारी रहा। अन्य प्रमुख क्रेता यू.के. (1600 मे.ट.) कनाडा (895 मे.ट.) जर्मनी (880 मे.ट.) इटली (835 मे.ट.) एवं जापान (600 मे.ट.) रहे।

इलायची (छोटी)

वर्ष 2009-10 के दौरान भारत से इलायची (छोटी) का निर्यात मूल्य के तौर पर सर्वकालीन उच्च रहा। वर्ष 2009-10 के दौरान, परिमाण में 163 प्रतिशत और मूल्य में 251 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, 2008-09 के ₹ 47.27 करोड़ मूल्यवाली 750 मे.ट. के स्थान पर 2009-10 के दौरान भारत से ₹ 165.70 करोड़ मूल्यवाली 1,975 मे.ट. छोटी इलायची का निर्यात

किया गया। ग्वाटेमाला, जो सबसे बडा सप्लाईकर्त्ता है, से आपूर्ति में रिपोर्ट की गई कमी भारत से इलायची (छोटी) के निर्यात में हुई कूद का मुख्य कारण है। हमारे निर्यात का 1115 मे.ट. (56 प्रतिशत) साउदी अरेबिया का योगदान है जिसके बाद यू ए ई (300 मे.ट.), कुवैथ (85 मे.ट.) ईजिप्त (75 मे.ट.) और यू.के. (55 मे.ट.) आते हैं। हमारे निर्यात में मुख्यतः ए जी ई बी और ए जी बी जैसे उच्च गुणवत्तावाले ग्रेड शामिल है। पिछले वर्ष के 11,000 मे.ट. की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान इलायची (छोटी) का उत्पादन 10,075 मे.ट. रहा। ग्वाटेमाला से इलायची की कम उपलब्धता के कारण 2008-09 के दौरान के ₹ 630.20 प्रति कि.ग्रा. से इलायची का औसतन निर्यात मूल्य 2009-10 में ₹ 839.00 प्रति कि.ग्रा. तक पहुँच गया।

इलायची (बड़ी)

वर्ष के दौरान भारत ने 2008-09 के ₹ 22.81 करोड़ मूल्यवाले 1,875 मे.ट. के स्थान पर ₹ 17.89 करोड मूल्यवाले 1,000 मे.ट. का निर्यात किया। पाकिस्तान भारतीय बडी इलायची का प्रमुख क्रेता है जिसने 2009-10 में 600 मे.ट. (60 प्रतिशत) योगदान दिया और उसके बाद यू.के. (80 मे.ट.) और यू ए ई (60 मे.ट.) आते हैं। भारत और नेपाल इलायची (बडी) के प्रमुख उत्पादक हैं। गंभीर घरेलू माँग की पूर्ति केलिए नेपाल से हम औसतन करीब 5000 मे.ट. इलायची (बडी) का आयात करते हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान, भारतीय उत्पादन 4,180 मे.ट. रहा; पिछले साल के 4300 मे.ट. के उत्पादन से थोडा कम। मार्च 2009 के ₹ 125.00 प्रति कि.ग्रा. से औसतन घरेलू मूल्य मार्च 2010 में ₹ 411.75 प्रति कि.ग्रा. तक पहुँच गया।

मिर्च

परिमाण एवं मूल्य दोनों तौर पर मिर्च भारत से निर्यात की जानेवाली सबसे बडी मसाला मद है। वर्ष 2009-10 के दौरान, भारत से कुल मसाले निर्यात परिमाण में 41 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 23 प्रतिशत मिर्च का योगदान रहा। वर्ष के दौरान भारत ने पिछले साल के ₹ 1080.95 करोड मूल्यवाले 188,000 टन के खिलाफ ₹ 1291.73 करोड मूल्यवाले 204,000 टन मिर्च और मिर्च उत्पादों का निर्यात किया। बोर्ड द्वारा मिर्च एवं मिर्च उत्पादों की अनिवार्य गुणवत्ता-जाँच ने भारतीय मिर्च को अन्तर्राष्ट्रीय विपणियों में अधिक स्वीकार्य बनाया और मिर्च के निर्यात में उच्चतर स्तर पाने में मदद की। भारतीय मिर्च के पारंपरिक क्रेता, नामतः मलेशिया, श्रीलंका, बंगलादेश एवं इन्दोनेशिया विपणि में सक्रिय रहे। लेकिन, गत वर्ष के (22,375 मे.ट.) की अपेक्षा वर्ष के दौरान पाकिस्तान को निर्यात उल्लेखनीय तौर पर कम (175 मे.ट.) हो गया। वर्ष 2009-10 के दौरान, मलेशिया को हमारा निर्यात 45,525 मे.ट. रहा, जिसके बाद श्रीलंका (34,800 मे.ट.), बंगलादेश (28,175 मे.ट.), यू ए ई (23,250 मे.ट.) और यू एस ए (17750 मे.ट.) रहे।

अदरक

वर्ष 2008-09 के ₹ 34.83 करोड मूल्यवाले 5000 मे.ट. के स्थान पर वर्ष 2009-10 के दौरान भारत से अदरक की निर्यात ₹ 46.75 करोड मूल्यवाले 5,500 मे.ट. रहा। अदरक का मुख्यतः ताज़े, सूखे एवं पाउडर रूपों में निर्यात होता है। ताज़ा अदरक का निर्यात, जो परिमाण का 50 प्रतिशत से ज्यादा है, उत्तरपूर्वी राज्यों से है और प्रमुख गन्तव्य स्थान बंगलादेश है। वर्ष 2009-10 के दौरान भारतीय सोंठ के मुख्य क्रेता यू के (495 मे.ट.), साउदी अरेबिया (435 मे.ट.) यू एस ए (365 मे.ट.) और स्पेइन (335 मे.ट.) हैं।

हल्दी

भारत से हल्दी का निर्यात वर्ष 2009-10 के दौरान मूल्य के तौर पर सर्वकालीन उच्च रहा। निर्यात ₹ 248.58 करोड मूल्यवाले 52,500 मे.ट. के खिलाफ ₹ 381.33 करोड मूल्यवाला 50,750 मे.ट. रहा। वर्ष 2009-10 के दौरान 2008-09 के ₹ 92.12प्रति कि.ग्रा. से ₹ 127.47 प्रति कि.ग्रा. हो गया। प्रमुख क्रेता यू ए ई (6675 मे.ट.), ईरान (4,255 मे.ट.), बंगलादेश (4,120 मे.ट.), मलेशिया (3955 मे.ट.) और जापान (3150 मे.ट.) थे। विश्व विपणि में हल्दी का सबसे बडा आपूर्तिकर्त्ता भारत है। अन्य मुख्य सप्लाईकर्त्ता वियत्तनाम, इन्दोनेशिया एवं म्यानमर है। यह रिपोर्ट किया जाता है कि सालों साल हल्दी का औषधीय एवं कांतिवर्द्धक उपयोग बढ़ता जा रहा है।

बीजीय मसाले

गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2009-10 के दौरान बीजीय मसालों के निर्यात ने मात्रा एवं मूल्य दोनों दृष्टियों से वृद्धि दिखाई है। जीरा, धनिया, बडी सौंफ एवं सेलरी, जैसे प्रमुख बीजीय मसालों के निर्यात ने वर्ष 2009-10 के दौरान मूल्य के हिसाब से सार्वकालिक उच्चता दर्ज की है। भारत से कुल मसाले निर्यात के परिमाण में 29 प्रतिशत और मूल्य में 18 प्रतिशत बीजीय मसाले निर्यात का योगदान है।

वर्ष 2009-10 के दौरान, 2008-09 के ₹ 544.00 करोड़ मूल्यवाले 52,550 टन के खिलाफ भारत से जीरा बीज का निर्यात ₹ 548.25 करोड मूल्यवाला 49,750 टन रहा। प्रमुख क्रेता यू ए ई (5,760 मे.ट.), ब्रेज़ील (4,940 मे.ट.), यू एस ए (4,050 मे.ट.), नेपाल (3750 मे.ट.) एवं यू.के. (3450 मे.ट.) है। वर्ष 2009-10 के दौरान धनिया बीज का निर्यात परिमाण एवं मूल्य की दृष्टि से सर्वकालीन उच्च रहा और परिमाण में 56 प्रतिशत और मूल्य में 11 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले साल के ₹ 203.79 करोड मूल्यवाले 30,200 टन के स्थान पर ₹ 225.86 करोड मूल्यवाले 47,250 मे.ट. रहा। वर्ष 2009-10 के दौरान प्रमुख बाज़ार पाकिस्तान (10,700 मे.ट.), मलेशिया (8985 मे.ट.), यू ए ई (7,175 मे.ट.) और साउदी अरेबिया (4200 मे.ट.) थे।

जायफल और मेस

भारत से जायफल और जावित्री के निर्यात ने फिलहाल स्थाई वृद्धि दर्शाई है। वर्ष 2009-10 के दौरान जायफल और जावित्री का निर्यात परिमाण में 52 प्रतिशत और मूल्य में 51 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 60.75 करोड मूल्यवाले 2,155 मे.ट. के स्थान पर ₹ 91.87 करोड मूल्यवाला 3,275 मे.ट. रहा। वर्ष 2009-10 के दौरान यू ए ई (925 मे.ट.) और उसके बाद वियत्तनाम (585 मे.ट.), सिंगपुर (380 मे.ट.) और यू एस ए (230 मे.ट.) प्रमुख विपणियाँ रही।

प्रसंस्करित मसाले

करी पाउडर एवं मसाले तेल व तैलीराल, पुदीना उत्पाद और मसाले पाउडर जैसे प्रसंस्करित मसालों का निर्यात कुल निर्यात का 53 प्रतिशत आता है। प्रसंस्करित मसालों में प्रमुख मसाले तेल व तैलीराल, करी पाउडर एवं मिश्रण, मेंथा, मेंथा क्रिस्टल एवं पुदीना तेल जैसे पुदीना उत्पाद है।

वर्ष 2009-10 के दौरान, परिमाण में आठ प्रतिशत और मूल्य में 16 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले साल के ₹ 163.75 करोड मूल्यवाले 13,250 टन के खिलाफ ₹ 189.19 करोड मूल्यवाले 14,300 टन करी पाउडर एवं मिश्रणों की कुल मात्रा

का निर्यात किया गया। वर्ष 2009-10 के दौरान करी पाउडर का निर्यात मात्रा एवं मूल्य के तौर पर सर्वकालीन उच्च रहा। भारतीय करी और मसाले मिश्रणों का सबसे बडा क्रेता यू.के. (3100 मे.ट., 22 प्रतिशत) है और उसके बाद साउदी अरेबिया (1455 मे.ट.), यू ए ई (1,260 मे.ट.) एवं यू एस ए (1,200 मे.ट.) का योगदान है।

लेकिन, वर्ष 2009-10 के दौरान, मसाले तेल व तैलीराल के निर्यात ने पिछले साल की तुलना में निर्यात में तनिक कमी दर्ज की है और पिछले वर्ष के ₹ 720.50 करोड मूल्यवाले 6,850 मे.ट. के स्थान पर ₹ 708.75 करोड मूल्यवाले 6,750 मे.ट. का निर्यात किया गया। यू एस ए एवं ई यू जैसी प्रमुख उपभोक्ता विपणियों की आर्थिक मंदी ने इस मूल्य योजित मद पर विपरीत प्रभाव डाला है। भारत से निर्यातित प्रमुख मसाले तेल कालीमिर्च तेल (75 मे.ट.), जायफल तेल (45 मे.ट.), सरसों बीज तेल (40 मे.ट.), लौंग तेल (22 मे.ट.), सेलरी बीज तेल (17 मे.ट.) और अदरक तेल (15 मे.ट.) हैं। तैलीराल के मामले में, भारत से सर्वाधिक निर्यातित मद पैप्रिका तैलीराल है, उसके बाद कैप्सिकम तैलीराल (1,350 मे.ट.), कालीमिर्च तैलीराल (1100 मे.ट.), गार्सीनिया निचोड (575 मे.ट.) और हल्दी तैलीराल (325 मे.ट.) आते हैं। मसाले निचोडों का सबसे बडा आयातक यू एस ए है जो हमारे निर्यातों का 25 प्रतिशत (1650 मे.ट.) आता है। अन्य प्रमुख विपणियां जर्मनी (675 मे.ट.), यू.के. (530 मे.ट.), साउथ कोरिया (385 मे.ट.) एवं चीन (310 मे.ट.) है।

पुदीना तेल, मेंथा क्रिस्टल और मेंथा पाउडर जैसे पुदीना उत्पाद निर्यात का सबसे बडा दूसरा उत्पाद है। वर्ष 2008-09 के ₹ 1420.25 करोड मूल्यवाले 20,500 मे.ट. के खिलाफ 2009-10 के दौरान ₹ 1189.72 करोड़ मूल्यवाले 19,000 मे.ट. पुदीना उत्पादों का निर्यात किया गया। चीन और यू एस एस को निर्यात हमारे निर्यातों के 56 प्रतिशत से भी ज्यादा है। अन्य प्रमुख बाज़ार सिंगपुर (2,000 मे.ट.), जर्मनी (1,150 मे.ट.), ब्रेज़ील (775 मे.ट.) और नेथरलैंड्स (575 मे.ट.) है।

10. सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक आँकडा प्रक्रमण

निम्नलिखित कार्यकलापों को अमल में लाने केलिए बोर्ड के पास अपना एक सुसज्जित इ.आँ.प्र. प्रभाग है:-

1. सूचना प्रौद्योगिकी के कारगर प्रयोग केलिए बोर्ड के विभिन्न विभागों व कार्यालयों को सलाह, मार्गदर्शन और सहायता।
2. मौजूदा अनुप्रयोगों, मेसेजिंग सोलूशन्स, इन्टेरनेट तथा वेबसाइट के रख-रखाव केलिए डेस्क प्रबन्धन को सहायता।
3. हार्डवेयर, सोफ्टवेयर, डाटाबेस, नेटवर्किंग और बाह्य उपकरण जैसे सू.प्रौ. संसाधनों के ज़रिए संगठन का संचालन।
4. तकनीकी अर्जन, एकीकरण व कार्यान्वयन केलिए योजनाओं की तैयारी।
5. सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का उन्नयन।
6. सू. प्रौ. उपकरणों व सोफ्टवेयर के सुचारु कार्य केलिए सिस्टमों व प्रक्रियाओं का निरूपण व कार्यान्वयन
7. आंकडा प्रक्रमण।
8. नए सिस्टमों की आवश्यकता (या मौजूदा सिस्टमों का परिवर्तन) का पता करना या प्रयोक्ताओं के निवेदनों का उत्तर देना।
9. सूचना तंत्रों व अनुप्रयुक्त सोफ्टवेयर की डिज़ाइन, विकास, प्रलेखन, परीक्षण, कार्यन्वयन और रखरखाव।
10. बोर्ड की वेबसाइट Indianspices.com, spicesboard.in, Indianspices.org.in, worldspicecongress.com, spicesboard.org. का रख-रखाव और अद्यतन बनाना।
11. कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का रूपायन और आयोजन।

निम्न क्षेत्रों में सोफ्टवेयर पैकेजों का विकास व कार्यान्वयन किया गया है:-

- व्यापार सूचना सेवा
- रजिस्ट्रीकरण व अनुज्ञप्तीकरण
- छोटी इलायची का इलेक्ट्रॉनिक नीलाम।
- लदान-पूर्व नमूनन।
- गुणवत्ता मूल्यांकन केलिए प्राप्त मसाले नमूनों की प्राप्ति, विश्लेषण व सुपुर्दगी का मानिटरिंग।
- भौतिक, रासायनिक व जीवाणु संदूषण के मामलों की जाँच केलिए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला के विश्लेषणात्मक आंकडे का विश्लेषण।
- वित्तीय लेखाकरण व वेतन पत्र।
- ब्याज-सहित ऋण।
- कार्मिक सूचना, छुट्टी लेखाकरण व आयकर निर्धारण।
- पुस्तकालय सूचीकरण, परिचालन व बाहरी कागज़ातों का नियन्त्रण।

- विपणि सर्वेक्षण विश्लेषण
- क्षेत्र व उत्पादन सर्वेक्षण
- योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और मानीटरिंग
- ग्राहक पते का रखरखाव और चंदा समाप्ति और सामयिक प्रकाशनों के भेजने का अनुवीक्षण
- उपभोज्यों की प्राप्ति व वितरण तथा परिसंपत्तियों का रखरखाव
- अनियत मज़दूरों केलिए भविष्य निधि व पेंशन योजना का रखरखाव तथा लेखाकरण

वर्ष 2009-10 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:-

(1) सूचना प्रौद्योगिकी का उन्नयन, अर्थात्:-

(अ) गुण्टूर गुणवत्ता प्रयोगशाला में सेर्वर, यू पी एस एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण

(आ) इ-नीलाम केन्द्र, वण्डनमेडु में नया सेर्वर

(इ) इडुक्की जिले के सभी नए कार्यालयों में पी सी, यू पी एस एवं प्रिन्टर

(ई) मुख्यालय एवं कोच्ची तथा मुंबई की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं, प्रादेशिक कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और क्षेत्र कार्यालयों में वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी का उन्नयन

(2) बोर्ड के कर्मचारियों, कार्यालयों एवं पेंशनकर्त्ताओं केलिए वेब पोर्टल का कार्यान्वयन

(3) निम्नलिखित केलिए बोर्ड के इन्ट्रानेट (www.spicesboard.in) में ऑन-लाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई:-

(अ) कर्मचारियों को जी पी एफ अग्रिम/निकासी केलिए आवेदन प्रस्तुत करने और इस आवेदन की हालत जानने और जी पी एफ शेष को अद्यतन बनाने केलिए

(आ) ए पी ए आर (स्वतः मूल्यनिरूपण/रिपोर्टिंग) केलिए और संपत्ति आवेदनों की हालत जानने केलिए

(इ) व्यापारियों को रजिस्ट्रीकरण व अनुज्ञप्तीकरण केलिए प्रस्तुत अपने आवेदनों की स्थिति जानने केलिए

(4) कालीमिर्च पुनरोपण एवं पुनर्युवन परियोजना (एन एच एम) केलिए इडुक्की के क्षेत्र कार्यालयों में 'प्राइड' नामक सोफ्टवेअर विकसित एवं कार्यान्वित किया गया। कृषकों को इ-पेमेन्ट प्रबंधन के लिए कार्यालय के दित्ते सफलतापूर्वक मुख्यालय को अन्तरित किए गए।

(5) क्षेत्र-स्तरीय कार्यकलापों के कंप्यूटरीकरण केलिए ऑन लाइन वेब से चलानेवाली सिस्टम का विकास शुरू किया गया।

(6) लेखा विभाग और बाहरी सेवा प्रोवाइडर के सहयोग से नई वित्तीय प्रणाली कार्यान्वित की

(7) बोर्ड की वेबसाइट www.indianspices.com को नियमित अवधियों में अद्यतन बनाया गया। साइट के ज़रिए बडी संख्या में व्यापारिक पूछ-ताछें प्राप्त हुईं। व्यापारिक पूछताछों का दित्ताबेस बनाए रखा गया। फोरिन ट्रेड एन्क्वयरीज़ बुलेटिन और आयातक निदेशिका केलिए विपणन, प्रचार एवं व्यापार सूचना सेवा विभागों ने इस दित्ताबेस का उपयोग किया।

(8) मुख्यालय में रसीद, निवेदन, उपभोग्यों का वितरण और भण्डारण को कंप्यूटरीकृत किया गया।

(9) फाइल-अभिलेख केलिए सोफ्टवेअर विकसित करके उसका कार्यान्वयन किया गया।

अनुबंध -1

बोर्ड-सदस्यों की सूची जैसेकि 31-3-2010 को है

1. श्री वी.जे. कुरियन, भा.प्र.से.
अध्यक्ष
स्पाइसेस बोर्ड
पालारिवट्टम्
कोच्ची-682 025
फोन : 0484-2333304
मोबाइल : 98470 65507
फैक्स : 0484-2349135
ई-मेइल : chairman@indianspices.com

2. श्री पी.टी. थॉमस
आदरणीय सांसद (लोकसभा)
307, केरल हाउस
3 - जंतर मंतर रोड
नई दिल्ली-110 001
फोन : 04868-263216, 229595
मोबाइल : 9447029595/9013180092/
09847077150
फैक्स : 04862-229595
ई-मेइल : ptthomasidk@gmail.com

3. श्री अनंत कुमार हेगडे
आदरणीय सांसद (लोक सभा)
13, फिरोज़ शाह रोड
नई दिल्ली-110 001
फोन : 011-23795001
मोबाइल : 9868180337
फैक्स : 011-23795001
ई-मेइल : mpcanara@gmail.com

4. श्री तिरुच्चि शिवा
आदरणीय सांसद (राज्य सभा)
15, फिरोज़ शाह रोड
नई दिल्ली-110 021.
टेलि : 0431-2417676 / 2412977
मोबाइल: 09868181955 / 09443160180
फैक्स: 0431-2412977
ई-मेइल : tiruchi.siva@sansad.nic.in

5. श्री मंगत राम शर्मा
बागान प्रभाग के प्रभारी निदेशक
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग भवन
नई दिल्ली-110 107
फोन : 011-23063268, 26492218
मोबाइल : 9971554633
फैक्स : 011-23061646/23063418
ई-मेइल : mrsharma@nic.com

6. श्री एस.के. पट्टनायक
संयुक्त सचिव व मिशन निदेशक
(राष्ट्रीय बागवानी मिशन)
कृषि एवं सहकारिता विभाग,
कृषि मंत्रालय
कृषि भवन,
नई दिल्ली-110 001
फोन: 011-23381503/24358242
मोबाइल : 9899772227
फैक्स : 011-23387669

7. श्री वी.डी. आलम
वित्त प्रभाग के प्रभारी निदेशक
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग भवन
नई दिल्ली-110 107

8. श्री के.सी. प्रधान
दि वेसाइड गार्डन्स
सिक्स्थ माइल,
तादोंग-737 102
गान्तोक, सिक्किम

9. एड्वोकेट श्री जोय थॉमस
तुण्डत्तिल, आरक्कुळम पी.ओ.
इडुक्की, केरल
पिन-685 591
फोन : 04862-252240
मोबाइल : 9447052134

10. श्री रोय के. पाउलोस
कोन्ननाल, तट्टकुष़ा पी.ओ.
(वाया) करिमण्णूर, तोडुपुष़ा
इडुक्की, केरल
फोन : 04862-235304, 222977
मोबाइल : 9447421666

11. श्री जोस कोंपनातोट्टम
अण्णियारतोलु पी.ओ.
कट्टप्पना,
इडुक्की, केरल
पिन-685 515
फोन : 04868- 270210
मोबाइल : 9447087306

12. श्री जी. मुरलीधरन
पेरुंबलत्तु हाउस
पाम्पाडुंपारा-685 556
इडुक्की, केरल
फोन : 04868- 236073
मोबाइल : 9961149473

13. श्री अबुल कलाम
मदीना मुनवरा कॉफी एस्टैट
जयपुरा-577 123,
कोप्पा तालुका
चिकमगलूर जिला
कर्नाटक
फोन : 08265- 245050/ 691675
मोबाइल : 9448032796
फैक्स : 08265-245050
ई-मेइल : abulkalam_b@yahoo.co.in

14. श्री भास्कर सिंह रघुवंशी
VIII, बासखेड़ी
गुना जिला
मध्यप्रदेश

15. डॉ. विजू जेकब
निदेशक
मेसर्स. सिन्थाइट इण्डस्ट्रीज़ लि.,
कडयिरिप्पु, कोलंचेरी
एरणाकुलम
केरल
पिन-682 311
फोन : 0484-3051200/210
मोबाइल : 9846640010
फैक्स : 0484-3051351
ई-मेइल : viju@synthite.com

16. श्री माधवन
पार्टनर
मेसर्स. एस.पी.जी. रामस्वामी नाडार एण्ड सन्स
77, साउथ कार स्ट्रीट
विरुदुनगर,
तमिलनाडु
पिन-626 001
फोन : 04562-243364, 244164
मोबाइल : 9443144864
फैक्स : 04562-244964
ई-मेइल : spgr@eth-net &
spgr@sancharnet.in

17. श्री अजय जे. मारिवाला
प्रबंध निदेशक
मेसर्स. वल्लभदास कांजी लि.,
47, ब्रिस्टो रोड,
वेल्लिंगटन आइलैंड
कोचीन, केरल, पिन-682 003
फोन : 0484-3077777
मोबाइल : 9846093333
फैक्स : 0484-3077781
ई-मेइल : vkl@vklspices.com

18. डॉ. एन. मुरुगेशन
अध्यक्ष
मेसर्स एक्सिम राजात्ति इण्डिया प्राइवेट लि.,
गुलाम टवर्स, सं. 46, 47,48 व 59
रोयपेट्टा हाई रोड,
चेन्नई-600 014
फोन : 044-42210666
मोबाइल : 9840129666
फैक्स : 044-42160663
ई-मेइलः exim@rajathi.com

19. श्री राजेन्द्र पी. गोखले
प्रबंध निदेशक
मेसर्स ए.एम. टोड कं. इण्डिया प्रा.लि.
20, राजमहल,
84 वीर नरिमान मार्ग, चर्चगेट
मुंबई-400 020
फोन : 022-22821225/0261/0462
मोबाइल :09967312000
फैक्स : 022-22821788
ई-मेइलः raj_ghogale@yahoo.com

20. श्रीमती सुषमा श्रीकण्ठत्त
निदेशक एवं मुख्य प्रचालन अधिकारी
मेसर्स ए.वी.टी. मक्कोर्मिक इन्ग्रेडियन्स प्रा.लि.
साउथ वाष़कुलम
आलुवाय-683 107
फोन : 0484-2677511/ 2677263
मोबाइल : 9895177511
फैक्स : 0484-2677275
ई-मेइल : sushama@avtspice.com

21. श्री फिलिप कुरुविळा
प्रबंध निदेशक
मेसर्स इण्डियन प्रोडक्ट्स लि.,
डोर नं. V / 705-707
गुजराती रोड, मट्टान्चेरी
कोच्ची - 682 002
फोन : 0484-2228089, 0422-3985711/3985720
मोबाइल : 9364333117
फैक्स : 0422-3985710
ई-मेइल : Philip@jayanthi.com

22. श्री पी.जे. कुञ्ञच्चन
मेसर्स अर्जुना नेच्युरल एक्स्ट्राक्ट्स लि.,
बैंक रोड,
आलुवा
केरल, पिन-683 101
फोन : 0484-2622644
मोबाइल : 9895977371
फैक्स : 0484-2622612
ई-मेइल : pjk@arjunanatural.com

23. श्री जोजो जोर्ज
पोट्टमकुळम हाउस
कूट्टिक्कल पी.ओ.
कोट्टयम,
केरल,
पिन -686 514
फोन : 04869-222865
मोबाइल : 9447182097
फैक्स : 04868-222097
ई-मेइलः jojo-md@kcpmc.com

24. श्री जोर्ज वाली
वलिप्लाक्कल हाउस,
कूराली
पोनकुन्नम,
कोट्टयम,
केरल
पिन - 686 522
फोन : 0481-2568311, 2568951
मोबाइल 94471586830
फैक्स : 0481-2568918
ई-मेइल : georgevaly@gmail.com

25. सरकार के सचिव
कृषि विभाग
केरल सरकार
सरकारी सचिवालय
तिरुवनन्तपुरम-695 001

26. प्रधान सचिव (कृषि व बागवानी)
राजस्थान सरकार
सरकारी सचिवालय
जयपुर
राजस्थान

27. श्री के.के. सिंह
प्रधान निदेशक
बागवानी व नकदी फसल विकास विभाग
कृषि भवन,
तादोंग,
गान्तोक,
सिक्किम
मोबाइल : 09832066187
टेलि फैक्स : 03592 231960

28. श्रीमती सुतपा मजुंदार
निदेशक (आई.ई. प्रभाग)
योजना आयोग
योजना भवन,
नई दिल्ली-110 001
फोन : 011-23096717/26493215
मोबाइल : 9868124796
फैक्स : 011-23096717
ई-मेइलः supata.m@nic.in

29. श्री एन.सी. साहा
निदेशक
भारतीय पैकेजिङ संस्थान
ई-2, एम आई डी सी क्षेत्र
पी.बी. नं 9432, अंधेरी (ईस्ट)
मुंबई - 400 093
फोन : 022 - 28219803/9469/6751
मोबाइल : 9323035639
फैक्स : 022-28375302
ई-मेइल : director-iip@iip_in.com

30. डॉ. वी. प्रकाश
निदेशक
केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान
मैसूर-570 020, कर्नाटक
फोन : 0821-2517760
फैक्स : 0821-2516308
ई-मेइल : prakash@cftri.com

31. डॉ. वी.ए. पार्थसारथी
निदेशक
भारतीय मसाले फसल अनुसंधान संस्थान
पी.बी. नं. 1701,
मेरिक्कुन्नु पी.ओ.
कालिकट-673 012
फोन : 0495-2730294
फैक्स : 0495-2731187
ई-मेइल : parthasarathy@spices.res.in

Crop Development Programmes

Shri.M.I.Shanavas M.P. Wyanad is seen inaugurating the Growers meet cum seminar on Black Pepper at Pulpally in Wyanad district in Kerala.

Dr.Takat Singh Rajpurohit of Rajasthan Agriculture University addressing the farmers in Gurlai in Rajasthan during the field publicity campaign organized by the Board on quality requirements in seed spices.

A view of training programme for Extension personals of NGO's held in Kachucherra in Agartala

A master training programme for Officers of State Agri/Horticulture in progress in Agartala in Tripura state.

Shri.Sonam Gytaso Lepcha, Hon'ble Minister for Energy, Power & Cultural affairs, Government of Sikkim distributing the replanting subsidy cheque to a large cardamom grower at Lower Dzongu in Gangtok.

Seed spices farmers assemble at the Panchayath Bhavan in Giridara village in Pali district, Rajasthan (Field Publicity campaign)

A team of farmers and Officials from State Horticulture Department of North Eastern Stsates at Spices Board's head office to attend a training on post harvest technology and organic farming.

Shri.Eswaran, Panchayath President, addressing the tribal cardamom farmers in one of the quality improvement training programmes held at Vellicholai in Kolli hills in Namackkal district in Tamil nadu.

Crop Development Programmes

A view of farmers from Churachandpur district in Manipur State who visited the Board's Head Quarters in Cochin in connection with the Training Programme on Post harvest Technology and Organic farming.

A quality improvement training programme on spices in progress in Siddapura in Karnataka.

A view of Agri/Horticulture officers attending a master training programme on ginger and turmeric at Churachandpur in Manipur.

Shri.Devarajappa, Deputy Director (Horticulture) Kodagu in Karnataka is seen delivering the inaugural address during the master training programme on pepper.

A scene from the quality improvement training programme on Large cardamom held at Dokchin area of Rongli sub division of East Sikkim district.

A view of farmers attending a quality improvement training on ginger and organic farming at Reiek village in Mamit district, Mizoram.

Shri.H.K.Kumaraswamy, MLA delivering the inaugural address during the regional seminar on organic farming of spices at Ballupet in Karnataka.

A view of cardamom planters attending a training programme on cardamom at Kallupalam near Udumbanchola in Idukki district, Kerala.

Export Development Programmes

Shri.Jyotiraditya M.Scindia, Hon'ble Union Minister of State for Commerce & Industry, Government of India lighting the lamp to mark the inauguration of the 10th World Spice Congress in New Delhi.

Shri.T.Nandakumar IAS, Secretary, Agriculture, Government of India, inaugurating the 10th World Spice Congress Exhibition in New Delhi.

A view of the audience attending the 10th World Spice Congress.

Shri.Jyotiraditya M.Scindia, Hon'ble Union Minister of State for Commerce & Industry, Government of India, is seen interacting with the prospective investors and exporters during the Interface meeting to explore the feasibility of establishing a Spice Park at Shivpuri in Madhya Pradesh.

Export Development Programmes

Shri.V.J.Kurian IAS, Chairman, Spices Board explaining the series of measures taken by the Spices Board for the development of spice industry in the Interface meeting.

Shri.S.Rethinavelu, Senior President of Tamil Nadu Chamber of Commerce & Industries is seen inaugurating a seminar on Spice Exports in Madurai.

A group of cardamom planters from Tamil Nadu are being explained the method of conducting of Cardamom E-auction at Vandanmettu in Idukki district, Kerala.

Mrs.G.L.Tshering, Executive Magistrate addressing during the inauguration of Large Cardamom Auction in Kalimpong in Darjeeling district of West Bengal.

Publicity & Promotion Programmes

Shri.Anand Sharma, Hon'ble Union Minister of Commerce & Industry, Government of India listening to the briefing of Board's officials at the Board's stand at the The India Show at St.Petersburg , Russia held at Lenexpo.

Shri.V.J.Kurian IAS, Chairman, Spices Board (left) with Shri.Pradip K.Kapoor, Indian Ambassador to Chile (middle) during the Board's participation in the Sixth International Trade Fair held at Santiago, Chile.

Dr.M.Beena IAS, District Collector, Cochin (middle) visiting the Spices Board's stall organized during the Haritholsavom 2009 held at Maradu in Cochin.

Shri.Keshavendra Kumar, IAS, is receiving the first copy of the book in Hindi "Administrative and Scientific Terminology from Smt.K.Lekshmikutty, Secretary, Spices Board.

Shri.Ashok Gehlot, Hon'ble Chief Minister of Rajasthan (centre) is being received at the Board's stand during Marwar Krishi Utsav-2009 in Jodhpur.

U.S. investors In Food Processing in India along with Shri.K.K.Phull, Under Secretary, Department of Commerce, Government of India (third from right) at the Board's stand in FOODEX 2010 Tokyo, Japan.

A view of Board's stand in Sweet Eurasia in Istanbul, Turkey .

Business discussions in progress in the IFT 2009 Annual meeting and FoodExpo held at Anaheim Convention Centre, California, USA.

A view of Board's stand in Biofach 2010 held at Nurenburg, Germany.

Crowd of visitors in front of the Spices Board's stand to taste the food at the Fine Food Australia Show in Sydney.

Publicity & Promotion Programmes

Mrs.Reva Ganguly Das, Indian Consul General in Shangai,China at the Board's stand at SIAL, China.

Board's officials interacting with the visitors at the Board's stand in World Food Ukraine in Kiev.

Dr.Sumit Seth, Second Secretary (centre) and Mr.Andres Ortiz Rodriguez, Marketing & International Trade (left) with Shri.S.Kannan, Director (Marketing) in the International Trade Fair in the Columbian capital Bogota.

A view of Spices Board's stand in Ingredients Russia held in Moscow.

From left to right- Shri.Manish Shankar Sharma, IPS, Director, Tea Promotion, Tea Board, Dubai and Shri.Sanjay Singh IFS, Indian Ambassador to Iran at the Spices Board's stand in Iran Agro Food 2009 in Tehran.

Business discussions in progress at the Board's stand in Gulfood Dubai.

The Indian Ambassador to Egypt Shri.Swaminathan (left) visiting the Spices Board's stand in Cairo International Trade Fair in Cairo.

Board's officials interacting with the business visitors at the 16th Saudifood held in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

Ms.Roshini Sen, IAS, Deputy Chairperson, Tea Board is seen visiting the Board's stand in UPASI, Industrial Exhibition held at Coonoor.

Research Programmes

Shri.Jyotiraditya M.Scindia, Hon'ble Union Minister of State for Commerce & Industry, Government of India, is seen visiting the research activities of small cardamom in the Plant Pathology division of Indian Cardamom Research Institute, Myladumparai in Idukki district, Kerala.

Dr.J.Thomas, Director (Research) and Scientists interacting with the cardamom planters from Attapady village in Tamil Nadu.

Attapady farmers visiting the replanted cardamom plot of an elite cardamom planter near Udumbanchola in Idukki district, Kerala.

Fr.Vicar Mathew Thadathil addressing the cardamom planters during the Mobile Agri Clinic & Scientist Farmer Interface held at Kallupalam in Idukki district, Kerala.

Research Programmes

A team of Scientists from Indian Cardamom Research Institute, Spices Board visiting a cardamom plantation in Idukki district and suggesting the remedial measures for white fly attack.

A view of cardamom planters of Santhanpara area attending a Agri Clinic and quality improvement seminar held at Puthady in Idukki district.

A view of cardamom planters of attending the Agri-clinic scientist farmers Interface

A scene from the training programme on Good Agricultural Practice on spices held at ICRI, Regional Research Station, Sakleshpur, Karnataka.